# सूचना और प्रसारण मंत्रालय

## वार्षिक रिपोर्ट

2000-2001

# विषय - सूची


| | | |
|---|---|---|
| 1. | एक नज़र | 1 |
| 2. | नई पहल | 4 |
| 3. | स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक उपक्रम - प्रसारण क्षेत्र | 8 |
| 4. | मीडिया इकाइयां/स्वायत्त संगठन - सूचना क्षेत्र | 31 |
| 5. | मीडिया इकाइयां / स्वायत्त संगठन / सार्वजनिक उपक्रम - फिल्म क्षेत्र | 52 |
| 6. | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग | 65 |
| 7. | योजना और गैर-योजना कार्यक्रम | 66 |
| 8. | प्रशासन | 82 |

**परिशिष्ट**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मंत्रालय का सांगठनिक ढांचा | 88 |
| 2. | वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए योजना तथा गैर-योजना बजट का विवरण | 90 |

# 1

# एक नज़र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों का केंद्रीय मंत्रालय है। मंत्रालय की गतिविधियों का मुख्य मकसद सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करना और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, समाचारपत्र-पत्रिकाओं तथा फिल्मों सहित विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना और उनमें जागरूकता लाना है। मंत्रालय के अधीन कार्यरत मीडिया इकाइयां, स्वायत्त संगठन और सार्वजनिक उपक्रम इसकी भूमिका के निष्पादन में मंत्रालय की मदद करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सूचना के प्रसार के लिए प्रत्येक इकाई संचार की अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में काम करती है। इसके लिए समाचारपत्रों, विज्ञापनों, अभिनय कलारूपों, सामूहिक चर्चाओं, पुस्तकों, टेलीविजन, रेडियो और फिल्मों जैसे अनेक प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोकरुचि और व्यावसायिक जरूरतों के बीच संतुलन कायम किया जा सके।

मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों से संबद्ध नीतियों, नियमों-विनियमों और अधिनियमों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। प्रसारण, फिल्म और मुद्रण माध्यम के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय विदेशों के अपने समानधर्मी मंत्रालयों के साथ विचार-विनिमय भी करता है।

कुशलतापूर्वक सूचना, प्रचार सेवाएं और मनोरंजन उपलब्ध कराने के ध्येय से मंत्रालय के मुख्य सचिवालय को तीन खंडों में बांटा गया है। ये खंड हैं - सूचना खंड, प्रसारण खंड तथा फिल्म खंड।

**सूचना खंड** समाचार माध्यम तथा सरकार की प्रेस और प्रचार संबंधी जरूरतों से संबद्ध नीतिगत मामले देखता है। प्रेस और प्रचार गतिविधियों में संलग्न माध्यम इकाइयां निम्नांकित हैं :

| | |
|---|---|
| • पत्र सूचना कार्यालय | प्रेस |
| • फोटो प्रभाग | |
| • गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग | |
| • प्रकाशन विभाग | |
| • विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय | प्रचार |
| • क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय | |
| • गीत और नाटक प्रभाग | |
| • भारत के समाचारपत्रों का पंजीयक | प्रेस विनियमन |
| • भारतीय प्रेस परिषद | |
| • भारतीय जनसंचार संस्थान प्रशिक्षण | प्रशिक्षण |

**प्रसारण खंड** इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से संबंधित मामले देखता है। यह इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए नीतियां, नियम और विनियम तैयार करता है जिसकी परिधि में सार्वजनिक सेवा प्रसारण के साथ-साथ केबल टेलीविजन, निजी टेलीविजन चैनल आदि भी आते हैं। संयुक्त सचिव (प्रसारण) इस खंड का प्रमुख होता है। इस खंड के अंतर्गत निम्नांकित संगठन कार्यरत हैं:

- भारतीय प्रसारण निगम (प्रसार भारती), इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - आकाशवाणी तथा
  - दूरदर्शन
- ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)

**फिल्म खंड** फिल्म क्षेत्र से जुड़े मामले देखता है। यह खंड अपनी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए अपेक्षित वृत्तचित्रों का निर्माण और वितरण करता है। साथ ही यह फिल्म उद्योग के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए भी कई गतिविधियां चलाता है। इसमें प्रशिक्षण, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा, फिल्म समारोहों का आयोजन, फिल्म आयात-निर्यात से संबंधित विनियमन आदि शामिल हैं। संयुक्त सचिव (फिल्म) इस खंड का प्रमुख होता है जो निम्नांकित मीडिया इकाइयों का प्रभारी होता है:

| | | |
|---|---|---|
| • फिल्म प्रभाग | - | वृत्तचित्र निर्माण |
| • केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड | - | प्रमाणन |
| • भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार | - | संरक्षण |
| • राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम | - | फिल्म वित्त |
| • भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे | - | प्रशिक्षण |
| • सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान | - | प्रशिक्षण |
| • फिल्म समारोह निदेशालय | - | अच्छी फिल्मों को बढ़ावा |
| • बाल फिल्म समिति | - | बाल फिल्मों को बढ़ावा |

मंत्रालय की विकास संबंधी आवश्यकताओं को योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरा किया जाता है। चालू योजना के दौरान मीडिया इकाइयों की गतिविधियों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मंत्रालय के लिए कुल 2,970.34 करोड़ रुपये की परिव्यय राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 709.35 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है तथा अगले वर्ष के लिए 108.09 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्रालय ने अपनी मीडिया इकाइयों के जरिये स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, राष्ट्रीय एकता आदि विषयों पर संदेश के प्रसार में अपना योगदान दिया है।

## वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

- पूर्वोत्तर चैनल का आरंभ
- डाइरेक्ट-टू-होम प्रसारण को अनुमति
- हिंदी में मौलिक लेखन के लिए वर्ष 1994-1999 तक के भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार अर्पित किए गए
- भुज में भूकंप के बाद किए गए राहत उपायों की विस्तृत कवरेज
- महाकुंभ मेला की व्यापक कवरेज

# 2

# नई पहल

मौजूदा मीडिया परिदृश्य सर्वाधिक गतिशील है। इस क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास से तारतम्य बनाए रखने के लिए सरकार की नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बीते वर्षों में प्रसारण कार्य इस मंत्रालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से लोकप्रिय प्रसारण मीडिया अपनी त्वरित पहुंच, व्यापक रूप से सुलभ होने तथा आसानी से समझ में आने के अपने खास गुण के कारण अनेक क्षेत्रों में विशिष्ट भूमिका अदा करता है। यह दुनियाभर में घट रही घटनाओं और आर्थिक विकास के लिए सरकार की नई पहलों से पूरे देश को अवगत कराता रहता है। विशेष स्थितियों में तो यह मिनट-दर-मिनट सूचनाओं को अद्यतन करता रहता है। यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा आदि जैसे मानव अस्तित्व से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता पैदा करता है। इसके अलावा यह सहजता से स्वस्थ दृश्य-श्रव्य मनोरंजन सुलभ कराता है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में समय पर चेतावनियां जारी कर और राहत कार्यों के बारे में जानकारी देकर यह अपनी विशिष्ट भूमिका अदा करता है। देश के विभिन्न इलाकों की कला-संस्कृति को बढ़ावा देने में भी इस मीडिया का योगदान है। ये सभी कार्य अन्य माध्यमों द्वारा भी किए जाते हैं लेकिन उनकी तुलना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रभावशाली पहुंच, सुलभता और समयबद्धता के मामले में नहीं की जा सकती।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में प्रसारण परिदृश्य बड़ी तेजी से बदला है। यह बदलाव खासकर उपग्रह टेलीविजन प्रसारण

*प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 24वें सिमकॉन के कुछ प्रतिभागी, 21 जनवरी 2001*

के क्षेत्र में आया है। तेजी से परिवर्तित हो रही तकनीकी, आर्थिक उदारीकरण, खगोलीकरण तथा देश के कुछ हिस्सों की विशिष्ट जरूरतों के साथ तारतम्य बनाए रखने के लिए सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान कई नई पहल की है। इनमें निजी टेलीविजन प्रसारणकर्ताओं को भारतीय भूमि से उपग्रह अपलिंकिंग के लिए अपलिंकिंग केंद्रों की स्थापना की अनुमति देना, भारतीय निजी कंपनियों को एफ एम रेडियो केंद्र स्थापित करने की अनुमति देना, केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम/नियम में संशोधन, डाइरेक्ट टू होम प्रसारण (डीटीएच) का आरंभ, प्रसारण का डिजीटलीकरण, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा अन्य सीमावर्ती इलाकों के लिए विशेष पैकेज शामिल हैं।

## डायरेक्ट टू होम प्रसारण (डीटीएच)

डीटीएच टीवी सेवा से टेलीविजन पर कार्यक्रमों और चैनलों का प्रसारण, उपग्रह के जरिये सीधे उपभोक्ताओं के घरों में होता है। यह प्रसारण उच्च फ्रीक्वेंसी वाले कूबैंड पर एक छोटे से डिश और डिकोडर के द्वारा अथवा टेलीविजन सेटों के ऊपर रखे जाने योग्य बाक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के अंतर्गत संचार मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके 16 जुलाई, 1997 से डीटीएच सेवा को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। इस अधिसूचना के अनुसार 4800 मेगाहर्त्ज सिग्नल की क्षमता वाले फ्रिक्वेंसी बैंड, जिसमें कूबैंड शामिल है, के उपकरणों की स्थापना, रखरखाव, कामकाज, उनको हासिल करने अथवा उनकी खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

पिछले कुछ सालों में सूचना तकनीकी में तेजी से आए परिवर्तनों और प्रसारण तथा संचार परिदृश्य में आए बदलावों के कारण 1997 में डीटीएच को अनुमति न दिए जाने के जो कारण थे वे अब बेमानी हो गए हैं। इसके अलावा डीटीएच एक बेहतर तकनीक है जो टेलीविजन कार्यक्रमों के वितरण और प्राप्त करने का विकल्प, कार्यक्रम उपलब्ध कराने वालों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रदान करता है। इसके अनेक फायदों के मद्देनजर मंत्रियों के एक दल ने डीटीएच मामले की पुनर्समीक्षा की। इस दल की अनुशंसा के आधार पर 2.11.2000 को भारत में डीटीएच सेवा को अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इस सेवा से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता और टेलीविजन सेवाओं के वितरण और प्रसारण के क्षेत्र में उर्ध्व एकाधार जैसी आशंकाओं के निवारण के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। डीटीएच लाइसेंस जारी करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय, संचार विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं।

## केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2000

पिछले पांच सालों के दौरान केबल अधिनियम को अमल में लाने के क्रम में सरकार के समक्ष इसकी कई कमियां आई हैं। केबल कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने केबल अधिनियम, 1995 में संशोधन कर 1.9.2000 से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2000 को लागू कर दिया है। संशोधित अधिनियम का लक्ष्य है (i) नि:शुल्क प्रसारण वाले चैनलों को कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के तहत लाना ताकि अवांछित कार्यक्रमों को दर्शकों तक पहुंचाने से बचा जा सके, (ii) भारत की सुरक्षा, सार्वभौमिकता तथा एकता और लोकाचार, शिष्टता, नैतिकता आदि हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का अधिकार देना, (iii) केबल नेटवर्क के जरिये दूरदर्शन के दो भू-केंद्रित चैनलों और एक क्षेत्रीय भाषा के एक उपग्रह चैनल का समान रूप से प्रसारण सुनिश्चित करना तथा (iv) केबल आपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिलाधिकारियों, उप-जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों को अधिकृत करना।

## केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून, 2000

केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून, 1994 में भी संशोधन किया गया है और उसकी जगह केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून, 2000 लाया गया है। इसे 8.9.2000 को अधिसूचित किया गया। इसका लक्ष्य (i)ऐसे कार्यक्रमों को रोकना है जो या तो सार्वजनिक रूप से दिखाए जाने लायक नहीं हैं या फिर जिसके प्रदर्शन के लिए केबल ऑपरेटर ने अपेक्षित कॉपीराइट हासिल नहीं किया है, (ii) ऐसे विज्ञापनों को रोकना जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री हो तथा (iii) किसी भी ऐसे विज्ञापन को रोकना जो शराब, तंबाकू तथा तंबाकू से बनने वाले उत्पादों, शिशु-दुग्ध के विकल्प, दूध पिलाने वाली बोतल अथवा शिशु आहार के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को बढ़ावा देती है।

## फिल्म को 'उद्योग' का दर्जा देने की घोषणा

मई 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की सरकार की मंशा की घोषणा की। फिल्म उद्योग ने इस घोषणा का बड़े पैमाने पर स्वागत किया। इसके बाद मंत्रालय ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की ताकि फिल्म निर्माण कार्य को आई डी बी आई अधिनियम 1964 की धारा 2(ग) (xvii) में शामिल कर औद्योगिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत कर अधिसूचित किया जाए। इससे वित्तीय संस्थान और बैंक इस क्षेत्र को वित्त

उपलब्ध कराने के मामले में अधिक खुला रवैया अख्तियार करेंगे।

सितंबर 2000 में मुंबई में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की मुलाकात में फिल्म उद्योग को यह जानकारी दी गई कि फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को सरकार ने औद्योगिक गतिविधि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आई डी बी आई अधिनियम, 1964 की धारा 2 (ग) (xvii) के तहत 16.10.2000 को जारी अधिसूचना संख्या 10 (14) 98 आई एफ· के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत लिया गया और इस तरह सरकार द्वारा की गई पहल को अंतिम परिणति तक पहुंचाया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी आई डी बी आई को पत्र लिख कर ऐसे सुस्वीकृत मानक तैयार करने के लिए कहा जिससे कि वित्तीय संस्थान, फिल्म निर्माण कार्य के लिए कोष उपलब्ध करा सकें। रिजर्व बैंक को भी भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर फिल्म उद्योग को वित्त उपलब्ध कराने संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट का परीक्षण करने और बैंकों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।

### निजी एजेंसियों द्वारा एफ एम प्रसारण

मंत्रिमंडल ने 40 नगरों के लिए एफ एम प्रसारण लाइसेंस जारी करना स्वीकृत किया है। ये लाइसेंस भारत में पंजीकृत ऐसी कंपनियों को जारी किए जाएंगे जिनकी अंशपूंजी भारतीय नागरिकों के पास होगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों, अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशी कारपोरेट निकायों के पास इनकी केवल सीमित अंशपूंजी ही रहनी चाहिए। मंत्रिमंडल ने लाइसेंसधारियों के चयन प्रक्रिया और लाइसेंस देने की शर्तों को भी स्वीकृति प्रदान की।

इसमें सभी 40 नगरों में से प्रत्येक में निजी भागीदारी से दो अथवा उससे अधिक एफ एम केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी शामिल था। 40 केंद्रों के लिए जिन 148 फ्रीक्वेंसियों की पहचान की गई, उनमें से 40 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षिक चैनल के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित कर दिया गया। इन चैनलों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर 2000 में लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 40 केंद्रों में फ्रीक्वेंसी उपलब्ध कराने के लिए डब्लू पी सी को सूचना दे दी गई है।

मार्च 2000 में लाइसेंसधारियों के चयन के लिए खुली नीलामी की गई। इस नीलामी के आधार पर 40 नगरों में स्थित केंद्रों पर 101 चैनलों के आबंटन के लिए 29 कंपनियों का चयन किया गया। जुलाई 2000 तक 101 चैनलों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए चुनी गई कुल 29 कंपनियों में से 26 के लिए सुरक्षा संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। अगस्त 2000 के आरंभ में इन सभी 26 कंपनियों (93 चैनल के लिए) को आशय पत्र जारी कर दिया गया और उन्हे आशय पत्र पर मिलने के 75 दिनों के भीतर लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने और बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा गया। यह बैंक गारंटी पहले साल की लाइसेंस फीस के बराबर है और अगले दस वर्षों तक वैद्य रहेगी। बाद में बैंक गारंटी जमा करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अक्तूबर, 2000 कर दिया गया। निर्धारित तिथि तक 16 कंपनियों ने कुल 158.75 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कराई और 19 नगरों में 37 चैनलों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

### जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज

केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की सेवाओं में परिवर्तन के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया है। इस पैकेज को दो वर्षों के भीतर लागू कर लिया जाएगा। इस पर 430 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अंतर्गत आकाशवाणी नौ नए प्रसारण केंद्र स्थापित करेगी और तीन मौजूदा केंद्रों को प्रोन्नत करेगी। दूरदर्शन 11 उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, तीन भू-केंद्र, एक स्टूडियो, 12 सचल अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा 60 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करेगी और 11 मौजूदा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाएगी। कार्यक्रमों का विशेष पैकेज तैयार करने और कशीर चैनल की प्रसारण अवधि मौजूदा दो घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 18 घंटे प्रतिदिन करने का भी प्रस्ताव है।

इस पैकेज के तहत 18 घंटे के कशीर चैनल ने 9 जून, 2000 से काम करना शुरू कर दिया है। जिन स्थानों पर पहले से ही जगह उपलब्ध है, वहां सशक्तीकरण समिति के अनुमोदन पर दूरदर्शन और आकाशवाणी की परियोजनाओं के लिए उपकरणों की खरीद के लिए व्यय की स्वीकृति जारी कर दी गई है। शेष परियोजनाओं के लिए स्थान प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी जम्मू और कश्मीर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। इसी तरह, जहां परियोजना की व्यय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, वहां उपकरणों के आदेश दे दिए गए हैं। ओसान और बारामूला में दो सचल अल्पशक्ति ट्रांसमीटर तथा चुमथांग, बोधखर, हीरानगर, बटालिक और तुर्तुक में पांच अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को चालू कर दिया गया है एवं एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर और दो अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों ने

भी काम करना शुरू कर दिया है। श्रीनगर में अप-लिंकिंग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं तथा जम्मू में एक नया भू-केंद्र स्थापित किया गया है। इन्हें जल्दी ही चालू कर लिया जाएगा। लेह में भू-केंद्र और कशीर चैनल के लिए दो डी एस एन जी प्रणाली दिसंबर 2000 तक स्थापित कर ली जाएगी। इस पैकेज के अंतर्गत जहां तक आकाशवाणी की योजनाओं का सवाल है, कठुआ में मौजूदा छह कि.वा. एफ एम रेडियो केंद्र की क्षमता बढ़ाकर 10 कि.वा. एफ एम करने का काम पूरा कर लिया गया है और उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। करगिल, नौशेरा और राजौरी को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर स्थान हासिल कर लिए गए हैं। तीन स्थानों पर निर्माण कार्य के अनुमानों को स्वीकृति दे दी गई है और लद्दाख क्षेत्र के छह स्थानों के लिए स्वीकृति शीघ्र ही दे दी जाएगी।

**पूर्वोत्तर पैकेज**

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन का कवरेज क्षेत्र बढ़ाने और इस इलाके की शत-प्रतिशत आबादी को कवर करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्तावित पैकेज में 24 घंटे कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्वोत्तर उपग्रह टीवी चैनल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों से एक-एक क्षेत्रीय भाषा का चैनल शुरू करना भी शामिल है।

**परीक्षणाधीन मामले**

**सशर्त अभिगम प्रणाली(सीएएस)**

यह देखा गया है कि देशभर के केबल ऑपरेटर अपने ग्राहकों से एक समान दर पर मासिक किराया वसूल करते हैं। यह किराया केबल नेटवर्क की प्राथमिक सेवाओं और पे-चैनलों - दोनों के लिए होता है। यह असंतोषजनक प्रणाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक टेलीविजन वाले घर को, जिसने केबल सुविधा ले रखी है, उसे सभी पे-चैनल के लिए भुगतान करना पड़ता है जबकि संभव है कि वह उनमें से कुछ अथवा कोई भी पे-चैनल नहीं देख रहा हो। इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि पे-चैनल चलाने वाली टेलीविजन कंपनियां केबल ऑपरेटरों से टीवी वाले घरों की संख्या के आधार पर भुगतान प्राप्त करती हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि केबल ऑपरेटर उन सबसे किराया वसूल रहा है। इन टीवी कंपनियों की शिकायत यह है कि केबल ऑपरेटर जितने घरों को केबल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उसके केवल एक छोटे से हिस्से के बारे में ही बताते हैं। इस तरह, केबल ऑपरेटर उनके नाम पर जो पैसे वसूल करते हैं वह उन्हें नहीं मिल पाता। इसके साथ ही टीवी कंपनियां दर्शकों को जो संख्या बताती हैं वह पूरी तरह भ्रामक होती हैं, क्योंकि किसी भी चैनल के दर्शकों की वास्तविक संख्या की जांच का कोई भी विश्वसनीय जरिया नहीं है। दोनों ही स्थितियों में केबल ऑपरेटरों और टीवी कंपनियों द्वारा वसूल की गई और अर्जित राशि का एक बड़ा हिस्सा अघोषित रह जाता है और इससे बड़े पैमाने पर करों की चोरी की जाती है। इस तरह, सरकार के राजस्व अर्जन की दृष्टि से भी मौजूदा स्थिति असंतोषजनक है।

सरकार को अब यह सलाह मिली है कि देश में सशर्त अभिगम प्रणाली सीएएस लागू करें ताकि उपभोक्ताओं को चैनलों का चयन करने का विकल्प मिल सके। वे केवल इन चुने हुए चैनलों के लिए ही भुगतान करेंगे। साथ ही वे ग्राहक अपने-अपने घरों में कार्यक्रम देखने को नियंत्रित कर पाएंगे। सीएएस के अंतर्गत कार्यक्रम टीवी सेटों के ऊपर रखे जाने वाले बक्से के जरिये प्राप्त किए जाएंगे।

इसकी अगली कड़ी के रूप में देश में सशर्त अभिगम प्रणाली लागू करने को अनिवार्य बनाए जाने से पहले उसका परीक्षण आवश्यक हो गया है। सीएएस किसी भी टीवी वाले घर को वही चैनल प्राप्त करने देता है जिसका वह ग्राहक है। साथ ही वह संबद्ध घर में देखे गए प्रत्येक कार्यक्रम भी मानीटर करता है। इस तरह, सीएएस व्यवस्था का लाभ यह है कि

उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं कार्यक्रमों और पे-चैनलों के लिए भुगतान करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने वास्तव में देखा है। इसके साथ-साथ टीवी वाले घरों का एक विश्वनीय रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा और भी केबल ऑपरेटर उसे झूठ नहीं ठहरा पाएगा। साथ ही, दर्शकों का भी एक विश्वसनीय रिकॉर्ड उपलब्ध होगा जिसके बारे में कोई भी टीवी कंपनी दावा कर सकेगी। इस प्रकार सीएएस को अनिवार्य बनाए जाने के अनेक लाभ हैं।

टीवी सेट के ऊपर रखे जाने वाले एक बाक्स की लागत लगभग 4,000 रुपये होगी। यह लघु-आय वर्ग के दर्शकों पर एक भारी बोझ बन सकता है। इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि ये सीएएस बाक्स उपभोक्ताओं को केबल ऑपरेटर उपलब्ध कराएं और इस सुविधा के लिए उपभोक्ताओं से मासिक आधार पर नाममात्र का किराया वसूल करें। केबल ऑपरेटर ये सेट वित्तीय संस्थानों से कोष लेकर खरीद सकेंगे। लेकिन अभी तक इसे जोड़-जाड़ कर ही बनाया जा सकता है और इसका कोई भी संगठित माडल बाजार में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहा है।

प्रसारण और दूरसंचार के बीच आसन्न कंवर्जेंस के कारण व्यापक कानून बनाने की जरूरत महसूस की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कानून बनाने की इस प्रक्रिया से जुड़ा है।

# 3

# स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक उपक्रम—प्रसारण क्षेत्र

प्रसार भारती देश का सार्वजनिक प्रसारण कर्ता है। मीडिया के बदलते स्वरूप के अनुरूप प्रसार भारती ने भी इलेक्ट्रानिक मीडिया को और प्रभावी और क्षमता-परिपूर्ण बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं।

**अ. प्रसार भारती ( भारतीय प्रसारण निगम )**

भारतीय प्रसारण निगम को स्थापित करने वाले प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को संसद ने 1990 में मंजूरी दी। यह अधिनियम 15.9.97 से अमल में आ गया और 23.11.1997 से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) का गठन किया गया। बोर्ड की सरंचना इस प्रकार है:

क) अध्यक्ष

ख) एक कार्यकारी सदस्य

ग) एक सदस्य (वित्त)

घ) एक सदस्य (कार्मिक)

ङ) छह अल्पकालिक सदस्य

च) महानिदेशक (आकाशवाणी), पदेन,

छ) महानिदेशक (दूरदर्शन), पदेन,

ज) सूचना और प्रसारण का केंद्रीय मंत्रालय अपना एक प्रतिनिधि नामांकित करेगा, और

झ) निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा इंजीनियरों में से चुना जायेगा जबकि दूसरे का चयन बाकी कर्मचारियों द्वारा अपने में से किया जायेगा।

अभी बोर्ड में तीन अल्पकालिक सदस्य हैं : श्री बी.जी. वर्गीज़, प्रोफेसर यू.आर. राव और डा. आबिद हुसैन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार श्रीमती अरुणा माखन मंत्रालय की बोर्ड में प्रतिनिधि हैं। अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य, एक सदस्य (वित्त), एक सदस्य (कार्मिक) और तीन अल्पकालिक सदस्य की रिक्तियों को भरने के लिये कार्रवाई की जा रही है। नियमित कार्यकारी सदस्य की अनुपस्थिति में सूचना व प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, श्री अनिल बैजल को कार्यकारी सदस्य का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। प्रसार भारती बोर्ड और भर्ती बोर्ड की स्थापना तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक के पदों के लिये भर्ती नियमों को तय किये जाने के बाद ही इन पदों को भरा जायेगा। चूंकि प्रसार भारती में कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं, अत: वे निगम के प्रतिनिधि नहीं बनाए जा सकते।

**भर्ती बोर्डों की स्थापना**

प्रसार भारती अधिनियम 1990 में प्रसार भारती में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव अथवा उससे कम के वेतनमानों वाले विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये एक या ज्यादा भर्ती बोर्डों के गठन का प्रावधान है। फलस्वरूप, प्रसार भारती में रिक्तियों की सीधी भर्ती के लिये निगम के मुख्यालय में एक केंद्रीय भर्ती बोर्ड और पांच से कम क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है। भर्ती बोर्डों में पूरी तरह वही लोग होंगे जो निगम के सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी नहीं हैं। जो पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम का वेतनमान नहीं प्राप्त करते, उनके लिये भर्ती बोर्ड में अध्यक्ष, अन्य सदस्य, पदेन सदस्य, नामांकित सदस्य और निर्वाचित सदस्य रहेंगे।

**प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों में स्वायत्तता**

कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर प्रसार भारती निगम का पूर्ण नियंत्रण हो जायेगा। निगम में उच्च पदों में भर्ती का अधिकार भी निगम के बोर्ड के पास होगा। अंतरिम इंतजाम के तौर पर प्रसार भारती को ज्यादा वित्तीय फैसले का अधिकार दिया गया

है जैसे कि विभिन्न कार्यों के लिये सलाहकारों की नियुक्ति सरकार से परामर्श के बिना भी की जा सकती है। इस मुद्दे पर पूरे इंतजाम की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा सकती है।

**आकाशवाणी और दूरदर्शन की पुनर्संरचना**

इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नारायणमूर्ति, डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री किरण कारनिक और मार्केटिंग सलाहकार श्री शानु सेन की एक समिति का गठन 22.11.99 को किया गया। प्रसार भारती की गुणवत्ता विश्वसनीयता तथा व्यावसायिक प्रवीणता बढ़ाने के लिये संगठन के स्वरूप, प्रणालियों में अंतर तथा अन्य क्षेत्रों में जरुरी परिवर्तन सुझाने और प्रसार भारती के व्यापक पुनरीक्षण का जिम्मा इस समिति को सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 20.5.2000 को सौंप दी।

समिति के सुझावों/सिफारिशों में, अन्य बातों के अलावा, प्रसार भारती के उद्देश्यों तथा मिशन, प्रसार भारती की संरचना तथा उत्तरदायित्व, वित्त व्यवस्था तथा कोषीय प्रणाली, चैनल का स्थान, कार्यक्रमों का निर्माण और उनमें क्या होना चाहिये, प्रेषण तथा इंजीनियरिंग सेवाओं का पुनर्गठन, विपणन में सुधार, मानव संसाधन विकास और नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है। सिफारिशों में प्रसार भारती अधिनियम 1990 में कुछ संशोधन भी शामिल किये गये हैं।

रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर प्रतिक्रिया/स्पष्टीकरण हासिल करने के लिये प्रसार भारती बोर्ड और पुनरीक्षण समिति से विचार-विमर्श किया गया। कर्मचारियों के विभिन्न परिसंघों के साथ भी बातचीत की गई। मंत्रालय से जुड़ी सांसदों की सलाहकार समिति से भी सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया।

**वर्ष के दौरान प्रसार भारती का प्रदर्शन**

**नेटवर्क विस्तार और सुधार**

## i) आकाशवाणी

2000-2001 के दौरान, 31-12-2000 तक 9 नये रेडियो केंद्र (रिले ट्रांसमीटरों के साथ, 1 एफ.एम., 8 मी.वे.) चालू किये गये थे और 6 ट्रांसमीटरों (2 एफ. एम., 2 मी. वे. तथा 2 शा. वे) में विस्तार/सुधार किया गया। इसके अतिरिक्त मार्च 2001 तक 15 नये रेडियो केंद्र तथा ट्रांसमीटरों के तकनीकी रूप से तैयार होने की संभावना है। कुल रेडियो केंद्रों की संख्या अब 207 है और 324 ट्रांसमीटर (मी.वे. - 148 शा. वे. - 55 तथा एफ एम - 121) है। चालू किये गये नये रेडियो केंद्रों/ट्रांसमीटरों, विस्तार/सुधार किये गये ट्रांसमीटरों तथा 2000-2001 तक तकनीकी रूप से तैयार होने वाले की सूची परिशिष्ट में दी गई है। इसके अलावा आइजोल तथा कोहिमा में अपलिंक सुविधायें चालू की गईं।

## (ii) दूरदर्शन

अप्रैल-दिसम्बर 2000 के दौरान 113 टीवी ट्रांसमीटर चालू किये गये। इनमें मेट्रो चैनल (डीडी-II) सेवा के विस्तार के लिये 41 ट्रांसमीटर (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-22, कम शक्ति ट्रांसमीटर, बहुत कम शक्ति के ट्रांसमीटर - 6 और 13 ट्रांसपोजर्स) तथा प्राइमरी चैनल (डीडी-1) का प्रसार बढाने के लिये 72 ट्रांसमीटर उच्च शक्ति - 3 अंतरिम रूप से स्थापित एक भी शामिल), कम शक्ति - 46 तथा बहुत कम शक्ति 23) शामिल है। इनके अलावा श्रीनगर (कशीर चैनल के लिये,) कलकत्ता (बांग्ला चैनल के लिये) तथा चेन्नई (पोड़ीगई चैनल के लिये) में प्रत्येक जगह एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटरों की कुल संख्या अब 1174 (डीडी1- 1085, डीडी2- 84 तथा अन्य- 5) है।

दूरदर्शन के स्टूडियो की संख्या अब 51 हो गई है। पांच नये स्टूडियो ग्वालियर, जगदलपुर, इंदौर तथा रांची में चालू किये गये हैं। मार्च 2001 तक मथुरा, पटियाला, चंडीगढ़, त्रिशुर तथा लेह में पांच अन्य स्टूडियो परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है।

वर्ष के दौरान चालू किये ट्रांसमीटरों का राज्यवार ब्यौरा तथा राज्यों में स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का क्रमश: ब्यौरा परिशिष्ट-I और II में दिया गया है।

दिल्ली (एवीएन समाचार फीड के लिये)और जम्मू में उपग्रह अपलिंक चालू किये गये हैं। शिमला, पोर्ट ब्लेयर और लेह से भी उपग्रह अपलिंकिंग सुविधाएं इस वित्त वर्ष के दौरान चालू हो जायेंगी।

अनेक दूरदर्शन चैनलों में रोजाना प्रसारण समय काफी बढ़ा दिया गया है। ब्यौरा निम्नलिखित है:

डीडी कशीर 2 से बढ़ाकर 18 घंटे

डीडी पंजाबी

**डीडी1**

डीडी पूर्वोत्तर 2 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे।

**सुविधाओं का तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण**

आकाशवाणी और दूरदर्शन, दोनों ही जगह कार्यक्रम निर्माण और प्रेषण के लिये डिजीटल प्रौद्योगिकी अमल में लाई गई है। प्रमुख रेडियो स्टेशनों/दूरदर्शन केंद्रों में उपकरणों को बदलकर उन्नत श्रेणी के डिजीटल उपकरण लिये जा रहे हैं। अन्य रेडियो स्टेशनों/दूरदर्शन केंद्रों के लिये भी इसी प्रकार की योजना बन रही है। उपग्रह अपलिंक और डाउनलिंक सुविधाएं ज्यादातर डिजीटल स्वरूप प्राप्त कर चुकी हैं और बाकी को डिजीटल स्वरूप शीघ्र देने का प्रस्ताव है। अनेक रेडियो स्टेशनों ने स्टीरियो प्रणाली से प्रसारण शुरू कर दिया है।

(i) अन्य प्रौद्योगिकी नवीनीकरण में शामिल हैं - 4 रेडियो स्टेशनों पर ट्रांसमीशन मैनेजरों द्वारा कामकाज शुरू तथा मार्च 2001 तक 8 अन्य स्टेशनों पर लगाने की संभावना;

(ii) मार्च 2001 तक चेन्नई, कोलकाता, तथा मुंबई में रेडियो-इन-डिमांड सेवा चालू करना (यह सेवा अभी केवल दिल्ली में उपलब्ध है।)

(iii) विविध भारती सेवा का डिजीटल नेटवर्क बनाने का काम चल रहा है;

(iv) समाचार कक्षों और ट्रांसमीटरों में स्वचालन और टेलिमीटरी प्रणाली का प्रस्ताव है। गुवाहटी तथा नागपुर में एक एफ एम टेलिमिटरी प्रणाली (ट्रांसमीटरों का सुदूर से संचालन) को पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। कम शक्ति के टी वी ट्रांसमीटरों के लिये सुदूर संचालन वाली टेलिमीटरी प्रणाली विकसित की जा रही है।

**डिजीटल स्थलीय टेलीविजन प्रसारण (डी टी टी बी)**

अभी देश में दूरदर्शन के सिर्फ दो स्थलीय चैनल (डीडी-1) और डीडी-2) उपलब्ध हैं जबकि देश के विभिन्न भागों में लगभग 100 उपग्रह चैनल प्राप्त किये जा रहें हैं। डीडी-1 को देश के 75% हिस्से में प्राप्त किया जा सकता है और लगभग 89% जनता इसे देख सकती है। डीडी-2 सिर्फ 25% जनता तक ही पहुंच सकता है। दूरदर्शन का स्थलीय ट्रांसमीशन एनालॉग तरीके से है। इसी प्रणाली से और ज्यादा चैनल उपलब्ध कराने के लिये हजारों ट्रांसमीटर स्थापित करने की जरूरत होगी जोकि संसाधनों के सीमित होने के कारण संभव नहीं है। अतः, प्रसार भारती का डिजीटल स्थलीय टेलीविजन प्रसारण देश भर में चरणबद्ध तरीके से 10-12 साल के भीतर लागू करने का प्रस्ताव है।

डी टी टी बी, एनालॉग ट्रांसमीशन से इस प्रकार बेहतर है:

i) एक डिजीटल ट्रांसमीटर से चार से छह चैनलों को ले जाया जा सकता है।

ii) प्राप्ति क्षेत्र में सब जगह उच्च श्रेणी और एक समान क्वालिटी की प्राप्ति होती है,

iii) चलते वाहन में भी टीवी/मल्टी मीडिया सेवायें प्राप्त की जा सकती है,

iv) एनालॉग ट्रांसमीटरों के मुकाबले 50% ज्यादा की विद्युत की बचत।

विकसित देशों में हो रही प्रगति के अनुरुप तथा केबल नेटवर्क सेवा के विकल्प के रूप में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में, जहां केबल नेटवर्क ठीक से नहीं पहुंच पाया है, एनालॉग से डिजीटल प्रसारण की ओर बढ़ना जरूरी हो गया है। कुछ डिजीटल चैनलों का इस्तेमाल टेलीविजन में इंटरनेट और ई-मेल सुविधा देने में भी किया जा सकता है।

प्रसार भारती को एनालॉग ट्रांसमीटरों को डिजीटल में बदलने में निवेश तो करना ही पड़ेगा, साथ ही लोगों को भी डिजीटल टीवी सेट हासिल करने होंगे या डिजीटल संकेतों को पकड़ने के लिये मौजूदा टीवी सेटों के साथ सेट-टॉप बॉक्स लगाने होंगे। चूंकि शायद ज्यादातर उपभोक्ता इतनी शीघ्र इतना पैसा निवेश करने की स्थिति में न हो, कुछ समय के लिये डिजीटल ट्रांसमीटरों को साथ-साथ दोनों प्रकार के काम डिजीटल और एनालॉग संकेतों का रिले - करते रहना पड़ेगा ताकि डिजीटल टीवी सेट अथवा सेट टॉप बॉक्स जिन उपभोक्ताओं के पास नहीं है, वे दूरदर्शन सेवाओं से वंचित न रह जायें। अनेक विकसित देशों में भी यह नीति अपनाई जा रही है।

इस मामले में नीतिगत फैसला अभी लिया जाना बाकी है, फिर भी प्रयोगात्मक रूप से प्रसार भारती देश के चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में डिजीटल ट्रांसमीटर स्थापित कर रहा है। इन ट्रांसमीटरों के 2001-2002 के दौरान चालू होने की आशा है।

**कार्यक्रम निर्माण समाचार प्रसारण आदि में नई पहल**

**(i) कार्यक्रम निर्माण सुविधायें**

क) डिजीटल आधारित प्रौद्योगिकी : विश्वभर में प्रचलित डिजीटल आधारित प्रौद्योगिकी का आकाशवाणी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि निर्माण और प्रेषण सुविधायें बेहतर हो सकें। सभी प्रमुख स्टेशनों में काम्पेक्ट डिस्क प्लेयर दे दिये गये हैं। आकाशवाणी नेटवर्क में कम्प्यूटरीकृत हार्ड डिस्क आधारित रिकार्डिंग, संपादन और प्ले बैक प्रणाली लगाई जा रही है। अन्य प्रमुख उपकरण जिनका आधुनिकीकरण/बदलाव किया जा रहा है, कंसोल टेप रिकार्डर, रिकार्डिंग/ट्रांसमिशन/ स्विचिंग कंसोल, माईक्रोपोल आदि हैं।

ख) मोनो से स्टीरियो में परिवर्तन : स्टीरियो सेवा को अमल में लाने की योजना के तहत अनेक स्टेशनों में स्टूडियो सुविधायें मोनो से स्टीरियो में बदल दी गई है।

ग) डिजीटल अपलिंक और डाउनलिंक : मौजूदा एनालॉग अपलिंक तथा डाउनलिंक सुविधाओं को डिजीटल प्रणाली में बदला जा रहा है। विविध भारती सेवाओं के लिये बोरीवली (मुंबई) में केंद्रीय डिजीटल स्टीरियो अपलिंक सुविधा केंद्र बनाया गया है। चालू योजना में चेन्नई, आइजोल तथा कोहिमा में डिजीटल अपलिंक सुविधा मुहैया करा दी गई है और इम्फाल व अगरतला में की जा रही है। जम्मू, दिल्ली तथा कोलकाता में अपलिंकिंग सुविधा का प्रस्ताव है।

घ) नया प्रसारण गृह : नया प्रसारण गृह परिसर दिल्ली में बन रहा है जोकि विदेश सेवा, समाचार सेवा और गृह सेवाओं के लिये होगा और उसमें उन्नत नवीनतम तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित स्टूडियो होगा।

**ii) समाचार प्रसारण**

वर्ष के दौरान दो क्षेत्रीय समाचार इकाइयों का गठन रायपुर तथा देहरादून में किया गया ताकि छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के नये राज्यों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिये वहां से समाचार बुलेटिन चलाये जा सके। नव गठित राज्य झारखंड के श्रोताओं की जरूरतों को पहले से ही रांची में मौजूद क्षेत्रीय समाचार इकाई द्वारा पूरा किया जायेगा।

समाचार सेवा प्रभाग की सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरतों को पूरा करने के लिये एक आई टी एकांश स्थापित किया गया है। एकांश ने अंदरूनी वेबसाइट स्थापित किया है जोकि क्षेत्रीय समाचार इकाइयों और अन्यों की समाचार जरूरतों को पूरा करता है।

समाचार बुलेटिन को श्रोताओं के लिये अधिक उपयोगी तथा आकर्षक बनाने के वास्ते उसकी गुणवत्ता सुधारने के अनेक प्रयास किये गये। धीमी गति के हिंदी तथा अंग्रेजी बुलेटिन का आज के युग में कोई उपयोग नहीं था इसलिये इन्हें समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर एक एकीकृत समाचार कार्यक्रम को शुरू किया गया। अंग्रेजी का कार्यक्रम 'मिड डे न्यूज' 1400 से 1430 बजे तक प्रसारित किया जाता है। हिन्दी में 'दोपहर समाचार' 1430 से 1500 बजे तक प्रसारित होता है। इसके फलस्वरूप अंग्रेजी का 1400-1410 का बुलेटिन तथा हिंदी का 1410-1420 का बुलेटिन समाप्त कर दिया गया है। हिंदी का एक विदेशी समाचार बुलेटिन भी समाप्त कर दिया गया है।

सुबह और रात्रि के हिंदी और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों का स्वरूप भी बदला गया ताकि उन्हें श्रोताओं की पसंद के अनुरूप बनाया जा सके। अंग्रेजी के 'मार्निंग न्यूज' और हिंदी के 'समाचार प्रभात' में अब किसी ताजा विषय पर टिप्पणी तथा समाचारों की विशेष खबरें शामिल की जाती हैं। सुबह के उर्दू समाचार बुलेटिन 'खबरनामा' में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं। संवाददाताओं के वायस-कास्ट, विशेषज्ञों के विचार और दिन की प्रमुख समाचार घटनाओं का विश्लेषण समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाता है ताकि समाचार ज्यादा विश्वसनीय, दिलचस्प और पूर्ण हो सकें। आकाशवाणी को 'न्यूज ऑन फोन' सेवा के अंतर्गत विश्व के किसी भी स्थान से कोई भी श्रोता एक विशिष्ट नंबर मिला कर फोन पर समाचार सुन सकता हैं। आकाशवाणी के समाचार इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। समाचार के हेडलाइन बुलेटिन लोकप्रिय एफ एम चैनल पर सारे दिन प्रसारित किये जाते हैं।

क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में भी बेहतर परिवर्तन लाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। ये बुलेटिन क्षेत्रीय स्टेशनों से प्रसारित होते हैं और कस्बाई व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इनको ज्यादा सुनते हैं। चौबीसों घंटे एफ एम समाचार चैनल को शुरू करने की योजना है।

**प्रसार भारती को राजस्व आमदनी**

| वर्ष | दूरदर्शन | आकाशवाणी | कुल (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1995-96 | 386.19 | 92.04 | 478.23 |
| 1996-97 | 601.30 | 87.18 | 688.54 |
| 1997-98 | 467.51 | 100.99 | 568.50 |
| 1998-99 | 419.99 | 95.66 | 515.61 |
| 1999-2000 | 496.23 | 78.55 | 574.74 |

## आकाशवाणी

### गतिविधियां

आकाशवाणी ने अपने प्रसारण को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं।

क) पूर्वोत्तर क्षेत्र : पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज बढ़ाया जा रहा है। सात पूर्वोत्तर राज्यों ओर सिक्किम में अभी 24 आकाशवाणी केंद्र है। चालू योजना के दौरान 9 अतिरिक्त आकाशवाणी केंद्र शुरू किये गये हैं।

ख) जम्मू और कश्मीर : जम्मू और कश्मीर में रेडियो कवरेज सुदृढ़ किया जा रहा है। श्रीनगर में विविध भारती के 1 कि. वा. मी. वे ट्रांसमीटर को बढ़ाकर 10 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर कर दिया गया है और स्टूडियो में स्टीरियो सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं।

### कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान

प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर भुवनेश्वर (उड़ीसा) में नया कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है। दिल्ली के कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षण सुविधाओं को भी इस योजना के दौरान आधुनिक बनाया जायेगा।

### इनसैट के जरिये रेडियो नेटवर्किंग

देशभर में आकाशवाणी के सभी प्रसारण केंद्रों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय कार्यक्रमों के रिले के लिये उपग्रह के जरिये जोड़ दिया गया है। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में उस राज्य के क्षेत्रीय और स्थानीय केंद्रों से कार्यक्रमों की अपलिंकिंग के लिये 18 अपलिंक उपलब्ध है।

### अनुसंधान और विकास

आकाशवाणी और दूरदर्शन का अनुसंधान विभाग रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में नवीनतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों में जुटा है। विभिन्न प्रयोगशालाओं में अप्रैल 2000 से अब तक की गई तकनीकी गतिविधियां और मार्च 2001 तक सभांवित गतिविधियाँ इस प्रकार है:

**i) इंटरनेट** : अनुसंधान विभाग ने 29.9.2000 से एक वेबसाइट rdair.res.in शुरू की। यह साइट अनुसंधान और विकास के इतिहास, गतिविधियों, न्यूजलेटर, पिछली उपलब्धियों आदि का ब्यौरा तथा आकाशवाणी व दूरदर्शन वेबसाइट से लिंक उपलब्ध कराती है।

**ii) रेडियो - ऑन - डिमांड** : 1996 में राजधानी में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू की गई रेडियो-ऑन-डिमांड सेवा बहुत लोकप्रिय है। इसी प्रकार की प्रणाली हाल ही में चेन्नई में शुरू की गई और प्रायोगिक प्रसारण शीघ्र शुरू होने वाला है। इसी प्रकार की प्रणाली कोलकाता में दिसम्बर 2000 के दूसरे सप्ताह और मुंबई में मार्च 2001 तक लगा दी जायेगी।

**iii) टेलीमीटरी तथा स्वचालन** : एस पी टी, आकाशवाणी, बंगलौर की स्वचालन तथा टेलीमीटरी प्रणाली परियोजना पर काम चल रहा है और मार्च 2001 तक इसके पूरा होने की आशा है। नये खरीदे गये हैरिस 10 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर की भी इस प्रकार की परियोजना पर काम चल रहा है और मार्च 2001 तक इसके पूरा होने की आशा है।

क) गुवाहाटी और नागपुर में एक - 2 एफ एम टेलीमीटरी प्रणाली लगाई गई है।

ख) आकाशवाणी के समाचार कक्ष का स्वचालन

### समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन 311 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है जिनकी कुल अवधि 39 घंटे और 44 मिनट है। इसमें से 84 समाचार बुलेटिन दिल्ली से घरेलू सेवा में प्रसारित किये जाते हैं जिनकी अवधि 12 घंटे है। 45 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से रोज 139 समाचार बुलेटिन निकलते हैं जिनकी अवधि 18 घंटे और 21 मिनट है। विदेश सेवा में आकाशवाणी 64 समाचार बुलेटिन 25 भाषाओं (भारतीय और विदेशी) 8 घंटे और 59 मिनट के प्रसारित करता है। दिल्ली से एफ एम चैनल पर रोज समाचार सेवा

भारत
आकाशवाणी केन्द्र
जैसे कि 1-1-2001
चीन
तिब्बत
ने पा ल
बिहार
झारखंड
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
राजस्थान
गुजरात
तमिलनाडु
संकेत सूची
वर्तमान
निर्माणाधीन
विविध भारती (एम डब्ल्यू)
विविध भारती (एफ एम)
राष्ट्रीय चैनल
विदेश प्रसारण सेवा
आकाशवाणी
(योजना एवं विकास एकक)
ड्राइंग नं० TS-14652(S)
ड्रा० नं० TS-14652(S)

प्रभाग 24 मिनट की कुल अवधि के 24 समाचार हेडलाइन बुलेटिन प्रसारित करता है।

वर्ष के बाकी बचे भाग में जिन घटनाओं को समाचारों में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, वे हैं संसद का शीतकालीन और बजट सत्र, गणतंत्र दिवस, विदेशी विशिष्ट मेहमानों के दौरे तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह।

आकाशवाणी विशेष बुलेटिन जैसे खेल समाचार और युवा बुलेटिन भी प्रसारित करता है। दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में एक-एक युवा बुलेटिन प्रसारित होते हैं। आकाशवाणी, कोलकाता से भी बंगाली में दो युवा बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। हज की अवधि के दौरान हज यात्रियों के लिए 5 मिनट वाले विशेष बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। समाचारपत्रों की टिप्पणियां रोज प्रसारित होती हैं। इनके अलावा समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अनेक समाचार-आधारित कार्यक्रम और टिप्पणियां निकालता है। संसद सत्र के दौरान दिनभर की संसद की कार्यवाही की समीक्षा के लिये आलेख प्रसारित किए जाते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय समाचार इकाइयां अपने राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही का ब्यौरा देती हैं।

एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के साथ एक रेडियो समाचार विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि समाचारों के दायरे को बढ़ाया जा सके।

## वर्ष के दौरान समाचार कवरेज की उल्लेखनीय बातें

- प्रधानमंत्री की 13 दिन की न्यूयार्क और संयुक्त राज्य की ऐतिहासिक यात्रा।
- संयक्त राष्ट्र सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन और संयुक्त राज्य की औपचारिक यात्रा की कवरेज के लिए विशेष इंतजाम किए गए।
- प्रधानमंत्री की इटली और पुर्तगाल यात्रा को भी कवर किया गया।
- छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड के नए राज्यों के निर्माण संबंधी राजनीतिक गतिविधियां और इन राज्यों में नई सरकारों का शपथ ग्रहण।
- 'फेस द नेशन' श्रृंखला के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों के अनेक साक्षात्कारों सहित अनेक अन्य कार्यक्रम स्पॉटलाइट तथा सामयिकी में प्रसारित किए गए। इनमें राजग सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया।
- जम्मू-कश्मीर में रमजान के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध अभियान को स्थगित रखने की प्रधानमंत्री की घोषणा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए मंत्रियों के समूह का गठन।
- नए इंसेट-3 बी का राष्ट्र को समर्पण।
- कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनना।
- दूरसंचार क्षेत्र का खुलापन।
- सरकार द्वारा खर्च कम करने के उपायों की घोषणा जिनमें गैर-योजना गैर-वेतन खर्चे में 10 प्रतिशत कटौती करना भी शामिल है।
- 19 सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 33 प्रतिशत करना, 10 सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का फैसला।
- डाइरेक्ट टू होम सेवा को स्वीकृति।
- जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ सरकार की बातचीत सहित राज्य की स्थिति।
- समाचार बुलेटिनों और कार्यक्रमों के जरिये पाकिस्तान के दुष्प्रचार का सामना करने के प्रयास किए गए।
- सेना और सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया आतंकवाद-विरोधी अभियान और आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पण।

### विदेश सेवा प्रभाग

विदेश प्रसारण की भूमिका को परिभाषित करते हुए भारत में प्रसारण के पहले नियंत्रक श्री लियोनल फील्डन ने कहा था 'राष्ट्र राष्ट्र से शांति की बात करेगा।'

विश्वभर में विदेशी रेडियो नेटवर्क में आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की गणना अग्रणियों में होती है। यह 100 देशों में 26 भाषाओं में प्रसारित किया जाता है, जिनमें से 16 विदेशी और 10 भारतीय भाषायें हैं। कार्यक्रमों की कुल अवधि लगभग 70 घंटे, 45 मिनट है। प्रतिदिन विदेशी प्रसारण के जरिए आकाशवाणी विदेशी श्रोताओं को भारतीय परंपराओं, भारतीय वस्तुओं, भारत के विचारों और उपलब्धियों से अवगत कराता है। पिछले छह दशकों से आकाशवाणी देश की विश्वसनीय आवाज के रूप में उभरा है, जो आधुनिक, गतिशील और उदीयमान भारत की छवि दर्शाता है।

सार्क देशों, पश्चिम एशिया, खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की ओर इंगित विदेश सेवा प्रभाग के प्रेषण में अंग्रेजी का सायं 9.00 बजे का बुलेटिन भी प्रसारित किया जाता है जो कि पहले केवल देश के लिए था।

हर शनिवार को विदेश सेवा प्रभाग संयुक्त राष्ट्र समाचारों को विश्व के विभिन्न भागों तक ले जाता है।

सांस्कृतिक इंतजाम के अंतर्गत विदेश सेवा प्रभाग लगभग सौ देशों और विदेशी प्रसारण संगठनों को संगति, भाषण और कार्यक्रम उपलब्ध कराता है।

### केंद्रीय अनुश्रवण सेवा

केंद्रीय अनुश्रवण सेवा महत्वपूर्ण विदेशी रेडियो और टेलीविजन नेटवर्कों के समाचारों और समाचार-आधारित कार्यक्रमों का अनुश्रवण करती है। वर्ष के दौरान संगठन औसतन प्रतिदिन 12 रेडियो और 4 टेलीविजन नेवटर्कों के क्रमशः 50 प्रसारणों और 46 टेलीकास्टों पर नजर रखता है।

### कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (कार्यक्रम)

कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (कार्यक्रम) की स्थापना 1948 में दिल्ली में आकाशवाणी महानिदेशालय के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी और पहली जनवरी, 1990 से यह अधीनस्थ कार्यालय बन गया। यह संस्थान आकाशवाणी के कार्यक्रम कर्मचारियों के विभिन्न कैडरों, जिनमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रशासनिक कर्मचारी भी शामिल हैं, को सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण देता है। एक ऐसा संस्थान कटक में भी है और हैदराबाद, शिलांग, अहमदाबाद, तिरुअनंतपुरम और लखनऊ में स्थित पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में इन क्षेत्रों के रेडियो केंद्रों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान सभी संस्थानों ने 55 कार्यक्रम पाठ्यक्रम और 33 प्रशासनिक पाठ्यक्रम चलाए जिनमें 871 कार्यक्रम कर्मचारी और 632 प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षित हुए।

### केंद्रीय शिक्षा योजना एकक

1. **कुष्ठ उन्मूलन परियोजना :** बीबीसी (एमपीएम) के साथ मिलकर चलाई गई इस परियोजना का उद्देश्य यह प्रचार करना था कि कुष्ठ रोग का इलाज है, यह संक्रामक रोग नहीं है और जल्दी पता लग पाने से इसे हटाया जा सकता है। लघु-चित्रों और संगीतात्मक नाटकों के अलावा, एक शृंखला 'आत्मजाई' उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के सभी केंद्रों से प्रसारित की गई।

2. **तिनका-तिनका सुख :** लोकप्रिय रेडियो शृंखला 'तिनका-तिनका सुख' का चार भाषाओं—तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में प्रसारण किया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस शृंखला को दो अन्य भाषाओं-उड़िया तथा पंजाबी में अपनाने का प्रस्ताव है।

3. **इग्नू का फोन-इन-कार्यक्रम :** दूरस्त शिक्षा कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आकाशवाणी के सभी प्राथमिक केंद्रों पर शुरुआत में तीन सालों के लिए एक फोन-इन-कार्यक्रम चलाया गया। यह साप्ताहिक कार्यक्रम हर रविवार को एक घंटे के लिए आता है। देश के हर कोने में शिक्षा को पहुंचाने के उद्देश्य से इग्नू के साथ मिलकर देश के 40 एफ एम आकाशवाणी केंद्रों से दूरस्थ शिक्षा के 16 घंटे के प्रसारण का प्रस्ताव है।

4. **राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका :** वैज्ञानिक विचारधारा के विकास के लिए हिंदी में हर चौथे बुधवार को राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका

कार्यक्रम 'विज्ञान भारती' और हर दूसरे शुक्रवार को अंग्रेजी में 'रेडियो स्कोप' प्रसारित किया जाता है।

### केन्द्रीय अंग्रेजी फीचर एकांश

इस वर्ष फीचरों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान रहा। सायबर क्राइम-इंटरनेट क्रांति के बाद हाल ही में हुई इस गतिविधि को एक कार्यक्रम में उभारा गया। एक अन्य कार्यक्रमों में अंग्रेजी में अनेक सफल भारतीय लेखकों - नए तथा पुराने को शामिल किया गया। भारत में पहली राष्ट्रमंडलीय लेखक बैंक के बाद मई से इसे प्रसारित किया गया। करगिल के एक वर्ष होने पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने वाला एक कार्यक्रम हुआ।

### संगीत

आकाशवाणी के कुल प्रसारण का 40 प्रतिशत संगीत होता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, सुगम, लोक, फिल्मी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का संगीत शामिल होता है। संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम (हिन्दुस्तानी और कर्नाटक) इस विधा का प्रसिद्ध कार्यक्रम है जिसे हर शनिवार और रविवार को 1 घंटे के लिए शाम 10 से 11 बजे तक प्रसारित किया जाता है।

4 नवम्बर, 2000 को आकाशवाणी ने 23 स्थानों पर आमंत्रित व्यक्तियों के समक्ष आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया, उनमें शामिल हैं - पं. अनिंदा चटर्जी, पं. राजशेखर मंसूर, पं. राम आशीष पाठक, अश्विनी भिड़े, शिवानंद पाटिल, हर्ष चन्द्र भावसर, विदुषी रीता गांगुली, विदुषी पूर्णिमा चौधरी, नरेन्द्र नाथ धर, देब प्रसाद चक्रवर्ती, संजीव अभ्यंतकर, फाल्गुनी मित्र, मोइनुद्दीन खान, कुंवर राजेन्द्र सिंह, जयश्री रमेश पटनेकर, रोनू मजूमदार, तनिमा ठाकुर, देवाशीष भट्टाचार्य, तृप्ति मुखर्जी और शोभा मुद्गल।

### फार्म एंड होम कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से खेत और गृह (फार्म एंड होम) कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो ग्रामीण श्रोताओं के लिए बनाए जाते हैं। गहन खेती और अधिक उपज की किस्मों के कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए देशभर में ज्यादातर आकाशवाणी केन्द्रों में फार्म एंड होम एकांश काम कर रहे हैं।

### परिवार कल्याण

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। वार्तालाप, साक्षात्कार, फीचर, प्रश्नोत्तरी, लघु गीत आदि विभिन्न तरीकों के कार्यक्रम होते हैं। आकाशवाणी के 22 केन्द्रों में परिवार कल्याण एकांश हैं जिनमें एक कार्यक्रम कार्यकारी, एक प्रसारण कार्यकारी (स्क्रिप्ट) और एक फील्ड रिपोर्टर है, जबकि 14 केन्द्रों में क्षेत्र की परिवार कल्याण गतिविधियों के लिए सिर्फ एक फील्ड रिपोर्टर है।

परिवार कल्याण एकांशों वाले आकाशवाणी केन्द्रों में मार्ग निर्देशन के लिए परिवार कल्याण सलाहकार पैनल होता है, जो समय-समय पर कार्यक्रम संबंधी सलाह देता है। इन सलाहों को कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया जाता है। परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम कार्यक्रम को हर वर्ष आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है।

### बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

आकाशवाणी को देशभर में 198 रेडियो स्टेशनों का जाल फैला हुआ है, जहां से अनेक भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। सभी केन्द्र नियमित रूप से बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। महिलाओं और आम श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों में मां और बच्चे के स्वास्थ्य और देखभाल पर जोर दिया जाता है। बाल स्वास्थ्य, जच्चा मृत्यु दर, सबके लिए टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा कार्यक्रम इस प्रसारण का नियमित अंग हैं।

आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्रों से तीन श्रेणी के बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये हैं : 5 वर्ष से कम आयु वर्ग, 5 से 7 वर्ष तथा 8 से 14 वर्ष। ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

बालिकाओं के महत्व और दर्जे पर खास ध्यान देने वाले विभिन्न तरीके के कार्यक्रम, जैसे चर्चा, बातचीत, लघु कहानियां, लघु गीत; स्पाट आदि निरंतर थोड़ी-थोड़ी देर के

बाद प्रसारित किए जाते हैं। इनका प्रसारण सालभर चलता रहता है ताकि समाज में यह जागृति लाई जा सके कि लड़कियों के जन्म का भी उतना ही स्वागत किया जाना चाहिए जितना लड़कों का किया जाता है।

**ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम**

फार्म एंड होम इकाइयों वाले केन्द्रों से सप्ताह में एक बार प्रसारित होने वाले इन कार्यक्रमों में बच्चे हिस्सा लेते हैं—चाहे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हो अथवा नहीं। किशोर संबधी सभी कार्यक्रमों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। अभिप्राय यह है कि संदेश का संदर्भ ग्रामीण परिस्थितियों से मेल खा जाए। सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में बच्चों के अधिकारों पर किशोरों के इन सभी कार्यक्रमों में प्रकाश डाला जाता है।

**महिलाओं के लिए कार्यक्रम**

आकाशवाणी के केन्द्र ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं के कार्यक्रम ऐसे समय पर प्रसारित करते हैं जबकि श्रोता इन्हें सुनने की स्थिति में होते हैं।

महिला श्रोताओं के लिए बनाए कार्यक्रमों में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, वैज्ञानिक गृह प्रबंधन, महिला उद्यमशीलता, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, यौन संबंधी विषयों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। इन कार्यक्रमों में कानूनी जानकारी के जरिए महिलाओं के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के बारे में सामाजिक जागृति पैदा की जाती है।

रूपक : आकाशवाणी के 80 से ज्यादा केन्द्रों से विभिन्न भाषाओं के नाटक प्रसारित किए जाते हैं। बेहतरीन उपन्यासों, लघु कहानियों और मंच के नाटकों के रेडियो रूपांतर भी प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के अनेक केन्द्र मूल नाटकों के अलावा नियमित रूप से परिवारिक ड्रामा प्रसारित करते हैं ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर किया जा सके। वर्तमान सामाजिक-आर्थिक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, पर्यावरण प्रदूषण, बालिकाओं की समस्याओं आदि को उभारने वाले धारावाहिक प्रसारित किए जाते हैं।

खेल : वर्ष 2000-2001 के दौरान आकाशवाणी ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का भारत में व्यापक प्रचार किया। इनमें महत्वपूर्ण हैं :

सिडनी में ग्रीष्म ओलिम्पिक,

ढाका में एशिया कप क्रिकेट,

भारत में भारत बनाम जिम्बाब्वे क्रिकेट शृंखला,

लंदन में विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता,

दिल्ली में डेविस कप प्रतियोगिता,

बंगलौर में एटीपी टूर वर्ल्ड टैनिस प्रतियोगिता,

भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय नेहरू कप फुटबाल टूर्नामेंट,

दिल्ली में विश्व शतरंज प्रतियोगिता आदि

भारत में राष्ट्रीय स्तर के मैचों को भी कवर किया गया। प्रमुख क्रीड़ा स्पर्धाओं, विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण, संक्षिप्त विवरण, वायस कास्ट तथा साक्षात्कार के जरिए लोगों तक पहुंचाए गए।

**राष्ट्रीय चैनल**

18 मई, 1988 को शुरू किया गया आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल सायं 6.50 से प्रातः 6.10 के बीच रात्रि सेवा के रूप में काम करता है। यह देश के 64 प्रतिशत क्षेत्रफल और 76 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंच सकता है। इस चैनल का स्वरूप इस प्रकार रखा गया है कि यह पूरे देश की एकता को दर्शाता हुआ सांस्कृतिक विविधता और मूल्यों का परिचायक बने। चैनल की राष्ट्रीय प्रवृत्ति और कार्यक्रमों की गुणवता को बरकरार करने के लिए सभी प्रकार की रिकार्डिंग देश के विभिन्न कोनों से, आकाशवाणी के विभिन्न स्थानीय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों से निरंतर हासिल की जाती है।

**ईडीपी एकांश**

आई टी योजना बनाने और कम्प्यूटीकरण सबंधित सभी गतिविधियों का दायित्व ईडीपी एकांश पर होता है। आकाशवाणी नेटवर्क में नई अंतरसंबंधी कम्प्यूटर आधारित सेवाओं और साफ्टवेयर विकास आदि का काम भी यह एकांश करता है। इस वर्ष ईडीपी एकांश द्वारा की गई गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

### 1. रायल्टी भुगतान और प्रबंधन प्रणाली

आकाशवाणी केंद्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए विभिन्न फिल्म निर्माताओं को आकाशवाणी रॉएल्टी का भुगतान करती है। पहले सर्वर आधारित रॉएल्टी भुगतान और प्रबंधन प्रणाली का साफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता था। मगर जिस एवीओन प्रणाली पर यह काम किया जाता था, वह पुरानी हो गई थी और अब इसके स्थान पर विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

### 2. सी बी एस केंद्रों में विज्ञापनों के बिल बनाने और समय सूची तय करने का सॉफ्टवेयर

सी बी एस तथा प्राइमरी केन्द्रों पर प्रसारण समय को विभिन्न विज्ञापनदाताओं, एजेंसियों को बेचकर और विज्ञापनों के प्रसारण से आकाशवाणी राजस्व अर्जित करती है। स्पॉट के समय तय करने, रोजाना निर्माण तालिका तैयार करने, बिल बनाने और भुगतान की प्राप्ति पर नजर रखने के लिए एक व्यापक साफ्टवेयर विकसित किया गया है।

### 3. साक्फा आवेदन मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए सॉफ्टवेयर का विकास

आकाशवाणी साक्फा का सदस्य है। इसे संचार अभिप्राय के लिए प्रसारण टावरों और ऊंचे ढांचों के स्थान के लिए विभिन्न संस्थानों (सरकारी तथा निजी) को 'गैर आपत्ति प्रमाणपत्र' जारी करना होता है। साक्फा आवेदनों के प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य आकाशवाणी स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक के संचालन को हर प्रकार के व्यवधान तथा अंतक्षेप से बचाना है जो कि प्रस्तावित नए ढांचे से हो सकता है। विभिन्न कारकों के आधार पर अंतक्षेप की गणना करने वाला सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। आकाशवाणी मुख्यालय के संबंधित अनुभाग द्वारा इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

### 4. ट्रांसमिटिंग वाल्व स्टाक (वी एस ए/वी एस डी) के विश्लेषण और निगरानी का सॉफ्टवेयर

आकाशवाणी के पास पृथ्वी से ट्रांसमिशन करने का व्यापक आधार है। ये ट्रांसमीटर विभिन्न चरणों/स्थितियों में विभिन्न प्रकार के वाल्व इस्तेमाल करते हैं। आकाशवाणी केन्द्रों को हर तीसरे महीने इन वाल्वों के उपयोग और उपलब्धता की रिपोर्ट देनी पड़ती है। इन आंकड़ों को फिर केन्द्रीय स्तर पर इकट्ठा किया जाता है ताकि पूरे नेटवर्क की जरूरत का पता लगाया जा सके इन आंकड़ों के भंडारण के लिए वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास किया गया है। इससे आकाशवाणी केन्द्रों को ऑन-लाइन जानकारी देने में सुविधा होगी।

### आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार

आकाशवाणी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में विभिन्न विषयों और विधाओं के उत्कृष्ट प्रसारणों के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं। यह युववाणी, विशेष विषय, वृत्तचित्र तथा राष्ट्रीय एकता पर लस्सा कौल पुरस्कार देती है। प्रत्येक वर्ग के कार्यक्रमों के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने वाले केन्द्रों को ट्राफियां भी दी जाती हैं।

## दूरदर्शन

### प्रमुख गतिविधियां

- 26 जनवरी 2000 से दूरदर्शन ने नए उपग्रह चैनल-ज्ञान दर्शन की शुरुआत की। यह विशेष शैक्षिक चैनल है, जिसका संचालन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस चैनल बसे प्रात: 5.45 बजे से लेकर रात 9:45 बजे तक 16 घंटे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इनमें अनौपचारिक और पाठ्यक्रम आधारित, दोनों ही तरह के शैक्षिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं।

- पूर्वोत्तर उपग्रह चैनल को 27.12.2000 से 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल बनाया गया।

- कशीर चैनल को परिमर्जित करते हुए 26.1.2000 से 16 घंटे का प्रसारण शुरू किया गया। इससे पहले इस चैनल से दिन में मात्र 2 घंटे का प्रसारण होता था।

- डीडी स्पोर्ट्स चैनल की प्रसारण अवधि जून 2000 से प्रतिदिन 12 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दी गई। 15 सितम्बर 2000 से यह चैनल इन्क्रिप्ट (गोपनीय) हो गया है।

## मुख्य कार्यक्रम

- अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की भारत यात्रा की कवरेज।
- विशिष्ट अधिकार के तहत सिडनी ओलिम्पिक 2000 का सीधा प्रसारण। डीडी स्पोर्ट्स चैनल ने रात-दिन यह प्रसारण किया। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल को इन्क्रिप्ट (गोपनीय) कर दिया गया था।
- दूरदर्शन चैनलों से सिडनी ओलिम्पिक 2000 का 800 घंटे से अधिक का प्रदर्शन ओलिम्पिक प्रसारण के इतिहास में अभूतपूर्व है।
- रेलवे बजट और आम बजट का सीधा प्रसारण
- प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा की विस्तृत कवरेज जिसमें विश्लेषणात्मक कार्यक्रम और खास अंशों का सीधा प्रसारण शामिल था।
- चार राज्यों - हरियाणा, बिहार, उड़ीसा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव परिणामों के विश्लेषण संबंधी कवरेज।
- तूफान पीड़ित उड़ीसा में राहत कार्यों पर आधारित विशेष कार्यक्रम।
- गुजरात के भूकम्पग्रस्त इलाकों की स्थिति को तत्काल और व्यापक रूप से परदे पर दिखाया गया। 26 जनवरी 2001 को दूरदर्शन ने सबसे पहले सुबह 9 बजे भूकम्प की खबर को प्रसारित किया। भूकम्प के चार घंटे के भीतर दूरदर्शन समाचार ने दोपहर 12 बजे विशेष फ्लैश बुलेटिन में भूकम्प स्थल से प्राप्त चित्र, मौसम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक से विशेषज्ञ-टिप्पणी और अहमदाबाद से फोन-इन कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। 12.2.2001 तक हर घंटे/आधा घंटे के अंतराल पर मुख्य समाचारों के रूप में अद्यतन जानकारी लगातार दिखाई जाती रही।

### संगठन

1959 में सबसे पहले दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रम शुरू किए गए। 1972 में ये कार्यक्रम किसी दूसरे शहर से प्रसारित किया जा सके। 1970 के दशक के मध्य तक देशभर में केवल 7 टेलीविजन केन्द्र थे। 1976 में टेलीविजन को रेडियो से अलग किया गया और दूरदर्शन विभाग की स्थापना हुई। 1982 में राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए और उसके बाद से दूरदर्शन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके साथ ही देशभर में कई ट्रांसमीटर और कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किए गए।

दूरदर्शन का शीर्ष अधिकारी महानिदेशक है। दूरदर्शन के इंजीनियरी विभाग का प्रमुख इंजीनियर-इन-चीफ (प्रधान इंजीनियर) है। वह इसके हार्डवेयर अर्थात् मशीनों, उपकरणों इत्यादि के रखरखाव और विस्तार के लिए जिम्मेदार है। दूरदर्शन महानिदेशक के सहयोग के लिए कार्यक्रम विभाग में कई उपमहानिदेशक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। प्रशासन विभाग का प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक और वित्त विभाग का प्रमुख उपमहानिदेशक होता है।

### दूरदर्शन चैनल

दूरदर्शन 21 चैनलों के जरिए अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है, इनमें 5 अखिल भारतीय चैनल, 11 क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल (आर एल एस सी), चार राज्य नेटवर्क (एस.एन.) और एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल शामिल है।

### राष्ट्रीय नेटवर्क

| | | |
|---|---|---|
| डीडी-1 | - | राष्ट्रीय चैनल |
| डीडी-2 | - | मेट्रो मनोरंजन चैनल |
| डीडी स्पोर्ट्स | - | उपग्रह खेल चैनल |
| डीडी न्यूज | - | उपग्रह आधारित समाचार और समसामयिक घटनाओं का चैनल |
| डीडी ज्ञान दर्शन | - | शैक्षिक टी.वी. चैनल, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। |

**क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल**

डीडी-4 - आर एल एस सी-मलयालम

डीडी-5 - आर एल एस सी-तमिल : पोडिगई

डीडी-6 - आर एल एस सी-उड़िया

डीडी-7 - आर एल एस सी-बांग्ला

डीडी-8 - आर एल एस सी-कन्नड़ : चंदन

डीडी-10 - आर एल एस सी-मराठी : सहयाद्रि

डीडी-11 - आर एल एस सी-गुजराती

डीडी-12 - आर एल एस सी-कश्मीरी (डीडी के श्रीनगर)

डीडी-13 - आर एल एस सी-असमिया और पूर्वोत्तर की भाषाएं

डीडी-18 - आर एल एस सी-पंजाबी

**राज्य नेटवर्क**

डीडी 14 - एस एन-राजस्थान

डीडी-15 - एस एन-मध्य प्रदेश

डीडी-16 - एस एन-उत्तर प्रदेश

डीडी-17 - एस एन-बिहार

**अंतर्राष्ट्रीय**

डीडी वर्ल्ड - अंतर्राष्ट्रीय सेवा

डीडी-1 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर 24 घंटे प्रसारण का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सूचनात्मक, शैक्षिक और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। डीडी-मेट्रो की स्थापना मनोरंजन चैनल के रूप में की गई है। इसलिए इसके कार्यक्रमों में मनोरंजन पर बल दिया जाता है। इसके लिए स्तरीय मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम खरीदने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में इस चैनल के मनोरंजन कार्यक्रमों में विविध विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। मेट्रो चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में जासूसी धारावाहिक, कथा साहित्य, प्रहसन, प्रतिभा मूल्यांकन कार्यक्रम (टेलेंट हंट शो), टेलीशापिंग, प्राइवेट एलबम के साथ मिले-जुले कार्यक्रम तथा फिल्मी गीत, पारिवारिक नाटक, बच्चों के लिए कठपुतली नाच, एनीमेशन, वार्तालाप कार्यक्रम, युवाओं के लिए कार्यक्रम, समाचार आधारित कार्यक्रम, हलका संगीत, भक्ति सगीत आदि शामिल हैं।

अन्य प्रतिद्वंद्वी चैनलों द्वारा लगातार दी जा रही चुनौती का सामना करने के लिए मेट्रो चैनल के कार्यक्रमों में सुधार लाने की एक व्यापक योजना पर वर्ष के दौरान अमल किया गया और इसमें पर्याप्त सफलता मिली। इसके अंतर्गत शाम 7 से 9 बजे और रात 9 से 10 बजे तक के बैंड पर दिखाए जाने के लिए बेहतर कार्यक्रम जुटाने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करना शामिल था। परिणामस्वरूप इस चैनल के स्वरूप में सुधार हुआ और यह उच्च गुणवत्ता साफ्टवेयर (कार्यक्रम) खरीदने में सफल रहा। सुधार योजना के तहत शिशुओं के लिए स्पेशल टाइम बैंड की शुरुआत की गई, जिसमें बीबीसी का विशेष कार्यक्रम, 'टेलीट्यूबीज' आरंभ किया गया और साथ ही बच्चों के कार्यक्रमों के लिए 2 घंटे का बैंड कायम किया गया।

इसकी छवि मनोरंजन चैनल की बनाए रखने के लिए 'फिल्म निर्माण' से जुड़े अनेक कार्यक्रम दिखाए गए, जिनमें अच्छी आमदनी हुई और पर्याप्त मनोरंजन भी हुआ। श्रोताओं को हर रोज (सोमवार से शुक्रवार तक) एक घंटे का शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम भी दिखाया गया। यह कार्यक्रम डिस्कवरी चैनल द्वारा उपलब्ध कराए गए साफ्टवेयर के माध्यम से प्रसारित किया गया।

**समाचार और सामयिक घटनाक्रम**

डीडी-इंटरनेशनल के जरिये दुनियाभर में ताजा खबरें प्रदर्शित करने के लिए दूरदर्शन अपने दिल्ली मुख्यालय से 'हेडलाइंस' सहित 25 समाचार बुलेटिन हर रोज प्रसारित करता है। दूरदर्शन सी.एन.बी. और ए.बी.यू. को भी प्रतिदिन समाचार कैप्सूल देता है।

सामयिक घटनाओं पर आधारित कर्यक्रम की पहले से जारी शृंखलाओं के अतिरिक्त मार्च 2001 के अंतिम सप्ताह में डीडी न्यूज चैनल पर एक प्रमुख व्यापारिक कार्यक्रम 'बिजनेस शो' शुरू होने जा रहा है। डीडी न्यूज वेबसाइट के लिए पंजीकरण 27.2.2001 को कराया गया। 28 फरवरी, 2001 को वित्त मंत्री का बजट भाषण सीधे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया, जिसे इंटरनेट पर करीब 7.5 लाख उपभोक्ताओं ने हासिल किया।

# भारत

वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क

( दिसम्बर 31, 2000 की स्थिति के अनुसार )

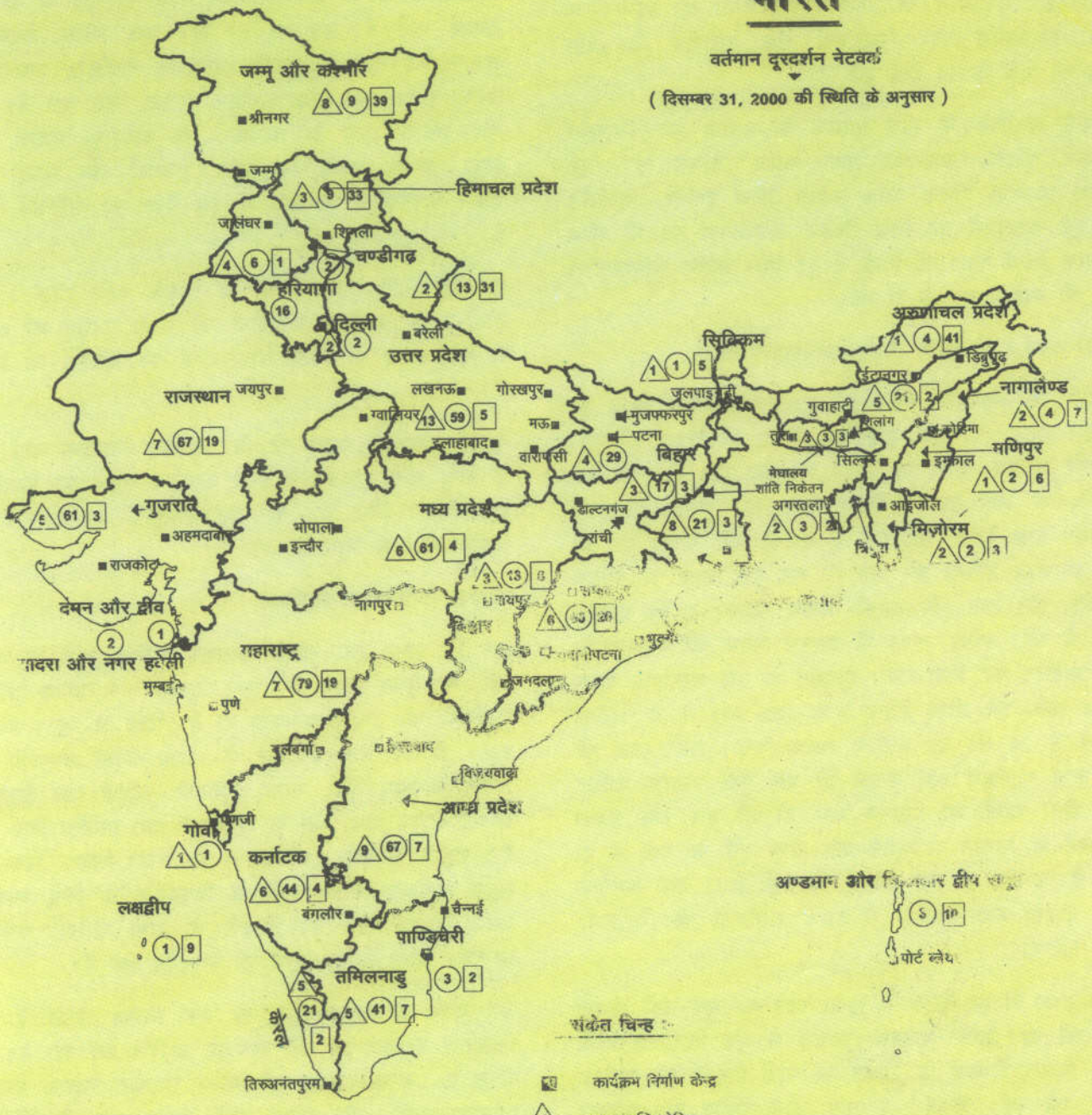

### डीडी स्पोर्ट्स चैनल

दूरदर्शन का उपग्रह खेल चैन डीडी स्पोर्ट्स न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी करोड़ों खेल प्रेमियों की जरूरतें पूरी करता है। पीएएस-4 पर उपलब्ध इस चैनल की पहुंच मध्य पूर्व, सीआइएस और निकटवर्ती क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र और अफ्रीकी क्षेत्रों के 34 देशों तक है।

सिडनी ओलंपिक के सीधे प्रसारण के अलावा भारत-जिम्बाब्वे क्रिकेट शृंखला, आईसीसी नाक आउट, डेविस कप, यूरो 2000 फुटबाल, गोल्ड फ्लेक ओपन टेनिस टूर्नामेंट, न्यूजीलैंड में हुई महिलाओं की विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता का भी सीधा प्रसारण किया गया। नई दिल्ली में हुई विश्व शतरंज चैम्पियनशिप को भी व्यापक कवरेज दी गई।

### डीडी वर्ल्ड (जो पहले डीडी-इंटरनेशनल था)

दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत 1 मार्च, 1995 को एशिया सैट-1 पर एक ट्रांसपोंडर किराए पर लेकर की गई। आरम्भ में इस चैनल पर सप्ताह में पांच दिन तीन घंटे की अवधि के लिए प्रसारण किया जाता था। जुलाई 1996 में दूरदर्शन द्वारा पैनामा सैट (पी ए एस-4 और पी ए एस-1) पर ट्रांसपोंडर हासिल कर लेने के बाद इस चैनल पर प्रसारण प्रतिदिन होने लगा और उसकी अवधि बढ़ाकर 4 घंटे प्रतिदिन कर दी गई। नवंबर 1996 में प्रसारण समय को बढ़ाकर 18 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। दूरदर्शन के इस अंतर्राष्ट्रीय चैनल (उस समय इसे डीडी इंडिया कहा जाता था) ने 27 दिसंबर 1999 से 24 घंटे का प्रसारण आरंभ किया। इसमें आठ घंटे के ताजा कार्यक्रम और उनका दो बार पुनः प्रसारण शामिल है। डीडी वर्ल्ड का प्रसारण अब डी टी एच और केबल नेटवर्कों के माध्यम से यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मई 2001 तक अमरीका और कनाडा तथा अफ्रीका में इसके कार्यक्रमों का (प्रसारण) होने लगेगा।

मार्च 2000 में इस चैनल में सुधार लाने की एक बड़ी योजना शुरू की गई। कठिन परिश्रम (स्वाट) से एक विश्लेषण किया गया, जिसके निष्कर्षों के आधार पर भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई। चैनल का नाम डीडी-इंडिया से बदलकर डीडी वर्ल्ड रखा गया ताकि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को व्यक्त किया जा सके। तीन जुलाई, 2000 से 24 घंटे के इस चैनल से हर रोज 16 घंटे ताजा कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया गया।

इसके कार्यक्रमों का लक्ष्य भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना है। इस चैनल से पांच समाचार बुलेटिन, प्रासंगिक घटनाओं पर फीचर और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वार्तालाप दिखाए जाते हैं। इस पर हर रोज एक फीचर फिल्म के अलावा कई तरह के भारतीय मनोरंजक कार्यक्रम, धारावाहिक, नाटक, संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों के अतिरिक्त पंजाबी, उर्दू, तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम भी इस चैनल का अनिवार्य हिस्सा हैं।

एक नई नीति तय की गई है जिसके तहत डीडी-1 और डीडी-2 के प्रायोजित कार्यक्रमों को उनके प्रदर्शन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर डीडी-वर्ल्ड पर दिखाया जा सकता है।

जुलाई 2000 में आधा घंटे के साप्ताहिक कार्यक्रम योर्स ट्रूली के साथ यानी दूरदर्शन ने स्वयं कार्यक्रम बनाने का सिलसिला शुरू किया। इवेन्ट बैंड के लिए कार्यक्रमों का घरेलू निर्माण नियमित रूप से किया जा रहा है।

### शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम

ज्ञान के प्रसार द्वारा लोगों, खासकर उपेक्षित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए दूरदर्शन ने हमेशा शैक्षिक कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी है। दिल्ली से स्कूल प्रसारण 1961 में ही शुरू हो गए थे। राज्य शिक्षा संस्थानों द्वारा निर्मित कार्यक्रम हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया और तेलुगू में सम्बद्ध क्षेत्रीय भाषा जोन के ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय नेटवर्क (डीडी-1) से उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्कूल कार्यक्रम विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए आबंटित समय दिखाए जाते हैं। नेटवर्क के सभी शैक्षिक कार्यक्रम ज्ञानदर्शन चैनल के कार्यक्रमों की अनुकृति होते हैं।

ज्ञान दर्शन : यह दूरदर्शन का एक विशिष्ट चैनल है, जो फिलहाल लगातार 24 घंटे कार्यक्रम प्रदर्शित कर रहा है। यह चैनल 26 जनवरी 2000 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से शुरू किया गया था। इसके कार्यक्रम का दायरा व्यापक है, जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय) के स्तरों, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला, पर्यटन आदि विषयों से सम्बद्ध

कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शैक्षिक संचार संकाय (यूजीसी/सीईसी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान/राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी/एसआईईटी), नेशनल ओपन स्कूल (एनओएस), प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साफ्टवेयर आदि में शामिल मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

विभिन्न समूहों के शिक्षार्थियों को लक्ष्य मानकर पाठ्यक्रम आधारित और व्यवसाय आधारित कार्यक्रमों तथा कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि विषयों से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रसारण समय के बीच संतुलन कायम किया जाता है ताकि बड़े पैमाने पर विभिन्न आयु-समूहों की जरूरतें पूरी की जा सकें। यह चैनल विदेशी स्रोतों से प्राप्त कार्यक्रमों के जरिए 'विंडो टू द वर्ल्ड' यानी 'विश्व की झांकी' भी दर्शाता है। इस चैनल की बेजोड़ विशेषता यह है कि इसमें उच्च स्तरीय 'पारम्परिक सम्पर्क' की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जिससे शिक्षार्थी 'फोन इन' के माध्यम से विशेषज्ञों से सम्पर्क करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। यह भारत का प्रथम शैक्षिक चैनल है।

### क्षेत्रीय कार्यक्रम

सभी दूरदर्शन केन्द्र अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करते हैं। पहले प्रमुख केन्द्रों से एक सप्ताह में लगभग 25 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते थे। उन्हें 10 घंटे अवधि के कार्यक्रम और प्रसारित करने का विकल्प दे दिया गया है। क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है और विशिष्ट दर्शकों जैसे महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पर्यावरण जैसे विषयों पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मनोरंजन प्रधान कार्यक्रमों में धारावाहिक, फीचर फिल्में, नृत्य और गीत संगीत के कार्यक्रम शामिल हैं। उपग्रह अपलिंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाने से अब सभी बड़े राज्यों में दर्शकों को एक समान कार्यक्रम दिखाना सम्भव हो गया है।

### क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल

क्षेत्रीय केन्द्रों के अतिरिक्त निम्नांकित क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल भी कार्यरत हैं। ये चैनल क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रदर्शित क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम दिखाते हैं और इनके कार्यक्रमों के समुचित डिश-एंटीना प्रणाली की मदद से देश में कहीं भी देखा जा सकता है।

डीडी-4 आरएलएससी -मलयालम

डीडी-5 आरएलएससी-तमिल पोड़िगई

डीडी-6 आरएलएससी -उड़िया

डीडी-7 आरएलएससी -बंगाली

डीडी-8 आरएलएससी -तेलुगु

डीडी-9 आरएलएससी -कन्नड़ : चंदन

डीडी-10 आरएलएससी -मराठी -सहयाद्रि

डीडी-11 आरएलएससी -गुजराती

डीडी-12 आरएलएससी -कश्मीरी (डीडीके श्रीनगर)

डीडी-13 आरएलएससी -असमिया और पूर्वोत्तर की भाषाएं

डीडी-18 आरएलएससी -पंजाबी

### फिल्में

डीडी-1 और डीडी-2 पर हिन्दी फीचर फिल्मों के प्रदर्शन के लिए 1999 से एक नई फिल्म नीति लागू की गई ताकि इन चैनलों की लोकप्रियता बढ़ाई जा सके और अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जा सके। इस नीति के तहत निर्माताओं को न्यूनतम गारंटी/प्रायोजन के आधार पर फिल्में देने के लिए आमंत्रित किया गया। वर्ष 2000-2001 के दौरान श्रोताओं को बेहद आकर्षित करने वाली फिल्में जैसे 'प्यार तो होना ही था', 'दिल से', 'मस्त', 'चाइना गेट', 'अंदाज अपना-अपना', 'जख्म', 'बड़े मियां छोटे मियां' आदि दूरदर्शन पर दिखाई गईं। जिनमें श्रोताओं ने रुचि ली और दूरदर्शन को काफी राजस्व प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं की पुरस्कार विजेता फिल्मों को प्रदर्शित न करने के फैसले की समीक्षा की गई और उनका प्रदर्शन 4.3.2001 से पुनः प्रारम्भ हो गया। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के अलावा दूरदर्शन हर शुक्रवार को डीडी-2 पर अंग्रेजी फिल्में भी प्रदर्शित करता है। सामाजिक विषयों पर फिल्में दिखाने के प्रयास किए जाते हैं।

### विज्ञापन सेवा

दूरदर्शन पर व्यावसायिक विज्ञापनों का प्रसारण 1 जनवरी, 1976 से शुरू हुआ। वाणिज्यिक सेवा विज्ञापनों संबंधी कार्यों के अलावा विज्ञापन समय के बिल बनाने, विज्ञापन राशि की वसूली करने, प्रायोजन दर, प्रसारण शुल्क, कार्यक्रम समय की

दर (स्पाटरेट) आदि निर्धारित करने तथा न्यूनतम गारंटी कार्यक्रम तय करने का काम भी करती है। पिछले 9 वर्षों में दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

| वर्ष | सकल राजस्व करोड़ रुपए में |
|---|---|
| 1992-93 | 360.23 |
| 1993-94 | 372.98 |
| 1994-95 | 398.02 |
| 1995-96 | 430.13 |
| 1996-97 | 572.72 |
| 1997-98 | 490.15 |
| 1998-99 | 399.32 |
| 1999-2000 | 610.29 |
| 2000-2001 | 650.00 (लक्ष्य) जनवरी 2001 तक 480 करोड़ रुपए वसूल किए गए) |

दूरदर्शन सामान और सेवाओं के लिए विज्ञापनों का प्रसारण करता है किन्तु विज्ञापन को एक व्यापक आचार संहिता को ध्यान में रखकर स्वीकृति दी जाती है, किन्तु सिगरेट, तम्बाकू, उत्पादों, शराब और अन्य मादक पदार्थों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाते। लेकिन सरगिट (प्रतिनियुक्त) विज्ञापन की अनुमति है।

आमतौर पर हिन्दी भाषा के विज्ञापनों को राष्ट्रीय नेटवर्क पर दर्शाया जाता है जबकि क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापन क्षेत्रीय केन्द्रों पर दिखाए जाते हैं। पंजीकृत और मान्यता प्राप्त एजेंसियों से ही आमतौर पर बुकिंग स्वीकार की जाती है। सभी एजेंसियों को 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। प्रत्यापित (मान्यता प्राप्त) एजेंसियों को बाद में भुगतान करने की सुविधा है, जबकि पंजीकृत एजेंसियों को अग्रिम भुगतान करना होता है।

## लोक सेवा संचार परिषद

लोक सेवा संचार परिषद एक नि:शुल्क परामर्शदात्री संस्था है जिसमें जनसंचार, विज्ञापन, विपणन, अनुसंधान, समाचारपत्र तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका गठन दूरदर्शन की पहल पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति से 1987 में किया गया था। इसका उद्देश्य दूरदर्शन की एक सलाहकार समिति के रूप में काम करना था ताकि वह भारत में जनसेवा संचारकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इसका गठन अमरीका की एड काउंसिल की तर्ज पर किया गया था।

इस परामर्शदात्री संस्था का मुख्य लक्ष्य फिल्मों, खेलों आदि के जरिए जनसेवा संदेश देने वाले ऐसे विज्ञापनों के निर्माण को बढ़ावा देना है, जिनका प्रसारण टेलीविजन, रेडियो और अन्य संचार माध्यमों से किया जा सके। साथ ही इसका लक्ष्य जनहित के मुद्दों जागरूकता बढ़ाकर सामाजिक लक्ष्य के प्रति लोगों की भागीदारी में इजाफा करना है।

इस लक्ष्य के लिए जून 1995 में लोकसेवा संचार परिषद ने फोर्ड फाउंडेशन के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि लोकसेवा संचार परिषद-दूरदर्शन के संयुक्त तत्वावधान में 'जनसेवा संचारात्मक पहल (पीएससीआई) की जा सके। इस ज्ञापन की शर्तों के अनुसार यह तय किया गया कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डाक्युमेंट्री फिल्म (वृत्त चित्र) निर्माताओं से निम्नांकित तीन विषयों पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएं :

(क) पर्यावरण
(ख) सामाजिक न्याय
(ग) महिलाओं से जुड़े मुद्दे

पहले चरण में 124 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 13 प्रस्ताव मंजूर किए गए। मार्च 99 से दिसम्बर, 99 के बीच दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर 11 कार्यक्रम प्रदर्शित किए जा चुके हैं। अन्य दो कार्यक्रम दिसम्बर 2000 में प्राप्त हुए हैं जो चालू वर्ष में दिखाए जाएंगे। लोक सेवा संचार परिषद राष्ट्रीय नेटवर्क पर नियमित प्रदर्शन के लिए जनसेवा संदेशों से सम्बद्ध क्विकीज/स्पॉट्स के प्रसारण में भी योगदान करती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं : मशाल कैपसूल (टॉर्च कैपसूल), स्वाधीनता दौड़ (फ्रीडम रन), एक सुर (वन ट्यून), राग देश (बड़े और छोटे संस्करण) गांधीजी, सुरक्षा, कार दुर्घटना, नगर पालिका की सेवा आपकी सेवा, जल आदि से सम्बन्धित फिल्म क्षणिकाएं।

## दर्शक अनुसंधान

दर्शक अनुसंधान इकाइयां दर्शकों की रुचि का अध्ययन करती हैं और दृश्य मीडिया के प्रति उनकी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करती हैं, जिससे दूरदर्शन कार्यक्रमों के विकास और आयोजना में मदद मिलती है। दूरदर्शन के 19 केन्द्रों में दर्शक

अनुसंधान एकांश स्थापित किए गए हैं, जो इन केन्द्रों के प्रमुखों को उनके द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रमों के बारे में मात्रात्मक एवं गुणात्मक फीडबैक उपलब्ध कराते हैं। दूरदर्शन अनुसंधान कार्य का निदेशालय स्तर पर समन्वय किया जाता है।

प्रसार भारती ने दूरदर्शन के सभी चैनलों के बारे में साप्ताहिक आधार पर 27 शहरों और 15 बाजारों के दर्शकों से सम्बन्धित आंकड़े खरीदने के लिए टीएएम (टैम) मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि विज्ञापनदाताओं को दूरदर्शन कार्यक्रम रेटिंग लगातार उपलब्ध कराई जाती रहे, क्योंकि विज्ञापनदाता टीएएम (टैम) रेटिंग में दिलचस्पी रखते हं। विज्ञापन से प्राप्त राजस्व बढ़ाने के लिए 'आईएनटीएएम रेटिंग्स' प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

## ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लिमिटेड (बेसिल)

ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड का गठन 1995 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 250 लाख की अधिकृत राशि के साथ भारत सरकार के उपक्रम के रूप में किया गया। इसे भुगतान की गई रु. 36.5 लाख की राशि इक्विटी के रूप में पूरी तरह भारत सरकार के पास है। ध्वनि-विज्ञान, ऑडियो तथा वीडियो प्रणालियों, उपग्रह अपलिंकिंग तथा डाउन लिंकिंग, वीडियो कांफ्रेसिंग, आई.एस.पी. गेटवे आदि विभिन्न क्षेत्रों में यह कम्पनी परामर्श और टर्नकी काम करती है। यह कम्पनी आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के साथ मिलकर अनुभव का लाभ उठाती है और ए एम/एफएम प्रसारण केन्द्रों, टी.वी. और उपग्रह केन्द्रों के निर्माण संबंधी लचीले तैयार समाधान देती है।

ज्ञापन और संधि के नियमों के अनुसार बेसिल की गतिविधियां पूरी तरह व्यवसायिक क्षेत्र की हैं। इस कम्पनी को कोई बजट सहयोग नहीं मिलता। सिर्फ गठन के समय इसे इक्विटी तथा ऋण सहायता दी गई थी।

मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रणाली के जरिए हासिल किए गए परामर्श और टर्न-की कार्यों से होने वाली कमाई और खर्चे से कम्पनी का बजट बनता है। इसकी योजना में भी यही काम आते हैं।

### निष्पादन

24 मार्च, 1995 को अपने गठन के बाद से बेसिल ने काफी प्रगति की है और निजी व सार्वजनिक प्रसारकों और अन्य एजेंसियों के लिए भारत और विदेशों में अनेक काम किए हैं। अपनी शुरूआत से ही कम्पनी, सरकार को लाभांश का भुगतान कर रही है।

31 अक्तूबर, 2000 को समाप्त अवधि के दौरान चालू वित्त वर्ष में कम्पनी ने 965.76 लाख रु. का कारोबार किया जिसके 31 मार्च, 2001 तक बढ़कर 2,400 लाख रु. तक पहुंचने की आशा है।

### संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रमुख अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक है। निदेशक मंडल इसकी व्यवसायिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक (संचालन और विपणन) तथा चार सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। कम्पनी के अन्य कार्मिकों में वरिष्ठ कार्यकारी जैसे संयुक्त महाप्रबंधक तथा प्रबंधक, सहयोगी कर्मचारी और परामर्शदाता शामिल हैं।

### संचालन का उद्देश्य

इस वर्ष के दौरान कम्पनी के संचालन का मुख्य उद्देश्य प्रसारण इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और टर्नकी परियोजनाओं को पूरा करना रहा।

परिशिष्ट-I

# आकाशवाणी की वर्ष 2000-2001 के दौरान चालू की गई परियोजनाएं

## नए आकाशवाणी केंद्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | मोन (नगालैंड) | सीआरएस 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर | 10.06.2000 |
| 2. | त्वेनसांग (नगालैंड) | सीआरएस 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर | 10.06.2000 |
| 3. | नोंगस्टांग (मेघालय) | सीआरएस 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर | 10.06.2000 |
| 4. | सैहा (मिज़ोरम) | सीआरएस 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर | 13.06.2000 |
| 5. | विलियम नगर (मेघालय) | सीआरएस 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर | 01.07.2000 |
| 6. | ज़िरो (अरुणाचल प्रदेश) | एलआरएस 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर | 10.06.2000 |
| 7. | तेजपुर (असम) | 20 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर | 01.07.2000 |
| 8. | कोडईकनाल (तमिलनाडु) | 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर | 01.07.2000 |
| 9. | चमोली (उत्तरांचल) | 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर और स्टूडियो | 07.02.2001 |

## ट्रांसमीटर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | दिल्ली (खामपुर) | 250 कि.वा. शॉ.वे. ट्रांसमीटर (50 कि.वा. शॉ.वे. ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाई गई) | 26.05.2000 |
| 11. | दिल्ली (खामपुर) | 250 कि.वा. शॉ.वे. ट्रांसमीटर (50 कि.वा. शॉ.वे. ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाई गई) | 26.05.2000 |
| 12. | कोयंबटूर (तमिलनाडु) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टूडियो (विविध भारती का नया चैनल) | 15.08.2000 |
| 13. | लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टूडियो (स्टीरियो चैनल) | 20.08.2000 |
| 14. | जमशेदपुर (झारखंड) | 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टूडियो (नया वि.भा. चैनल) | 03.09.2000 |
| 15. | कठुआ (जम्मू-कश्मीर) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (वि.भा.) (6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर को बदला गया) | 13.11.2000 |
| 16. | बंगलौर (कर्नाटक) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (1 कि.वा. मी.वे.. ट्रांसमीटर को बदला गया) | 29.11.2000 |
| 17. | त्रिची (तमिलनाडु) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (वि.भा.) (1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला गया) | 10.01.2000 |
| 18. | तवांग (अरुणाचल प्रदेश) | 10 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (स्थायी संरचना) | 11.12.2000 |

## अन्य परियोजनाएं

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. | दिल्ली | क्षेत्रीय कार्यशाला | 11.12.2000 |
| 20. | मुंबई | क्षेत्रीय कार्यशाला | 29.08.2000 |
| 21. | चेन्नई | क्षेत्रीय कार्यशाला | 03.07.2000 |

## कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | भुवनेश्वर (उड़ीसा) | क्षे.क.प्र.सं. (अ) | 17.07.2000 |

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित परियोजनाओं को शीघ्र ही चालू कर लिए जाने की संभावना है:

| | | |
|---|---|---|
| 23. | सिलीगुड़ी (पं. बंगाल) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टूडियो (नया वि.भा. चैनल) |
| 24. | मुंबई (महाराष्ट्र) | 5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (दूसरा चैनल) |
| 25. | बंगलौर | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्टीरियो चैनल) |
| 26. | श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (वि.भा.) (1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला गया) |

## मार्च 2001 तक तकनीकी रूप से तैयार हो जाने वाली परियोजनाएं:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सोरो | एल.आर.एस. 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर |
| 2. | शांतिनिकेतन | एल.आर.एस. 3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर |
| 3. | हिम्मतनगर | एल.आर.एस. 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर |
| 4. | राजगढ़ (म.प्र.) | एल.आर.एस. 3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर |
| 5. | सिलचर | 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला जा रहा है) |
| 6. | तुरा | 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला जा रहा है) |
| 7. | आईजोल | 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला जा रहा है) |
| 8. | रत्नागिरि | 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला जा रहा है) |
| 9. | तिरुनेलवेल्लि | 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला जा रहा है) |
| 10. | चेन्नई | 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर को बदला जा रहा है) |
| 11. | इंफाल | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्टीरियो चैनल) |
| 12. | अगरतला | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्टीरियो चैनल) |
| 13. | राजकोट 'बी' (गुजरात) | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर वि.भा. को बदला जा रहा है) |
| 14. | वडोदरा | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर वि.भा. को बदला जा रहा है) |
| 15. | तिरुपति | 3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर |

## दूरदर्शन

परिशिष्ट-II

## वर्ष 2000-2001 के दौरान चालू की गई परियोजनाएं (01.04.2000 से 31.12.2000)

| राज्य | | स्थान |
|---|---|---|
| **आंध्र प्रदेश** | | |
| | उ.श.ट्रां. | राजामुंदरी (स्थायी) |
| | उ.श.ट्रां | आत्माकुर (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां | बोब्बिली |
| | उ.श.ट्रां | देवराकोंडा |
| | उ.श.ट्रां | मधिरा (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां | पेडांडिपट्टु (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां | तेक्काली |
| | उ.श.ट्रां | उदयगिरि |
| | उ.श.ट्रां | वेलदांडा |
| | उ.श.ट्रां | विनूकोंडा |
| **असम** | | |
| | उ.श.ट्रां | गुवाहाटी (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां | सिलचर (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | बोकाखाट |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | |
| | अ.अ.श.ट्रां. | तुतिंग |
| **बिहार** | | |
| | उ.श.ट्रां | पटना (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | रोसड़ा |
| **छत्तीसगढ़** | | |
| | स्टूडियो | जगदलपुर |
| **गुजरात** | | |
| | अ.श.ट्रां | व्यारा |
| **हरियाणा** | | |
| | अ.श.ट्रां. | फिरोजपुर झिरका |
| | अ.श.ट्रां. | करनाल (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | महेन्द्रगढ़ |
| | अ.श.ट्रां. | टोहाना |
| | अ.श.ट्रां. | यमुना नगर (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | भिवानी (डीडी-2) |
| **हिमाचल प्रदेश** | | |
| | उ.श.ट्रां. | शिमला (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | मंडी (डीडी-2) |
| | अ.अ.श.ट्रां. | आशापुरी |
| **जम्मू और कश्मीर** | | |
| | उ.श.ट्रां. | श्रीनगर (कशीर चैनल) |
| | अ.श.ट्रां. | कठुआ (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | पुंछ |
| | अ.अ.श.ट्रां. | असमुकम |
| | अ.अ.श.ट्रां. | बोध खुरबू |
| | अ.अ.श.ट्रां. | चुमथांग |
| | अ.अ.श.ट्रां. | लोलाब घाटी |
| | अ.अ.श.ट्रां. | हीरानगर |
| | अ.अ.श.ट्रां. | कंगन |
| | अ.अ.श.ट्रां. | तुर्तुक |
| **झारखंड** | | |
| | स्टूडियो | रांची (क्षमता बढ़ाई जाएगी) |
| | उ.श.ट्रां. | रांची (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | बरहरवा |
| | अ.अ.श.ट्रां. | गढ़वा (डीडी-2) |
| **कर्नाटक** | | |
| | उ.श.ट्रां. | हासन |
| | अ.श.ट्रां. | डांडेली |
| | अ.श.ट्रां. | हिरियूर |
| | अ.श.ट्रां | होसदुर्ग |
| | अ.अ.श.ट्रां. | बादामी |
| **केरल** | | |
| | उ.श.ट्रां. | कोच्चि (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | तिरुअंतपुरम् (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां | पाला |
| **मध्य प्रदेश** | | |
| | स्टूडियो | ग्वालियर |
| | स्टूडियो | इंदौर |
| | उ.श.ट्रां | भोपाल (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | इंदौर (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | बड़वानी |
| | अ.श.ट्रां. | करैरा |
| | अ.श.ट्रां. | कुक्षी |
| | अ.श.ट्रां. | मुलताई |
| **महाराष्ट्र** | | |
| | उ.श.ट्रां. | नागपुर (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | अकलकोट |
| | अ.श.ट्रां. | भंडारा (डीडी-2) |

| राज्य | | स्थान |
|---|---|---|
| | अ.श.ट्रां. | दरियापुर |
| | अ.श.ट्रां. | खानापुर |
| | अ.श.ट्रां. | मेगलवेढ़ा |
| | अ.श.ट्रां. | फलटन |
| | अ.श.ट्रां. | फुलगांव |
| **मणिपुर** | | |
| | अ.अ.श.ट्रां. | झिरीबाम (डीडी-2) |
| **मेघालय** | | |
| | अ.श.ट्रां. | तुरा (डीडी-2) |
| | एक्सर | शिलांग |
| **मिजोरम** | | |
| | एक्सर | आईजोल |
| **नगालैंड** | | |
| | अ.श.ट्रां. | मोकोकचुंग (डीडी-2) |
| **उड़ीसा** | | |
| | स्टूडियो | भवानीपटना |
| | उ.श.ट्रां. | संबलपुर (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | बलियापाल (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | केंद्रपाड़ा (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | तिरतोल (डीडी-2) |
| | अ.अ.श.ट्रां. | जयापटना |
| | अ.अ.श.ट्रां. | काशीपुर |
| | अ.अ.श.ट्रां. | लांजीगढ़ |
| | अ.अ.श.ट्रां. | मछकुंड |
| | अ.अ.श.ट्रां. | पैकामाल |
| | अ.अ.श.ट्रां. | सुकिंडा |
| **राजस्थान** | | |
| | उ.श.ट्रां. | जयपुर (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | जोधपुर (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | बाली |
| | अ.श.ट्रां. | कुशलगढ़ |
| | अ.श.ट्रां. | मकराना |
| | अ.श.ट्रां. | नागर |
| | अ.श.ट्रां. | नवलगढ़ |
| | अ.श.ट्रां. | तारानगर |
| | अ.अ.श.ट्रां. | लक्ष्मणगढ़ |

| राज्य | | स्थान |
|---|---|---|
| **तमिलनाडु** | | |
| | उ.श.ट्रां. | मद्रास (पोड़िगई चैनल) |
| | अ.श.ट्रां. | चिदंबरम |
| | अ.श.ट्रां | देकांनिकोट्टा |
| | अ.श.ट्रां | नट्टम |
| | अ.श.ट्रां | पेरानामपेट |
| | अ.श.ट्रां | वंदवासी |
| | अ.अ.श.ट्रां | गिंगी |
| | अ.अ.श.ट्रां. | मेट्टूपलायम |
| **त्रिपुरा** | | |
| | उ.श.ट्रां. | अगरतला (डीडी-2) |
| **उत्तर प्रदेश** | | |
| | उ.श.ट्रां. | आगरा (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | इलाहाबाद (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | लखनऊ (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | वाराणसी (डीडी-2) |
| | उ.श.ट्रां. | गोरखपुर (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | दूधिनगर |
| | अ.श.ट्रां. | लालगंज (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | मथुरा (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | रासरा (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | तालबेहट |
| **उत्तरांचल** | | |
| | उ.श.ट्रां. | मसूरी (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | डाक पत्थर |
| | अ.श.ट्रां. | कालागढ़ |
| | अ.अ.श.ट्रां. | बद्रीनाथ |
| **पश्चिम बंगाल** | | |
| | उ.श.ट्रां. | कोलकाता (बांग्ला चैनल) |
| | उ.श.ट्रां. | कृष्णानगर (अंतरिम) |
| | उ.श.ट्रां. | मुर्शिदाबाद (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | बलरामपुर |
| | अ.श.ट्रां. | बसंती (डीडी-2) |
| | अ.श.ट्रां. | गढ़बेटा |
| | अ.श.ट्रां. | कूच बिहार |

परिशिष्ट-III

## दूरदर्शन नेटवर्क ( 31.12.2000 को )

| क्र. सं. | राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश | स्टूडियो | प्राथमिक चैनल (डीडी-1) ट्रांसमीटर | | | | | मेट्रो चैनल (डीडी-2) ट्रांसमीटर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उ.श.ट्रां. | अ.श.ट्रां. | अ.अ.श.ट्रां. | ट्रांसपोंडर | कुल | उ.श.ट्रां. | अ.श.ट्रां. | अ.अ.श.ट्रां. | कुल |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | 8 | 64 | 6 | 1 | 79 | 1 | 3 | - | 4 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 3 | 40 | 1 | 45 | - | 1 | - | 1 |
| 3. | असम | 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | - | 3 |
| 4. | बिहार | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2 | 2 | 13 | 6 | - | 21 | 1 | - | - | 1 |
| 6. | गोवा | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 7. | गुजरात | 2 | 4 | 60 | 3 | - | 67 | 1 | 1 | - | 2 |
| 8. | हरियाणा | - | - | 12 | - | - | 12 | - | 4 | - | 4 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 8 | 31 | 2 | 43 | 1 | 1 | - | 2 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 2 | 5 | 7 | 38 | 1 | 51 | 2 | 2 | - | 4 |
| 11. | झारखंड | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 21 | 1 | - | 1 | 2 |
| 12. | कर्नाटक | 2 | 5 | 44 | 4 | - | 53 | 1 | - | - | 1 |
| 13. | केरल | 1 | 3 | 19 | 2 | - | 24 | 2 | 2 | - | 4 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3 | 4 | 61 | 4 | - | 69 | 2 | 0 | - | 2 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3 | 5 | 77 | 18 | 1 | 101 | 2 | 2 | - | 4 |
| 16. | मणिपुर | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 7 | - | 1 | 1 | 2 |
| 17. | मेघालय | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| 18. | मिज़ोरम | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 |
| 19. | नगालैंड | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | - | 2 | - | 2 |
| 20. | उड़ीसा | 3 | 4 | 60 | 17 | 1 | 82 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 21. | पंजाब | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 22. | राजस्थान | 1 | 5 | 66 | 17 | 2 | 90 | 2 | 1 | - | 3 |
| 23. | सिक्किम | - | 1 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 24. | तमिलनाडु | 1 | 3 | 41 | 5 | 2 | 51 | 1 | - | - | 1 |
| 25. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 6 | 8 | 52 | 3 | 1 | 64 | 5 | 7 | 1 | 13 |
| 27. | उत्तरांचल | - | 1 | 13 | 29 | 2 | 45 | 1 | - | - | 1 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3 | 5 | 20 | 3 | - | 28 | 2 | 1 | - | 3 |
| 29. | अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह | 1 | - | 2 | 10 | - | 12 | - | 1 | - | 1 |
| 30. | चंडीगढ़ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 31. | दादरा और नागर हवेली | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 32. | दमण और दीव | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 33. | दिल्ली | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 34. | लक्षद्वीप समूह | - | - | 1 | 8 | - | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 35. | पांडिचेरी | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
| | **कुल** | 51 | 88 | 707 | 269 | 21 | 1085 | 33 | 45 | 6 | 84 |

**टिप्पणी :** 1. इनके अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के प्रसारण के लिए दिल्ली में दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा श्रीनगर, चेन्नई और कोलकाता के क्षेत्रीय चैनल के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए तीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्यरत हैं।

2. ट्रांसमीटरों की कुल संख्या 1174

# 4

# मीडिया इकाइयां/स्वायत्तशासी संगठन—सूचना क्षेत्र

## पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को संप्रेषित करने वाली नोडल एजेंसी है। ब्यूरो के 40 क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय व सूचना केन्द्र हैं। ब्यूरो प्रेस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार तथा अपने वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारियों, प्रेस यात्राओं आदि के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार करता है। पी.आई.बी. की वेबसाइट www.pib.nic.in. की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी समीक्षा के बाद इसमें पी.आई.बी. की प्रचार सामग्री की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार की व्यापक वेबसाइट सुविधा जोड़ी गई है। सूचनाएं तेजी से पहुंचाने और संप्रेषित करने के लिए ब्यूरो मुख्यालय कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए अपने 33 क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों से जुड़ा है। वर्तमान में, ब्यूरो एन.आई.सी. के जरिए अपने 22 क्षेत्रीय केन्द्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करता है। इससे क्षेत्रीय केन्द्रों के पत्रकार नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आयोजित संवाददाता सम्मेलनों में हिस्सा ले सकते हैं। ब्यूरो ने मुख्यालय तथा अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के बीच अनेक बार मल्टी-प्वाइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं। ब्यूरो ने अपने सभी विभागीय प्रचार

*नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आर्थिक संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करती हुईं, 18 अक्तूबर, 2000*

अधिकारियों और अनुभागों को इंटरनेट ई-मेल की सुविधा वाले कंप्यूटर उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो ने अपने सभी अधिकारियों तथा स्टाफ को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलवाया है। कार्य की अधिकता तथा कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल के कारण वर्ष के दौरान एक-एक अतिरिक्त कंप्यूटर तथा प्रिंटर सभी शाखा कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया। ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आई.एस.डी. सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही इन सब में इंटरनेट/ई-मेल की सुविधा हो गई है। वर्ष के दौरान मुख्यालय में और नई सुविधाएं बढ़ाई गईं जिसमें नेटवर्क पर उपलब्ध यू.एन.आई. / पी.टी.आई. टेलीप्रिंटर, अखबार तथा इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी शामिल हैं।

### उल्लेखनीय अभियान

ब्यूरो ने संचार के क्षेत्र में की गई पहल पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसमें टेलीकॉम रेगुलेटर को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाओं पर वी.एस.एन.एल के एकाधिकार को समाप्त करना, उच्च रफ्तार डेटा नेटवर्क अर्थात - सांख्य **वाहिनी** परियोजना को स्वीकृति, फिक्स्ड सर्विस प्रोवाइडर वर्ग **में निजी** ऑपरेटरों के लिए खुले प्रवेश की घोषणा, **जी.एम.**पी.सी. सेवाओं में निजी ऑपरेटरों की भागीदारी तथा नई फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति आदि शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के द्वारा डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण, टिकट-संग्रह के शौक को बढ़ावा देने का प्रयास आदि भी वर्ष के उल्लेखनीय प्रचार के विषय रहे हैं।

ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय तथा थल सेना नौ सेना, तथा वायु सेना के विभिन्न क्रियाकलापों तथा उपलब्धियों, जिसमें महत्वपूर्ण रक्षा करारों, नौसेना के जहाजों व जलयानों के जलावतरण तथा उनका उपयोग शुरू करना, मिसाइल परीक्षणों, सशस्त्र सेना कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों तथा रक्षा मंत्री की विदेश यात्रा शामिल है,को व्यापक रूप से प्रचारित किया। 1989 के बाद के सभी महत्वपूर्ण रक्षा खरीदों की जांच के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को रक्षा मंत्री के निर्देश का भी व्यापक रूप से प्रचार किया गया।

ब्यूरो ने 11 अक्तूबर से 15 अक्तूबर, 2000 तक आयोजित 'हेवी मीट्स द स्माल' नामक एक अनूठे औद्योगिक प्रदर्शन के व्यापक प्रचार के लिए राजकोट, गुजरात में एक मीडिया केन्द्र की स्थापना की गई। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए पत्रकारों के एक दल को भी राजकोट ले जाया गया।

राष्ट्रीय मुद्दों पर आम राय बनाने में पत्रिकाओं के बढ़ते महत्व को देखते हुए ब्यूरो ने एक खास फीडबैक तंत्र तैयार किया है जो राष्ट्रीय स्तर की चार मुख्य पत्रिकाओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री कार्यालय को आर्थिक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय अखबारों पर आधारित एक नई फीडबैक सेवा भी शुरू की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए एक कार्टून फीडबैक सेवा भी आरंभ की गई।

**जम्मू व कश्मीर में प्रधानमंत्री द्वारा रमजान के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा से वहां फिर से शांति बहाल करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने में जोरदार सफलता मिली। पाकिस्तान ने भी सीमा पर गोला-बारी रोकने में सकारात्मक रुख अपनाया। प्रधानमंत्री की इस पहल ने जम्मू व कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए आतंकवादियों को फिर से सोचने का अवसर प्रदान किया। ब्यूरो ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स के जरिए इन पक्षों को व्यापक रूप से प्रचारित किया।**

ब्यूरो के विशेष सेवा प्रभाग की फीचर इकाई ने 131 फीचर तथा लेख जारी किए। इन फीचरों के ज़रिए सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दे, संकट प्रबंधन, स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक न्याय के विविध पक्षों, उत्तर-पूर्व की समस्या, भारत की मिली-जुली संस्कृति जैसे विषयों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया। मातृभूमि के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले महान सैनिकों की स्मृति में करगिल की वर्षगांठ मनाई गई और विशेष फीचर लेख जारी किए गए। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की यात्रा, जम्मू व कश्मीर मामले में प्रधानमंत्री की पहल, श्रीलंका के संकट आदि पर ब्यूरो ने विशेष पुस्तिकाएं तैयार की।

पहली अप्रैल 2000 से 31 दिसम्बर, 2000 तक ब्यूरो की फोटो इकाई ने फोटो कवरेज संबंधी 1995 कार्यभार पूरे किए 2149 फोटो जारी किए तथा अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों और प्रेस को 1,72,399 फोटोग्राफों के प्रिंट उपलब्ध कराए।

अक्तूबर में तीन दिवसीय आर्थिक सम्पादक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 16 मंत्रालयों ने भाग लिया। इस बृहत आयोजन में विभिन्न अखबारों के लगभग 250 पत्रकार-सम्पादकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का शुभारंभ केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने किया। वर्ष के दौरान ब्यूरो ने उड़ीसा में सूखे की स्थिति का जायजा लेने गए केन्द्रीय दल तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त रूप से कवर किया। आई.डब्लू.डी.पी. की छह जलसंभरण परियोजनाओं को कवर करने के वास्ते जयपुर तथा अजमेर के लिए प्रेस यात्रा भी आयोजित की गई।

विद्युत विधेयक के मसौदे के बारे में जानकारी देने के लिए

प्रेस सम्मेलन आयोजित किए गए तथा प्रेस को विशेष साक्षात्कार व पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस बिल का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, प्रेषण तथा वितरण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। बिजली मंत्रियों के सम्मेलन को भी उल्लेखनीय कवरेज दिया गया। ब्यूरो के उर्दू सेवा प्रभाग ने आर्थिक सर्वेक्षण, रेलवे तथा सामान्य बजट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के भाषणों पर 3,151 हैण्डआउट्स जारी किए। ब्यूरो ने सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर इस दौरान हुई उपलब्धियों पर एक बने-बनाए सीधे इस्तेमाल योग्य फार्मेट में एक पुस्तिका भी उर्दू प्रेस को जारी किया। इसका शीर्षक था 'पॉलिसीज़, प्रोग्रेम्स एण्ड इनिशिएटिव्स'। ब्यूरो ने पत्र-पत्रिकाओं तथा दृश्य मीडिया के जरिए सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुसंगठित नेटवर्क को व्यापक रूप से प्रचारित किया। सरकार का प्रयास इस प्रणाली के जरिये भारत से भुखमरी मिटाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उपाय किए गए उनमें गरीबों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करना तथा पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक जांच-पड़ताल के जरिए इस प्रणाली में पारदर्शिता लाना मुख्य थे।

ब्यूरो ने गैर-पारम्परिक तरीकों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा संयुक्त उद्यमों के जरिए रेल के लिए ढांचागत संरचना के विकास में राज्य सरकारों की भागीदारी को व्यापक रूप से प्रचारित किया। ब्यूरो ने रेलटेल निगम और रेलवे कैटरिंग तथा पर्यटन विकास निगम की स्थापना और सूखा-ग्रस्त तथा बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत सामग्री का नि:शुल्क आपूर्ति को भी प्रचारित किया।

ब्यूरो ने गंदी बस्तियों को नये स्थानों पर बसाने, औद्योगिक प्रदूषण और वातावरण तथा जीवन स्थिति को सुधारने जैसे मुद्दों पर प्रेस सम्मेलनों, पत्रकारों, प्रेस रिलीजों तथा पृष्ठभूमि सामग्री के जरिए अनुकूल जनमत तैयार किया।

**प्रचार कार्यों की मुख्य-मुख्य बातें**

**बहु-माध्यम प्रचार**

- दूरसंचार सेवा तथा संचालन विभाग का भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से निगमीकरण,
- देश के अंदर लंबी दूरी की टेलीफोन सेवा को निजी क्षेत्र के लिए खोलना,

**इन घटनाओं को व्यापक मीडिया कवरेज दिया गया**

- 15 जुलाई को सम्पन्न सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का पहला सम्मेलन
- सूचना प्रौद्योगिकी पर पहली राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक
- 15 अगस्त के अवसर पर ई-गवर्नेन्स केन्द्र की शुरूआत
- सूचना प्रौद्योगिकी पर नई दिल्ली में आयोजित अंकटाड सम्मेलन।
- तीन नए राज्यों का गठन
- भारतीय स्टील प्राधिकरण (सेल) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्संरचना पैकेज।

**विशेष मीडिया अभियान**

- प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना
- कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन
- दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

## क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की स्थापना 1953 में 'पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन' के रूप में की गई थी। तब यह निदेशालय सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य किया करता था। दिसम्बर 1959 में इसका नाम बदल कर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय कर दिया गया और इसके प्रचार कार्य का क्षेत्र व्यापक बना दिया गया। इस समय निदेशालय के अंतर्गत 268 इकाइयां हैं, जिनकी देखरेख नई दिल्ली स्थित मुख्यालय अपनी 22 प्रादेशिक कार्यालयों के सहयोग से करता है। इन 268 इकाइयों में से 166 सामान्य इकाइयां हैं। 72 सीमावर्ती इकाइयां और 30 परिवार कल्याण इकाइयां हैं।

एक क्षेत्र में 8 से 18 इकाइयां होती हैं। कुछ बड़े राज्यों को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। जबकि छोटे राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया गया है। प्रादेशिक कार्यालयों तथा क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों की सूची परिशिष्ट में दी हुई है। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां कुशल व्यक्तियों तथा प्रचार कार्य के लिए अपेक्षित सामग्रियों से सुसज्जित होकर संचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं। इनमें सामूहिक चर्चा, जनसभा, सेमिनार, संगोष्ठियां और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। संदेश प्रसारित करने के लिए फिल्मों और मनोरंजन के सीधे माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाता है। परिशिष्ट इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

इस प्रकार यह निदेशालय सरकार और जनता के बीच संचार के दोतरफा माध्यम के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यों में फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह संगठन सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों तथा गांवों में उनके कार्यान्वयन के बारे में लोगों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करता है, जिन्हें संकलित करके अपेक्षित सुधार तथा अन्य उपयुक्त कार्यों के लिए सरकार के समक्ष रखा जाता है।

**निष्पादन स्थिति**

वर्ष 2000-2001 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

| कार्यक्रम | वास्तविक निष्पादन (अप्रैल-दिसम्बर, 2000) | लक्ष्य (जनवरी-मार्च, 2001) |
|---|---|---|
| **फिल्म प्रदर्शन** | 38,070 | 13,080 |
| **गीत और नाटक** | 2,600 | 900 |
| **विशेष कार्यक्रम** (इसमें भाषण/निबंध/ग्रामीण खेल/चित्रकारी प्रतियोगिता/ रैली/स्वस्थ शिशु प्रदर्शनी शामिल हैं) | 6,315 | 2,100 |
| **सामूहिक चर्चा** (सेमिनार/गोष्ठियों सहित) | 43,506 | 15,000 |
| **फोटो प्रदर्शनी** | 26,256 | 9,000 |
| **जनप्रतिक्रिया संकलन** | 21,725 | 8,500 |

**प्रमुख अभियान**

राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, परिवार कल्याण, साक्षरता, वातावरण जैसे विषयों पर संदेशों के प्रसारण के अलावा कुछ अन्य विषयों पर विशेष अभियान चलाए गए:

यूनिसेफ के सहयोग से देशभर की 268 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने क्रमशः 18-24 सितंबर तथा 14-20 नवम्बर के दौरान **बाल अधिकार** विषय पर, विशेष रूप से **बालिकाओं के अधिकार** पर दो अलग-अलग 7 दिवसीय अभियान चलाए। कुछ इकाइयों ने 24 सितंबर को 'मीना दिवस' तथा 14 नवंबर को 'बाल दिवस' पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

निदेशालय ने **राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण** कार्यक्रम के महत्व पर जन चेतना जागृत करने के दृष्टिकोण से विशेष अभियान चलाए। ये कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के घनिष्ठ सहयोग से जोर-शोर से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली में आयोजित किए गए।

निदेशालय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के सहयोग से **परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान** के दौरान एड्स नियंत्रण पर अपने प्रचार कार्यों को वर्षभर चलाता रहा। अभियान के प्रथम चरण के दौरान एस.टी.डी./आर.टी.आई.पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में इकाइयों ने सेक्स वर्करों, ट्रक चालकों, औद्योगिक श्रमिकों, विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपना लक्ष्य बनाया। **एड्स नियंत्रण** के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इकाइयों ने प्रभावशाली तरीके से वर्षभर अभियान चलाए। अनेक विशेष चर्चा कार्यक्रम, जैसे सेमीनार, संगोष्ठी, वाद-विवाद, कार्यशालाएं, सम्मेलन तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। एड्स की रोक-थाम पर निदेशालय की प्रचार नीति के अंतर्गत एड्स महामारी, इसके सामाजिक-आर्थिक तथा मानवीय दुष्परिणामों तथा सूचना आवश्यकताओं के प्रति क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाना शामिल है। इसके बाद एड्स की ज्यादा आशंका वाले वर्गों जिनमें सेक्स वर्कर, ट्रक चालक, नशाखोर आदि शामिल हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर जन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

निदेशालय की इकाइयों ने उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में बी.बी.सी. वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट के सहयोग से **कुष्ठ निवारण अभियान** चलाए। इसके लिए बी.बी.सी. वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट ने प्रक्रिया सामग्री उपलब्ध कराई जिसे क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने अपने कार्यक्रमों में व्यापक एवं प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निदेशालय ने आयोडीन युक्त नमक के महत्व पर नवम्बर में 7 दिवसीय अभियान चलाया।

भारत से बाल मजदूरी पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रचार इकाइयां सतत रूप से प्रयत्नशील रहीं। इसके लिए इकाइयों ने विशेष अभियान चलाए तथा इस दौरान फिल्म प्रदर्शन, फोटो प्रदर्शनी, सामूहिक चर्चाएं तथा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने **बढ़ती जनसंख्या** के प्रति जागरूकता तथा मानव जीवन पर पड़ने वाले इसके दुष्परिणामों के प्रति चेतना पैदा करने के वास्ते जुलाई में सात दिवसीय अभियान चलाया। हिन्दी भाषी क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। इसमें भारत की जनसंख्या के एक अरब की संख्या को पार करने पर फोकस करते हुए जनसंख्या वृद्धि के खतरे के प्रति आगाह किया गया।

**मादक पदार्थों और शराब के दुष्परिणाम** दर्शाने के लिए क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों द्वारा अपने नियमित प्रचार के दौरान 'बूंद-बूंद जहर' और 'जाम और अंजाम' सहित विभिन्न फिल्में दिखाई गईं। इसके लिए मादक पदार्थ के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस तथा मद्य निषेध सप्ताह उपयुक्त तरीके से मनाए गए।

इस वर्ष कई महत्वपूर्ण मेलों और त्यौहारों के अवसर पर गहन प्रचार अभियान चलाया गया। इनमें से कुछ थे: मेरठ का नौचंदी मेला, पुरी की रथयात्रा, गणेश पूजा, राजस्थान में अजमेर का गणगौर मेला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, खाटू श्यामजी का फाल्गुन मेला, केरल का ओणम, गुवाहाटी का कामाख्या मेला, उधमपुर का शुद्ध महादेव मेला, चमोली का आदि बद्री, तिरुपति मेला, सुंदरवन मेला और बिहार में सोनपुर में लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। इन अवसरों पर राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक बुराइयों की समाप्ति और वैज्ञानिक सोच के विकास आदि पर उचित बल दिया गया।

## गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना 1945 में की गई। यह प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसकी मीडिया एककों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सूचनाएं जुटाने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करता है और कार्यक्रम बनाने तथा प्रचार अभियानों में उनकी सहायता करता है। प्रभाग जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रवृत्तियों का अध्ययन भी करता है और इस विषय पर संदर्भ तथा प्रलेखन कार्य करता है। यह मंत्रालय, इसकी मीडिया एककों तथा जनसंचार के क्षेत्र में लगे अन्य संगठनों के उपयोग के लिए पृष्ठभूमि सामग्री, अनुसंधान व संदर्भ सामग्री तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रभाग भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण में भारतीय जनसंचार संस्थान के साथ सहयोग करता है।

'डेवलेपमेंट डाइजेस्ट' और पाक्षिक 'डायरी आफ इवेंट्स' जैसी नियमित सेवाओं के अलावा प्रभाग दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन करता है। 'इंडिया : ए रेफरेंस एनुअल' भारत के बारे में प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ हैं जबकि 'मास मीडिया इन इंडिया' देश में जनसंचार की स्थिति पर एक विस्तृत प्रकाशन है। वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 'इंडिया-2001' का 45वां संस्करण 11 जनवरी 2001 को 'मास मीडिया इन इंडिया' और 'डायरी ऑफ इवेंटस-2001' के साथ जारी किया गया।

### संदर्भ पुस्तकालय

प्रभाग की एक सुसाज्जित लाइब्रेरी है जिसमें विभिन्न विषयों पर बड़ी संख्या में दस्तावेज तथा चुनी हुई पत्रिकाओं के जिल्दबंद खंड और मंत्रालयों, आयोगों तथा समितियों की विभिन्न रिपोर्ट उपलब्ध हैं। इसके संग्रह में पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन तथा दृश्य-श्रव्य माध्यम पर विशिष्ट पुस्तकें, सभी प्रमुख विश्वकोष, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ और समसामयिक लेख उपलब्ध रहते हैं। पुस्तकालय की सुविधाएं भारत तथा विदेशी समाचार माध्यमों के मान्यता प्राप्त संवाददाताओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। पुस्तक सूचियों को कंप्यूटर पर लाने का काम जोरों पर है। नए पुस्तकालय सॉफ्टवेयर स्थापित किए गए हैं तथा इसका परीक्षण भी हो रहा है। लगभग 379 पुस्तकें इस वर्ष पुस्तकालय में और आई जिनमें विभिन्न विषयों पर हिन्दी किताबें भी शामिल हैं।

### जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र (एन.डी.सी.एम.सी.)

मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर 1976 में राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र प्रभाग के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य जनसंचार के क्षेत्र में घटनाओं तथा प्रवृत्तियों के बारे में सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण और प्रसार-प्रचार करना है। राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र जन संचार पर उपलब्ध सभी समाचार सामग्री, लेखों तथा अन्य सूचना सामग्रियों को सूचीबद्ध करता है तथा इन्हें व्यवस्थित

करता है। वर्तमान में केन्द्र का कार्य देशभर में जनसंचार के विकास तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में भागीदारी के लिए सूचनाओं का प्रलेखन तथा संकलन से लेकर इसका प्रसार-प्रचार भी इसके कार्यों में शामिल है।

राष्ट्रीय जन संचार प्रलेखन केन्द्र द्वारा संकलित सामग्री दर्जनों नियमित सेवाओं के जरिए अनुरक्षित तथा प्रसारित की जाती है। इनमें 'मीडिया अपडेट', 'समसामयिक जानकारी सेवा' 'ग्रंथ सूची सेवा' 'फिल्म बुलेटिन', 'संदर्भ सूचना सेवा', 'जनसंचार के क्षेत्र में कौन- क्या' तथा 'जनसंचारकों को प्रदत्त सम्मान' शामिल हैं। वर्ष 2000-2001 (नवंबर तक) के दौरान केन्द्र ने 28 पत्र प्रकाशित किए।

### सिटीजंस चार्टर

डिवीजन का सिटीजंस चार्टर वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान (आई.आई.एम.सी.) की स्थापना एक प्रणाली तथा तंत्र के विकास की आवश्यकता पड़ने पर किया गया। यह तंत्र देश की संपूर्ण विकास रणनीति के रूप में संचार संसाधनों को प्रभावी तथा कुशल ढंग से प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जनसंचार विशेषज्ञों के एक दल द्वारा संस्थान का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इस दल में यूनेस्को तथा भारतीय मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल थे। डॉ. विलबर स्राम, जो संचार के क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ थे, दल के प्रधान बनाए गए। दल की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, 17 अगस्त, 1965 को भारतीय जनसंचार संस्थान को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। प्रारंभ में संस्थान के पास सीमित स्टाफ था जिनमें यूनेस्को के दो परामर्शदाता थे। बाद में 22 जनवरी, 1966 को समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत यह स्वायत संगठन के रूप में पंजीकृत हुआ। संस्थान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जरिए भारत सरकार से अनुदान के रूप में अपने आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए धन प्राप्त करता है।

संस्थान की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छी छवि है और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे ए.एम.आई.सी., यूनीसेफ, यूनेस्को, डब्लू. एच.ओ., एफ.ई.एस. और आई. एस. एम.सी.आर. आदि द्वारा इसे 'उत्कृष्टता का केंद्र' की मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2000-2001 के दौरान संस्थान ने दो प्रशिक्षण कार्यक्रम और पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किए। ये हैं: (1) भारतीय सूचना सेवा (वर्ग 'क') के अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कोर्स; (2) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए प्रसारण पत्रकारिता पाठ्यक्रम; (3) नई दिल्ली और ढेंकानाल (उड़ीसा) में पत्रकारिता (अंग्रेजी) का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; (4) हिंदी में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; (5) विज्ञापन और जनसंपर्क का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; (6) रेडियो और टी.वी. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और (7) गुटनिरपेक्ष देशों के लिए समाचार एजेंसी पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

संस्थान भारतीय सूचना सेवा के मध्यम तथा वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न मीडिया एककों के कर्मचारियों के लिए नियमित और अल्पावधि शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करता है। केन्द्र/राज्य सरकार तथा सार्वजनिक संगठनों में कार्यरत मीडिया कर्मचारियों की व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विशिष्ट अल्पावधि पाठ्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है। अनेक संगठन जनसंचार के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संस्थान के पास आ रहे हैं, जिनमें सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों से संबंधित संगठन भी हैं।

भारत तथा विकासशील देशों के संदर्भ में संचार के क्षेत्र में अच्छी समझ कायम करने के लिए सहयोग के दृष्टिकोण से संचार के विभिन्न विषयों पर संस्थान सेमीनार, संगोष्ठी तथा सम्मेलनों को भी आयोजित करता है। संस्थान केन्द्र तथा राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुरोध पर परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा विभिन्न संचार माध्यमों से संबंधित प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों से सहायता प्रदान करता है।

### दीक्षांत समारोह

28 अप्रैल, 2000 को संस्थान का 33वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें 155 विद्यार्थियों (18 विदेशी सहभागियों सहित) को डिप्लोमा प्रदान किए गए जिन्होंने संस्थान से अपना शैक्षणिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अवसर पर पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 19 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान समिति तथा इसकी कार्य परिषद 1 नवंबर, 2000 को पुनर्गठित की गई। श्रीमती तारा सिन्हा समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई।

### शैक्षणिक सत्र 2000-2001

लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर इस सत्र में संस्थान के प्रत्येक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। ये पाठ्यक्रम हैं : पत्रकारिता (अंग्रेजी), पत्रकारिता (हिन्दी), पत्रकारिता (अंग्रेजी) नई दिल्ली तथा ढेंकनाल स्थित संस्थान के लिए। साथ ही, विज्ञापन तथा जनसंचार पाठ्यक्रम रेडियो और टी.वी. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कुल 25 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इसके अलावा, विज्ञापन और जनसंपर्क स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 4 अप्रवासी भारतीयों तथा रेडियो और टी.वी. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 2 अप्रवासी भारतीयों को प्रवेश के लिए चुना गया। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों की प्रतिक्षा-सूची भी तैयार की गई। अगस्त, 2000 से शुरू किए गए पाठ्यक्रम हिन्दी में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; अंग्रेजी में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; विज्ञापन और जनसंचार का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; ढेंकनाल (उड़ीसा) में पत्रकारिता (अंग्रेजी) का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; रेडियो और टी.वी. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; गुटनिरपेक्ष तथा विकासशील देशों के लिए विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

### सुविधाओं में सुधार

भारतीय जनसंचार संस्थान ने आई.टी. सुविधाओं में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। संस्थान ने इंटरनेट उपलब्धता के लिए वी-सैट कनेक्शन लिया है और संकाय, प्रशासन तथा पुस्तकालय में प्रयोग तथा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 35 नवीनतम पर्सनल कंप्यूटर का प्रबंध किया है। संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न मीडिया संगठनों में इस्तेमाल के लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर हासिल किया है। संस्थान का सीमित विस्तार वाला नेटवर्क काम कर रहा है और इसने अपना वेबसाइट भी शुरू कर दिया है जिसे www.iimc.ac.in. पर खोला जा सकता है।

### प्रकाशन

संस्थान 'कम्यूनिकेटर' (अंग्रेजी) और 'संचार माध्यम' (हिन्दी) नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाएं तथा प्रयोगशाला पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। इसमें विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा निकाले गए 'इको', पत्रकारिता (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा 'आई.आई.एम.सी. टाइम्स' और पत्रकारिता (हिंदी) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा 'जन संचार' नामक पत्रिकाएं शामिल हैं। इनके प्रकाशनों को शैक्षणिक तथा मीडिया अनुसंधान संस्थान और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के जनसंपर्क विभागों को भेजे जाते हैं।

### अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन

संस्थान ने वर्षों से अनेक अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन किया है। इसमें श्रोता प्रतिक्रिया, संचारकों का दृष्टिकोण, संचार घटनाओं के मूल्यांकन तथा प्रभावी अध्ययन और ग्रामीण समुदायों, मीडिया प्रवृत्तियों व सूचना आवश्यकताओं आदि के संदर्भ में संचार प्रक्रिया का सारांश विश्लेषण जैसे विभिन्न विषय शामिल है।

संस्थान के अनुसंधान अध्ययन भारत तथा विदेशों में अपनी पहचान बना चुके हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे ए.एम.आई.सी., यूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ. आदि, अनुसंधान अध्ययन कराने के लिए संस्थान से संपर्क कर चुके हैं। इस प्रकार भारतीय जनसंचार संस्थान ने संचार/मीडिया अनुसंधान के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पा लिया है।

## विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) केंद्र सरकार की प्रमुख बहु-प्रचार माध्यम विज्ञापन एजेंसी है, जो सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और कुछ स्वायत्तशासी निकायों की संचार संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। यह निदेशालय लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देता है और उन्हें शिक्षित करता है। इसके अलावा यह लोगों को विकास की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। डीएवीपी विभिन्न संचार माध्यमों, जैसे मुद्रित सामग्री, प्रेस विज्ञापनों, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों, बाल प्रचार और प्रदर्शनियों के जरिए लोगों तक पहुंचता है। इस निदेशालय का डीटीपी युक्त डिजाइन स्टूडियो और पूरी तरह कंप्यूटरीकृत मास मेलिंग विंग है, जिसमें करीब 15 लाख पते संग्रह किए गए हैं। डीएवीपी के विज्ञापन एवं प्रचार का मुख्य जोर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र पर होता है, जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिलाओं को अधिकार देना, बालिका विकास, जनसंख्या नियंत्रण, नई आर्थिक नीतियां, छोटी बचत, उपभोक्ता मामले, साक्षरता, रोजगार, एड्स, नशीले पदार्थों पर रोक, नशाबंदी, आयकर, रक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण और हस्तशिल्प आदि। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे विषयों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

### संगठनात्मक स्वरूप

डीएवीपी मुख्यालय में कई शाखाएं हैं, जैसे प्रचार, विज्ञापन, बाह्य प्रचार, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, मास मेलिंग, दृश्य-श्रव्य और डीटीपी सुविधा से युक्त डिजाइन स्टूडियो।

बंगलौर और गुवाहाटी में डीएवीपी के दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कोलकाता और चेन्नई में इसके दो क्षेत्रीय वितरण केंद्र हैं, जो क्रमश: पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचार सामग्री के वितरण का काम देखते हैं। निदेशालय की 35 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां हैं, जो सरकार और लोगों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती हैं। क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी जन-साधारण से संपर्क स्थापित करते हैं और केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में जरूरी फीडबैक और जन-प्रतिक्रिया रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयों में सात सचल प्रदर्शनी वाहन, सात परिवार कल्याण इकाइयां और 21 सामान्य क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां शामिल हैं।

### वर्ष के दौरान कामकाज

निदेशालय ने विकासगत गतिविधियों और सामाजिक विषयों पर बहु संचार माध्यमों से प्रचार अभियान चलाए जिनमें से एक महत्वपूर्ण अभियान भारतीय गणतंत्र के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में था, निदेशालय ने अंग्रेजी, हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दो पोस्टर **भारतीय गणतंत्र- एक मजबूत लोकतंत्र एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था'** और **संगठित व प्रगतिशील राष्ट्र के संकल्प को हमारी विरासत मजबूत बनाती है** डिजाइन किए और उन्हें मुद्रित कर वितरित कराए।

नई दिल्ली में 15 दिन की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें देश में जनतांत्रिक संस्थाओं के विकास को दर्शाया गया। देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की प्रदर्शनियां लगाई गईं। निदेशालय ने **भारत की डाक टिकटों के जरिए भारत का स्वाधीनता संघर्ष** शीर्षक से एक पुस्तक मुद्रित एवं प्रकाशित की। स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने इस पुस्तक का संकलन किया था।

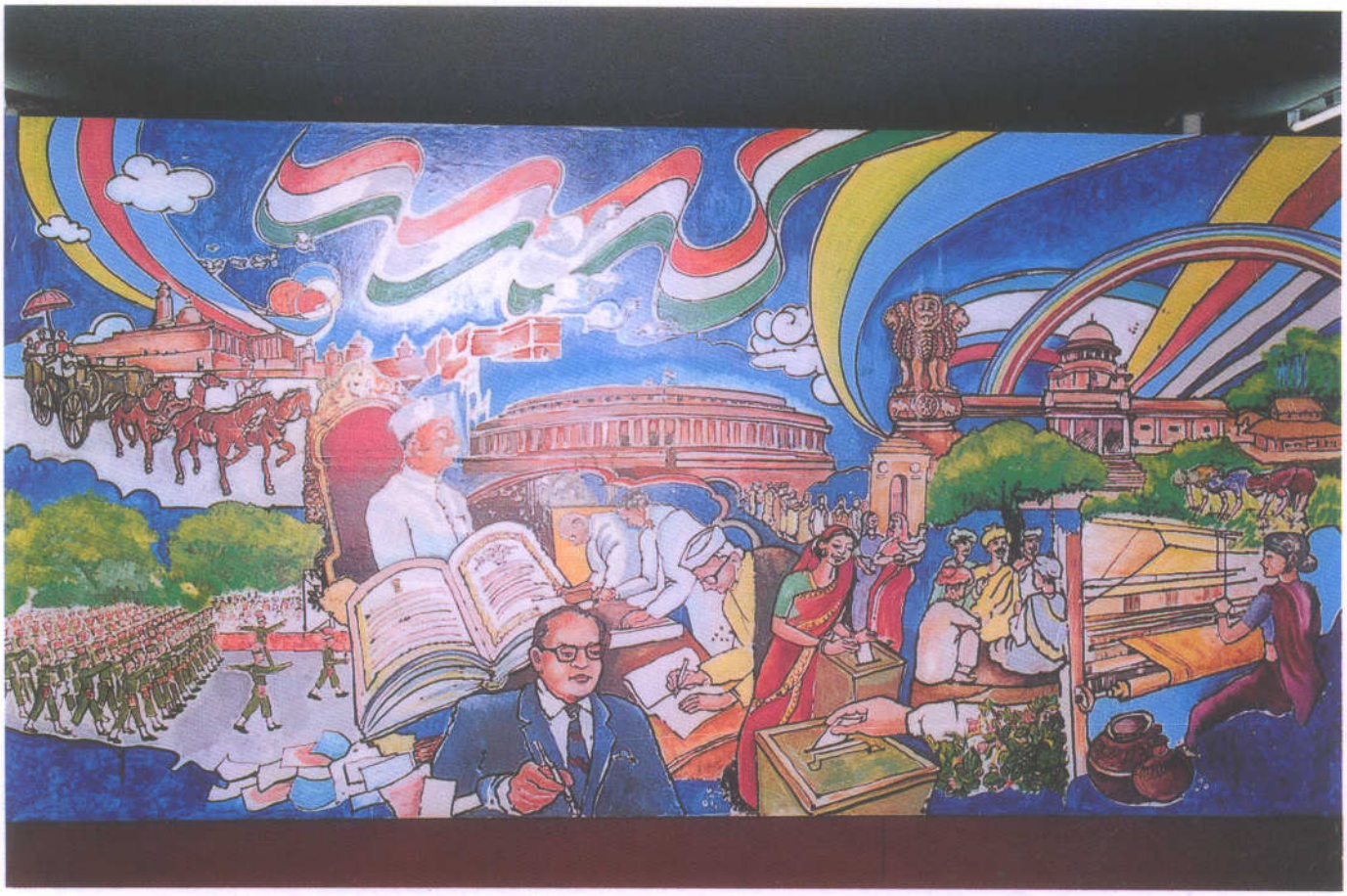

*विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा लगाई गई एक पैनल प्रदर्शनी, 19 मई, 2000*

करगिल युद्ध में भारत की जीत के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडिया गेट के सामने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में निदेशालय ने भी हिस्सा लिया और प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर नई दिल्ली में **करगिल गैर बराबरी की लड़ाई** शीर्षक से फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कठिन परिस्थितियों में भारतीय जवानों के वीरतापूर्ण कारनामों की विस्तृत झांकी प्रदर्शित की गई थी। करगिल युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हनीफुद्दीन की मां श्रीमती हेमा अजीज ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। करगिल प्रदर्शनी देश के अन्य भागों में भी लगाई गई, जिसे खूब सराहा गया। बिहार के सोनपुर मेले में इसे सर्वश्रेष्ठ पवेलिन पुरस्कार मिला।

**मौलिक कर्त्तव्यों** के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए निदेशालय ने वाल हैंगिंग और फोल्डर तैयार किए, जिनमें भारतीय संविधान की धारा 51-ए के तहत बताए गए मौलिक कर्त्तव्यों की सूची दी गई थी। देश के विभिन्न हिस्सों में दीवार पेंटिंग की गई और संदेश प्रसारण के लिए समाचारपत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव निदेशालय के प्रचार अभियान के दो प्रमुख विषय रहे। असम, बिहार, दिल्ली गुजरात, हरियाणा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नगालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषाओं में होर्डिंग, विस्फोटक, थल पेंटिंग, और बसों के पीछे पैनल प्रदर्शित किए गए। इनमें जो संदेश दिया गया वह था, **मिले हाथ हमारा- तुम्हारा, बढ़े देश आगे हमारा- एकता ही भारत की शक्ति है।**

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अमरीका यात्रा के दौरान दिए गए भाषणों का संकलन अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया और व्यापक रूप से वितरण के लिए भेजा गया।

नई दिल्ली में **रिंग इन द न्यूज़** प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पिछले एक साल के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति और विकास को दिखाया गया। 60 पृष्ठों की एक **न्यू गोल्स न्यू इनीशिएटिव** नामक पुस्तिका तैयार की गई और उसे हिंदी व अंग्रेजी में मुद्रित किया गया। इस पुस्तिका में राजग सरकार में विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियों व प्रयासों की जानकारी दी गई थी। पुस्तिका के जरिये 42 मंत्रालयों व विभागों की गतिविधियों से परिचित कराया गया था।

निदेशालय सामाजिक क्षेत्र के विषयों जैसे शिशुओं की देखभाल, शिशुओं को स्तनपान, बालिकाओं की दशा, महिला अधिकार, बालश्रम उन्मूलन, रक्तदान तथा तम्बाकू के दुष्परिणामों पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियानों के आयोजन और उनके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से लगा रहा। इन विषयों पर उपयुक्त प्रचार सामग्री प्रकाशित की गई तथा इनका वितरण किया गया। महिला कल्याण पर राष्ट्रमंडल के मंत्रियों के छठी बैठक के अवसर पर नई दिल्ली में **भारत में महिला** नामक एक चार दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। **इंटरनेशनल एग्जिविशन ऑन असिस्टिव डिवाइसेज फार पीपुल विद डिजेबेलिटीज** पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए पांच प्रकार के पोस्टर हिंदी, अंग्रेजी तथा कन्नड़ में प्रकाशित किए गए। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 10 सितंबर से 17 सितंबर, 2000 तक बेंगलूर में आयोजित की गई।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती मनाने के उद्देश्य से निदेशालय ने नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय प्रदर्शनी लगाई। यह प्रदर्शनी बाबा साहेब के जीवन पर आधारित थी। इस अवसर पर अंबेडकर संस्थान के उल्लेखनीय क्रिया-कलापों पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक विज्ञापन जारी किया गया।

***विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने नई दिल्ली में आयोजित 47वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2000, बाल फिल्म समारोह, कोरिया, आइलैंड, पौलैंड, जापान, ग्रीस तथा यूरोपीय फिल्म समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 47वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2000 के दौरान समारोह स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।***

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में आयोजित पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक विज्ञापन जारी किए गए ताकि पोलियो पर इस अंतिम अभियान में लोग हिस्सा ले सकें। अभिभावकों, अध्यापकों, बच्चों सहित हर क्षेत्र के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया गया।

विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में भारत की जनगणना 2001 के प्रथम चरण को ध्यान में रख कर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हाउस-लिस्टिंग आपरेशन पर अनेक विज्ञापन जारी किए गए। जनगणना कार्य के महत्व पर चालीस सेकंड के दो अलग-अलग श्रव्य स्पॉट आकाशवाणी से प्रसारण के लिए तैयार गए। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने अपने कार्य में दूरदर्शिता लाने तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के प्रयास में अपने **सिटीजन**

**चार्टर** निकाले। इसे कुछ अतिरिक्त लाभदायी जानकारी के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। इस अवधि के दौरान निदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में 301 प्रदर्शनियां लगाईं जो कुल 1675 प्रदर्शनी दिवसों तक प्रदर्शित की गईं।

**प्रदर्शनी**

**( अप्रैल - नवम्बर 2000 )**

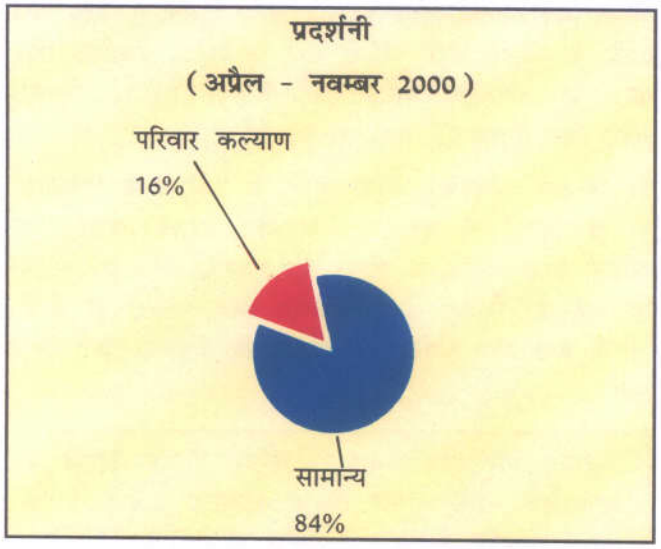


प्रदर्शनी इकाइयों ने देशभर के प्रमुख मेलों जैसे उज्जैन का कार्तिक मेला, बाराबंकी का देवा शरीफ मेला तथा त्रिशुर के पुरम उत्सव में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

**बाह्य प्रचार**

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए बाह्य प्रचार का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया जो साक्षर तथा निरक्षर दोनों तरह के दर्शकों के लिए उपयोगी रहा। अवधि के दौरान देशभर में बाह्य प्रचार के कुल 310 कार्य किए गए। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना, ग्राम सभा, जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मौलिक अधिकार आदि, जैसे विभिन्न विषयों पर होर्डिंग, कियोस्क, बैनर, बस-बैक पैनल, दीवार पेंटिंग लगाई गई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्राम सभा तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर देशभर के सिनेमा घरों में दिखाए जाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सिनेमा स्लाइड की नौ श्रृंखलाएं तैयार की गई।

**बाह्य प्रचार**

**( अप्रैल - नवम्बर, 2000 )**

| | | |
|---|---|---|
| होर्डिंग | : | 353 |
| कियोस्क | : | 1,900 |
| बस-बैक पैनल | : | 7,805 |
| वाल पेंटिंग | : | 1,215 |
| बैनर | : | 128 |
| एनिमेशन प्रदर्शन | : | 23 |
| रेलिंग | : | 200 |
| सिनेमा स्लाइड | : | 66,968 |

निदेशालय के **मुद्रण प्रचार** विंग ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में फोल्डर, पुस्तिकाएं, पोस्टर, किट्स आदि प्रकाशित किए। इस अवधि में 127 प्रकाशनों की कुल 90.58 लाख प्रतियां मुद्रित की गईं जिन पुस्तिकाओं का प्रकाशन निदेशालय द्वारा किया गया उनमें 'केंद्रीय बजट-2000-2001', 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना - ग्रामीण आवास', 'अन्नपूर्णा योजना-मार्गदर्शन' शामिल है।

निदेशालय ने इस अवधि में देशभर के विभिन्न अखबारों में 12,952 विज्ञापन जारी किए। इनमें से 250 डिसप्ले विज्ञापन और शेष वर्गीकृत विज्ञापन थे।

**विज्ञापन**

**( अप्रैल - नवंबर 2000 )**

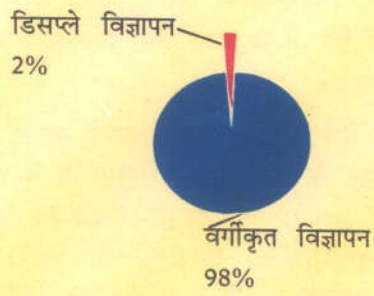


विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर हर हफ्ते प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम तैयार करता है तथा उनका प्रसारण कराता है। निदेशालय द्वारा बनाए गए प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम ये हैं: कल्याणकारी विषयों पर 'आओ हाथ बढ़ाएं' तथा 'संवरती जाएं जीवन की राहें', स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 'संकल्प', ग्रामीण विकास पर 'जागे जन-

जन जागे गांव', एड्स की रोकथाम पर 'जिओ और जीने दो', उपभोक्ता अधिकार पर 'अपने अधिकार' और महिला तथा बाल विकास पर 'पोषण और स्वास्थ्य'। इन कार्यक्रमों को हिंदी तथा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया गया और आकाशवाणी के 30 व्यावसायिक प्रसारण सेवा केंद्रों द्वारा प्रसारित किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर नियमित अभियान के अलावा दृश्य-श्रव्य कक्ष ने पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम पर श्रव्य स्पॉट बनाए, जिसे आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा प्रसारित किया गया। 'मलेरिया-विरोधी', 'संसाधित खाद्य पदार्थ' तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं पर भी कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

**श्रव्य तथा दृश्य कार्यक्रम**
**(अप्रैल - नवंबर, 2000)**

| | | |
|---|---|---|
| **श्रव्य कार्यक्रम** | - | **2,825** |
| रेडियो प्रसारण | - | 22,255 |
| दृश्य कार्यक्रम | - | 41 |
| टेलीविजन प्रसारण | - | 3 |
| प्रयुक्त भाषा | - | हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाएं |

**समूचे भारत में रेडियो/टेलीविजन प्रसारण**

अनेकता में एकता, महिला अधिकार, रक्षा बलों तथा वैज्ञानिक प्रयासों जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री के भाषण के वीडियो स्पॉट दिखाए गए तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की क्षेत्रीय इकाइयों को ग्रामीण इलाकों में प्रचार के वास्ते दिए गए। इन वीडियो स्पॉटों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी ठीक तरह से तैयार कराया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 'हम भारत : हम भारतीय' नामक वीडियो स्पॉट दिखाया गया।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय देश के बड़े संगठनों में से विकास खंडों और पंचायतों के स्तर तक पहुंचने वाला अपने किस्म का एक अकेला संगठन है। ई.टी. एंड टी. के कंप्यूटर शिक्षा तथा प्रशिक्षण विंग के सहयोग से निदेशालय के कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। **बाल अधिकार** विषय पर यूनिसेफ तथा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कलाकारों और अधिकारियों की कार्य-कुशलता तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करना है।

## भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक संबद्ध संगठन है। समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के संबंध में यह कार्यालय अपने सांविधिक तथा व्युत्पादित कार्यों के तहत निम्नलिखित काम करता है:

- शीर्षकों का आवंटन,
- मूल/अनुलिपि/परिशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करना,
- आंकड़ा पंजिकाओं को अद्यतन रखना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- पंजीकृत प्रकाशकों द्वारा प्रेषित नवीनतम डेटा के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट का संकलन करना और प्रत्येक वर्ष उसे सरकार के समक्ष पेश करना तथा इसके एक वर्ष बाद 'भारत के समाचारपत्र' नाम से इसका प्रकाशन करवाना, और
- अभिलेखों तथा स्थल निरीक्षण के द्वारा समाचारपत्रों के प्रसार संबंधी दावों की जांच करना।

### गैर-सांविधिक कार्य

- भारत में निर्मित अखबारी कागज का प्रबंधन (विशिष्ट कागज मिलों से) तथा विदेशी अखबारी कागज के आयात के लिए आवेदन करने वाले प्रकाशकों को पात्रता तथा हक़दारी प्रमाणपत्र जारी करना,
- छपाई मशीनों तथा अन्य संबंधित उपकरणों के आयात के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना,
- एल.पी.जी. कोटा की संस्तुति करना (प्रिंटिंग मशीनरी के परिमार्जन के लिए),
- एफ.सी.आर.ए, 1976 के तहत विदेशी सहायता की पात्रता के लिए आवेदन करने वाले प्रकाशकों को 'नो न्यूज सर्टिफिकेट' जारी करना।
- पहली अप्रैल, 2000 से 31 जनवरी, 2001 के बीच पंजीयक कार्यालय ने समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के नए शीर्षकों के वास्ते 15,594 आवेदन-पत्र प्राप्त किए। कार्यालय ने इनमें से 9,874 पत्र-पत्रिकाओं को शीर्षक आबंटित किए जबकि 3,871 पत्र-पत्रिकाओं को शीर्षक देने से मना कर दिया। इस अवधि के दौरान 2,677 (2,107 नए+570 परिशोधित) समाचारपत्रों-पत्रिकाओं को

पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए गए। 1,091 समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रसार संबंधी दावों की जांच की गई जिनमें से 453 दावों की जांच पूरी कर ली गई या उनकी जांच चल रही थी। इनमें से 610 दावों को अप्रमाणित पाया गया।

पंजीयक कार्यालय ने **प्रेस इन इंडिया 1999** नामक पुस्तक को प्रकाशित किया जिसमें पंजीकृत प्रकाशकों द्वारा दिए गए वार्षिक विवरणों पर विस्तृत सूचना दी गई है। इसकी 180 प्रतियां सम्मानार्थ बांटी जा चुकी हैं। प्रकाशन विभाग तथा पंजीयन कार्यालयों द्वारा इसकी कुछ प्रतियां बेची भी गईं। इस अवधि के दौरान अखबारी कागज के आयात के लिए 562 पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए गए और आठ समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को मशीनरी तथा उपकरणों के आयात के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गए।

### शीर्षकों को मुक्त करना

पंजीयक कार्यालय ने अपने गहन प्रयास से दिसंबर 1998 तक स्थापित ऐसे लगभग 190,000 शीर्षकों को मुक्त कर दिया जो अब तक पंजीकृत नहीं कराए गए थे। इस काम को जन संचार माध्यमों के द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया तथा प्रकाशकों को यह संदेश दिया गया कि वे या तो अपने शीर्षकों को पंजीकृत करा लें या शीर्षकों को मुक्त किए जाने की स्थिति के लिए तैयार रहें। जिन शीर्षकों के संबंध में याचिकाएं प्राप्त हुईं, उन्हें सुरक्षित रखा गया है, बाकी शीर्षकों को मुक्त कर दिया गया है।

### कंप्यूटरीकरण

शीर्षकों के सत्यापन तथा पंजीकृत प्रमाणपत्रों को जारी करने संबंधी काम को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर देने से पंजीयक के कार्यालय में कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में और प्रगति हुई है। मुख्यालय में वी-सैट एंटेना स्थापित कर दिया गया है तथा इंटर-सेक्शन केबलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान पंजीयन कार्यालय अपने प्रादेशिक कार्यालयों तथा इच्छुक पार्टियों के साथ इंटरनेट वी-सैट के माध्यम से सेवाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा।

## फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग फोटो सेवा इकाई के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। प्रभाग का कार्य भारत-सरकार की ओर से आंतरिक तथा वाह्य प्रचार के लिए श्वेत-श्याम व रंगीन दोनों प्रकार के फोटोग्राफों को तैयार करना है। इस प्रभाग का प्रमुख कार्य देश में हो रहे विकास तथा सामाजिक परिवर्तनों का फोटोग्राफों द्वारा दस्तावेज तैयार करना है। यह विभाग आंतरिक प्रचार के एक हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को फोटो सामग्री उपलब्ध करता है साथ ही यह केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, जिसमें राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय आवास, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय शामिल हैं, को फोटो सामग्री उपलब्ध करवाता है। यह विदेश मंत्रालय के विदेशी प्रचार विभाग के जरिए भारतीय दूतावासों को भी फोटो सामग्री की व्यवस्था करवाता है। प्रभाग प्रचार कार्य न करने वाली संस्थाओं एवं जनसाधारण को निर्धारित मूल्य योजना के तहत भुगतान लेकर फोटोग्राफ भी उपलब्ध करवाता है।

मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा गुवाहाटी में फोटो इकाइयां/ प्रादेशिक कार्यालय इन प्रदेशों में कार्यरत केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों की फोटो संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठित किए गए हैं। जिन राज्यों/क्षेत्रों में प्रादेशिक कार्यालय नहीं हैं, वहां आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय के स्टाफ को भेज कर फोटो कवरेज का कार्य कराना पड़ता है।

प्रभाग के दिल्ली स्थित मुख्यालय में श्वेत-श्याम व रंगीन दोनों प्रकार के दायित्वों तथा फोटो संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विशेष सुविधायुक्त उपस्कर एवं अपनी प्रयोगशाला है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में समाचार फोटो नेटवर्क भी स्थापित किया गया है। प्रभाग पत्र सूचना कार्यालय को इंटरनेट पर फोटोग्राफ भी फीड करता है।

आधुनिकीकरण के दूसरे चरण में प्रभाग को चित्रों की अच्छी किस्म की प्रिंटिंग के लिए एल ई डी II प्रिंटर तथा इससे संबंधित उपकरण को लगाने का जिम्मा सौंप दिया गया है। 1.20 लाख निगेटिव फिल्मों को डिजीटल फोटो लाइब्रेरी में स्कैन किया गया तथा डिजीटल तरीके से अनुक्रम तैयार किया गया।

अप्रैल 2000 से अक्तूबर 2000 के बीच प्रभाग ने विभिन्न समारोहों/घटनाओं के 2,680 फोटो कवरेज करवाए तथा विभिन्न मीडिया इकाइयों और केन्द्रीय/राज्य सरकारों को उनकी प्रचार संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए फोटोग्राफ उपलब्ध कराए।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कवर किए गए समाचार तथा फीचर | – | 2,680 |
| 2. | नेगेटिव संबंधी कार्य | – | 67,767 |
| 3. | तैयार किए गए रंगीन स्लाइड/ पारदर्शियां | – | 100 |
| 4. | श्वेत-श्याम प्रिंट | – | 1,33,144 |
| 5. | रंगीन प्रिंट | – | 42,859 |
| 6. | कुल श्वेत-श्याम व रंगीन प्रिंट | – | 1,76,003 |
| 7. | कुल फोटो एलबम/वालेट निर्माण/निर्मित | – | 80 |
| 8. | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कवरेज | | |
| | (क) मुम्बई | – 393 | |
| | (ख) कोलकाता | – 427 | |
| | (ग) चेन्नई | – 430 | |
| | (घ) गुवाहाटी | – 399 | |

*फोटो प्रभाग की डिजीटल फोटो लैबोरेटरी का एक दृश्य*

## गीत और नाटक प्रभाग

गीत और नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में की गई। 1960 में इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में एक स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दे दिया गया। प्रभाग संचार के रूप में परंपरागत लोक माध्यम का प्रयोग करता है। अभिनय कलाओं का संचार माध्यम के रूप में प्रयोग करने वाला यह देश का सबसे बड़ा संगठन है। यह विविध कलारूपों जैसे लोक तथा परंपरागत गायन, कठपुतली और जादूगरी तथा कलाकारी की अनेक विधाओं का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रभाग सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर का उत्थान, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि राष्ट्रीय विषयों पर नोडल मंत्रालयों के परामर्श से ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

### संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ-साथ प्रभाग के दस क्षेत्रीय कार्यालय, सात सीमावर्ती केन्द्र, छह विभागीय नाटक मंडलियां, सशस्त्र बल मनोरंजन विंग की नौ मंडलियां, तीन ध्वनि और प्रकाश इकाइयां और रांची में एक जनजातीय पायलट परियोजना है। इसके अलावा विभिन्न वर्गों में लगभग 700 पंजीकृत मंडलियां और 1,000 सूचीबद्ध कलाकार हैं।

प्रभाग के पास 28 सीमा प्रचार मंडलियां हैं जो इंफाल, जम्मू, शिमला, नैनीताल, दरभंगा, जोधपुर और गुवाहाटी स्थित सात सीमावर्ती केन्द्रों में कार्यरत हैं। इन मंडलियों ने दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में शिक्षित करने तथा सीमापार प्रचार का जवाब देने के लिए प्रचार किया। वर्ष 2000-2001 (नवंबर 2000 तक) के दौरान इन मंडलियों द्वारा एस.एस.बी; बी.एस.एफ. और अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से 932 कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभाग की पुणे, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर श्रीनगर और दिल्ली स्थित विभागीय नाटक मंडलियों ने नवंबर 2000 तक विभिन्न विषयों पर 206 शो प्रस्तुत किए। इन मंडलियों ने खासतौर पर स्थानीय मेलों और त्योहारों में, जहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, नाटक प्रदर्शित किए। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, उड़ीसा में रथ यात्रा उत्सव, बोध गया में बुद्ध महोत्सव जैसे प्रमुख उत्सवों के अवसर पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रभाग दूर-दराज के सीमावर्ती इलाकों में तैनात सशस्त्र सेना के जवानों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। सशस्त्र सेना मनोरंजन विंग की मंडलियां चुमतैंग, थोयास, पार्तपुर तिओंग सोंग, बाकोक चुंग, चुंग तलाई, एलांग समधु तथा पांगू जैसे दूर-दराज के स्थानों पर मूल आकर्षक रंगीन पोशाकों में लोक नृत्य प्रस्तुत करके देश की सांस्कृतिक समानता का संदेश देने के लिए जानी जाती हैं। इन मंडलियों ने नवंबर 2000 तक 181 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन मंडलियों ने शांति मार्च, मलेरिया निवारण, बालिका शिशु सप्ताह, एड्स की रोकथाम, बालश्रम उन्मूलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आदि के प्रचार अभियानों में भाग लिया।

विकासशील प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा जनजातीय कलाकारों को शामिल करने तथा जनचेतना कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 1980 में रांची जनजातीय केन्द्र की स्थापना की गई। 2000-2001 (नवंबर, 2000 तक) के दौरान इन मंडलियों द्वारा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोगों को उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर 802 कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न आदिवासी समारोहों के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा गुवाहाटी क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय आबादी से संपर्क बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। आम लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, देश की गौरवपूर्ण विरासत तथा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बारे में शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रभाग की ध्वनि और प्रकाश इकाइयों ने भव्य ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम आयोजित किए। दिल्ली इकाई ने राजस्थान के गंगा नगर में जून, 2000 में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम 'जग चानन होया' और दिल्ली एवं नैनीताल में अक्तूबर 2000 में 'धरोहर' कार्यक्रम आयोजित किए। बंगलौर इकाई ने आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम में जून 2000 में ''जातिकि उपीरी स्वथन्थ्रियम'' तथा हंपी कर्नाटक में नवंबर 2000 में 'कर्नाटक वैभव' कार्यक्रम का आयोजन किया। नवंबर 2000 तक 30 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

### व्यावसायिक और विशेष सेवाएं

प्रभाग लोक और परंपरागत कलाकारों वाली सांस्कृतिक मंडलियों को अपने निजी सांस्कृतिक संदर्भों के साथ लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए तैनात करता है। निजी मंडलियों का पंजीकरण कर उन्हें ग्रामीण लोगों के बीच विकास संबंधी विषयों का प्रचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 700 से भी ज्यादा मंडलियों के लगभग 7,000 कलाकार और 1,000 से भी ऊपर सूचीबद्ध कलाकार प्रभाग की गतिविधियों में लगे हुए हैं। नवंबर 2000 तक इन कलाकारों ने 31,232 कार्यक्रम आयोजित किए। 2000-2001 के दौरान प्रभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 9000 कार्यक्रम, श्रम मंत्रालय के लिए 2,500 कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्रालय के

लिए 2430 कार्यक्रम, गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के लिए 134 कार्यक्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 3,750 कार्यक्रम आयोजित किए।

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य रक्षा, छोटा परिवार, मां और शिशु का स्वास्थ्य, सफाई, टीकाकरण आदि विषयों के विभिन्न पहलुओं का प्रचार-प्रसार तथा लोगों में जनचेतना पैदा करने के लिए प्रभाग कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कला रूपों का इस्तेमाल करता है ताकि सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाकों में भी पहुंचा जा सके। इन कार्यक्रमों के बारे में प्रभाग के अधिकारियों और मंडलियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि वे नए कार्यक्रम तैयार कर सके। सितंबर 2000 से पल्स पोलियो टीकाकरण पर प्रचार अभियान शुरू किया गया जिसके अंतर्गत 4000 कार्यक्रम आयोजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सहित महत्वपूर्ण मेलों और समारोहों जैसे, मथुरा, दिल्ली का स्वास्थ्य मेला, इलाहाबाद का कुंभ मेला आदि में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत द्वारा एक अरब जनसंख्या के आंकड़े को पार कर लिए जाने पर मई 2000 में देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जुलाई, 2000 में दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर "अपने हिंदुस्तान में" नामक विशेष नाटक तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

### प्रमुख गतिविधियां

पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में विशेष प्रचार किया गया। इन प्रचार कार्यों में जनजातीय, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्गों की सांस्कृतिक मंडलियों को शामिल किया गया। प्रभाग की गतिविधियां विभिन्न योजना और गैर-योजना कार्यक्रमों के तहत चलाई जाती है।

भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस तथा विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर कोलकाता में विशेष कार्यक्रम "अमर भारत" प्रस्तुत किया गया।

ग्रामीण विकास पर विशेष अभियान के दौरान प्रभाग ने देश भर में पंचायती राज तथा रोजगार उत्पादक योजनाओं जैसे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आदि पर 3,750 कार्यक्रम आयोजित किये। उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु तथा हरियाणा के चुने हुए जिलों में बाल श्रम पर विशेष अभियान चलाए गए। जिसके दौरान कुल 2,500 कार्यक्रम आयोजित हुए। आयोडीनयुक्त नमक के प्रयोग पर जनचेतना पैदा करने के लिए प्रभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश के कुछ खास जिलों में अभियान चलाए। इन अभियानों के दौरान 2,430 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ऊर्जा संसाधनों का फिर से उपयोग करने संबंधी विषय पर दिल्ली में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नवंबर 2000 के दौरान 134 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रभाग ने दिल्ली में 8 मार्च, 2001 (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को महिला शक्ति पर एक भव्य ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम "शतरूपा" प्रस्तुत किया।

प्रयाग के त्रिवेणी संगम स्थल पर हर बारह वर्षों बाद लगने वाले महा कुंभ के पावन अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए पूरे विश्व से आए लगभग 7 करोड़ तीर्थ यात्रियों के लिए प्रभाग की मंडलियों ने जनवरी 2001 से फरवरी 2001 तक 700 कार्यक्रम आयोजित किए।

## प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के बड़े प्रकाशन संस्थानों में एक है। यह राष्ट्रीय महत्व के मामलों तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर पुस्तकें, सीडी और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है तथा तुलनात्मक रूप से उन्हें कम कीमत पर पाठकों तक पहुंचाता है। इसके प्रकाशन विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार करते हैं तथा विभिन्न इलाकों, आस्थाओं और मतों के मानने वाले लोगों के बीच जागरूकता लाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं तथा देश की रंग-बिरंगी जीवनशैली और संस्कृति के प्रति आदर का भाव भरते हैं।

प्रकाशन विभाग कला, इतिहास, संस्कृति, जनजीवन, पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं, बाल साहित्य, विज्ञान और तकनीकी, गांधीवादी साहित्य, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनियों से लेकर संदर्भग्रंथों तक सभी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। विभाग प्रत्येक वर्ष 120-150 पुस्तकें प्रकाशित करता है। इसने अब तक 7,000 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

### इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन

समय के साथ कदम मिलाते हुए प्रकाशन विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन आरंभ किया है। इसने संदर्भ ग्रंथ 'भारत' का सी डी रोम जारी किया है।

प्रकाशन विभाग ने 1999 में महात्मा गांधी के संपूर्ण वांड्मय पर आधारित मल्टी मीडिया सी डी अंग्रेजी में जारी किया।

इस सी डी में 55,000 पृष्ठों में गांधीजी के समग्र लेखन के साथ-साथ 15 मिनट की उनकी आवाज, 30 मिनट की वीडियो फिल्म और 550 फोटोग्राफ भी शामिल हैं। सी डी का अच्छा स्वागत हुआ और अब इसे हिंदी में तैयार किया जा रहा है।

## पुस्तकें

प्रकाशन विभाग ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 159 पुस्तकें प्रकाशित की। चालू वर्ष में 31 दिसंबर 2000 तक इसने 131 पुस्तकें प्रकाशित कर ली थी। हाल ही में विभाग ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये हैं - अंग्रेजी में 'फिफ्टी इयर्स ऑव इंडियन रिपब्लिक' तथा हिंदी में 'उपग्रह के बाहर-भीतर : भारत के हस्ताक्षर'। संदर्भ ग्रंथ 'भारत 2001' / 'इंडिया-2001' को जनवरी 2001 में जारी किया गया। इस वर्ष प्रकाशित अन्य पुस्तकों में 'सेलेब्रेशन ऑफ लाइफ: इंडियन फोक डांसेज', 'सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ प्राइममिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी' (खंड I और II), 'सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ प्रेसीडेंट शंकर दयाल शर्मा' (खंड II), नोबेल पुरस्कार विजेता महिलाएं (हिंदी) शामिल हैं।

विभाग द्वारा प्रकाशित डा. ताराचंद द्वारा लिखित 'भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास' (चार खंड), आर.सी. दत्त द्वारा लिखित 'इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया', पं. सुंदरलाल लिखित 'भारत में अंग्रेजी राज' कालजयी कृतियां बन चुकी हैं। 'गजेटियर ऑफ इंडिया', पॉल कारूस कृत 'द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा', शीला धर कृत 'दिस इंडिया', कपिला वात्स्यायन कृत 'इंडियन क्लासिकल डांस', एम.एस. रंधावा कृत 'बसोली पेंटिंग,' मुल्कराज आनंद कृत 'मधुबनी पेंटिंग' जैसी पुस्तकों के साथ-साथ भारत की विभिन्न चित्रकला शैलियों पर प्रकाशित पुस्तकें बहुत ही लोकप्रिय हैं।

## पत्रिकाएं

पुस्तकों के अलावा विभाग 21 पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता

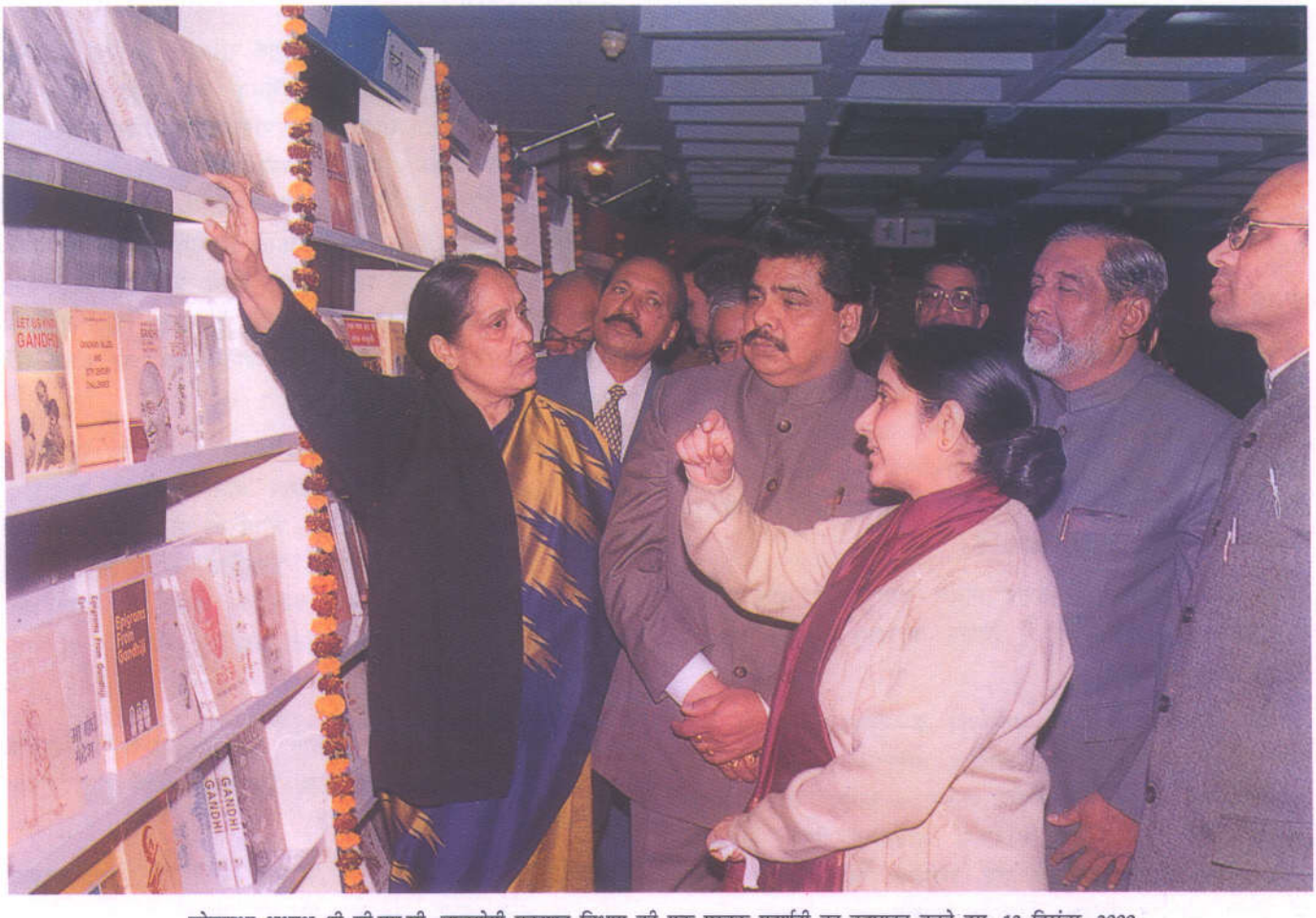


*लोकसभा अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी प्रकाशन विभाग की एक पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए, 12 दिसंबर, 2000*

है। इनमें से 'रोजगार समाचार' हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में, 'योजना' 13 भाषाओं में, 'कुरुक्षेत्र' हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है, इन पत्रिकाओं में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और सामाजिक सरोकारों पर अच्छी सामग्री प्रस्तुत की जाती है। ये पत्रिकाएं लोक सेवाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं।

'योजना' 13 भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। ये भाषायें हैं- असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू। इस वर्ष के दौरान पत्रिका में कमजोर वर्गों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय, 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, सूचना तकनीकी आदि पर विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित किए गए। स्वतंत्रता दिवस विशेषांक का केंद्रीय विषय 'जनसंख्या और विकास' था जबकि गणतंत्र दिवस विशेषांक (जनवरी 2001) नई कृषि नीति को समर्पित है।

ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशित किया जाता है। 'कुरुक्षेत्र के अप्रैल 2000 के विशेषांक में ग्रामीण इलाकों में रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों और नीतियों का विस्तृत विलेषण किया गया। अक्तूबर 2000 के वार्षिकांक में ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण पक्षों में हुए विकास, इस काम में आई बाधाओं और ग्रामीण विकास के लिए की गई पहल की भावी संभावनाओं का विस्तार से मूल्यांकन किया गया था।

बच्चों की मासिक पत्रिका 'बाल भारती' में बाल पाठकों के लिए कहानियां, कविताएं, चित्रकथाएं तथा सूचनाप्रद, सामग्री शामिल की जाती हैं। सहस्राब्दि का आरंभिक वर्ष होने के कारण 'बाल भारती' ने पिछले एक हजार वर्ष के भारतीय और विश्व इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर लेखों की शृंखला प्रकाशित की। सिडनी ओलंपिक के अवसर पर सितंबर 2000 अंक में खेलों पर विस्तृत सामग्री प्रकाशित की गई।

साहित्यिक पत्रिका 'आजकल' हिंदी और उर्दू में प्रकाशित की जाती है। वर्ष के दौरान इसने कई विशेषांक प्रकाशित किए जिनमें भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर लेख प्रकाशित किए गए हैं।

'रोजगार समाचार' / 'एंप्लायमेंट न्यूज' हर सप्ताह अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता है। लगभग 5.40 लाख की साप्ताहिक प्रसार संख्या के साथ आज यह सर्वाधिक प्रसारित होने वाली कैरियर गाईड है। इसमें केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में रिक्तियों के बारे में जानकारी होती है। इससे इस साप्ताहिक ने देश के शिक्षित बेरोजगारों के बीच अपनी एक खास जगह बना ली है। इसके संपादकीय पृष्ठ पर एक प्रमुख लेख, घटनाक्रम, संपादक के नाम पत्र, उद्धरण जैसे नियमित स्तंभों के अलावा परीक्षार्थियों के लिए कैरियर संबंधी सलाह तथा अन्य उपयोगी जानकारियां होती हैं। ऐसे ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जहां 'रोजगार समाचार' का अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां, एजेंट नियुक्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे उन इलाकों में भी सुलभ बनाया जा सके।

**भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार**

हिंदी में जनसंचार पर मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार शुरू किए गए थे। ये पुरस्कार बाल साहित्य, राष्ट्रीय एकता और महिला विषयक लेखन पर भी दिए जाते हैं। वर्ष 1994-1999 तक के पुरस्कार जून 2000 में दिए गए।

## भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम पुरस्कार से सम्मानित लेखकों की सूची

| वर्ग | वर्ष 1994, 95, 96 | वर्ष 1997 | वर्ष 1998 | वर्ष 1999 |
|---|---|---|---|---|
| जनसंचार | स्व. हरमल सिंह को 'फिल्में कैसे बनती हैं' के लिए | श्री कृष्ण कुमार भार्गव को 'विश्व उच्चारण कोश' के लिए | श्री श्याम सुंदर शर्मा को 'हिंदी प्रकाशन का इतिहास' के लिए | डा. मनोहर प्रभाकर को 'पत्रकारी लेखन के आयाम' के लिए |
| राष्ट्रीय एकता | एक पुरस्कार इसे दो लेखकों के बीच बांटा गया - डा. देवेन्द्र चंद्र दास 'असमा सुषमा मनोरमा' के लिए और श्री अमरनाथ सिंह 'राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव' के लिए | - | - | - |
| महिला समस्याएं | एक पुरस्कार श्रीमती आशारानी व्होरा को 'स्त्री सरोकार' के लिए | - | श्रीमती क्षमा शर्मा को 'स्त्री का समय' के लिए | |
| बाल साहित्य | श्री देवेंद्र मेवाड़ी को 'सूरज के आंगन में' के लिए | श्री जाकिर अली 'रजनीश' को 'समय के पार' के लिए | श्री अलका पाठक को 'इंसान का बेटा' के लिए | श्री गोविंद शर्मा को 'कालू कौवा एवं अन्य कहानियां' के लिए |

### राजस्व

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 30.21 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जो वर्ष 1998-1999 के दौरान प्राप्त राजस्व से 8.85 करोड़ रुपये अधिक था। वर्ष 1998-1999 के दौरान अर्जित राजस्व की राशि 21.36 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान अर्जित विभाग का मुनाफा भी अब तक का सर्वाधिक 3.93 करोड़ रुपये था। 31 दिसंबर, 2000 तक विभाग ने 25.33 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर लिया था। इसके बढ़कर 33 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है।

### विक्रय नेटवर्क

प्रकाशन विभाग अपनी पुस्तकों, पत्रिकाओं और सी डी की बिक्री नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, पटना और लखनऊ स्थित अपने विक्रय केंद्रों के साथ-साथ लगभग 400 एजेंटों के जरिये करता है। इसके अलावा, अहमदाबाद, बंगलौर और गुवाहाटी में स्थित योजना कार्यालयों और भोपाल, इंदौर, जयपुर स्थित पत्र सूचना कार्यालयों के जरिए भी इसके प्रकाशनों की बिक्री की जाती है। विभाग ने प्रमुख पुस्तक मेलों-विश्व पुस्तक मेला, कोलकाता पुस्तक मेला तथा दिल्ली पुस्तक मेला - में भाग लिया। अप्रैल-दिसंबर 2000 के बीच इसने अपनी 106 पुस्तक प्रदर्शनियां लगाई। विभाग ने नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद और नई दिल्ली में स्वतंत्र रूप से अपनी प्रदर्शनी भी लगाई।

### प्रमुख कार्यक्रम

विभाग की योजना हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की मिनीएचर पेंटिंग, राजा रवि वर्मा की चित्रकला, बंगाल चित्रकला तथा नंदलाल बोस और रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे चित्रकारों की चित्रकला जैसी विभिन्न चित्रकला शैलियों पर सी डी तैयार करने की है।

इसके लिए चुने गये दूसरे क्षेत्र में ताजमहल, लाल किला, मदुरै मीनाक्षी मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्मारकों की यथार्थ यात्रा का आभास देने वाली सी डी तैयार करना है।

हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की कदरदानी करने वाली सी डी की एक श्रृंखला तैयार करने का भी प्रस्ताव है। ये सीडी संगति में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और संदर्भों की व्याख्या करने और सोदाहरण समझाने का काम भी करेंगी।

## परिशिष्ट

## क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रचार इकाइयां

### आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद
2. कुडप्पा
3. गुंटूर
4. काकिनाड़ा
5. कुर्नूल
6. मेडक
7. नलगोंडा
8. नेल्लूर
9. निज़ामाबाद
10. श्रीकाकुलम्
11. विशाखापत्तनम
12. वारंगल

### अरुणाचल प्रदेश

1. ईटानगर
2. अनिनी
3. एलोंग
4. बोमडिला
5. खोंसा
6. नाम्पोंग
7. डापोरिजो
8. पासीघाट
9. सेप्पा
10. तवांग
11. तेजू
12. ज़िरो
13. यिंगकिओंग

### असम

1. गुवाहाटी
2. धुबरी
3. डिब्रूगढ़
4. दीफू
5. बारपेटा
6. हाफलौंग
7. जोरहाट
8. नलबाड़ी
9. उत्तरी लखीमपुर
10. नौगांव
11. तेज़पुर
13. धेमजी

### बिहार-उत्तरी

1. पटना
2. बेगूसराय
3. छपरा
4. दरभंगा
5. भागलपुर
6. किशनगंज
7. मुंगेर
8. मोतिहारी
9. मुजफ्फरपुर
10. फारबिसगंज
11. सीतामढ़ी

### बिहार-दक्षिणी

1. रांची
2. धनबाद
3. दुमका
4. गया
5. गुमला
6. हजारीबाग
7. जमशेदपुर
8. डाल्टनगंज
9. चाईबासा

### गुजरात

1. अहमदाबाद
2. अहवा
3. भावनगर
4. भुज
5. गोधरा
6. हिम्मतनगर
7. जूनागढ़
8. पालनपुर
9. राजकोट
10. सूरत
11. वड़ोदरा

### जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू
2. बारामूला
3. चदूरा
4. डोडा
5. अनंतनाग
6. कंगन
7. करगिल
8. कठुआ
9. कुपवाड़ा
10. लेह
11. पुंछ
12. राजौरी
13. शोपियां
14. श्रीनगर
15. उधमपुर

### कर्नाटक

1. बंगलूर
2. बेलगाम
3. बेल्लारी
4. बीजापुर
5. चित्रदुर्ग
6. धारवाड़
7. गुलबर्गा
8. हासन
9. मंगलूर
10. मैसूर
11. शिमोगा

### केरल

1. तिरुअनंतपुरम
2. कन्नानूर
3. एर्नाकुलम
4. वायनाड
5. कोट्टायम
6. कोजीकोड
7. मल्लापुरम
8. पालघाट
9. क्विलोन
10. त्रिशूर
11. अलेप्पी
12. कावारत्ती

### छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश-पूर्व

1. रायपुर
2. बालाघाट
3. बिलासपुर
4. दुर्ग
5. जबलपुर
6. जगदलपुर
7. कांकेर
8. अंबिकापुर
9. रीवां
10. शहडोल
11. सीधी
12. बस्तर

### मध्य प्रदेश-पश्चिम

1. भोपाल
2. छतरपुर
3. छिंदवाड़ा
4. गुना
5. ग्वालियर
6. होशंगाबाद
7. इंदौर
8. झाबुआ
9. मंदसौर
10. सागर
11. उज्जैन

### महाराष्ट्र और गोवा

1. पुणे
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. मुंबई
5. चंद्रपुर
6. जलगांव
7. कोल्हापुर
8. नागपुर
9. नांदेड़
10. नासिक
11. अहमदनगर
12. रत्नागिरी
13. सतारा
14. शोलापुर
15. वर्धा
16. पणजी

### मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा

1. शिलांग
2. आईजोल
3. जोवाई
4. विलियम नगर
5. कैलाशहर
6. लुंगलेई
7. सैहा
8. अगरतला
9. तुरा
10. उदयपुर
11. नोंगस्टोइन

### नगालैंड तथा मणिपुर

1. कोहिमा
2. चूड़ाचांदपुर
3. इंफाल
4. चंदेल
5. मोकोकचुंग
6. मोन
7. तोमेंगलोंग
8. त्वेनसांग
9. उखरूल
10. सेनापति

### उत्तर-पश्चिम

1. चंडीगढ़
2. अमृतसर
3. अंबाला
4. धर्मशाला
5. फिरोजपुर
6. हमीरपुर
7. हिसार
8. जालंधर
9. रिकोंग पियो
10. लुधियाना
11. मंडी
12. नाहन
13. नारनौल
14. नई दिल्ली (1)
15. नई दिल्ली (2)
16. पठानकोट
17. रोहतक
18. शिमला
19. चम्बा

### उड़ीसा

1. भुवनेश्वर
2. बारीपाड़ा
3. बेरहामपुर
4. भवानीपटना
5. बालासोर
6. कटक
7. ढेंकानाल
8. जैपोर
9. क्योंझर
10. फुलबनी
11. पुरी
12. संबलपुर

### राजस्थान

1. जयपुर
2. अलवर
3. बाड़मेर
4. बीकानेर
5. अजमेर
6. जैसलमेर
7. जोधपुर
8. कोटा
9. डूंगरपुर
10. सीकर
11. श्रीगंगानगर
12. उदयपुर
13. सवाईमाधोपुर
14. सिरोही

### तमिलनाडु तथा पांडिचेरी

1. चेन्नई
2. धर्मपुरी
3. कोयंबटूर
4. मदुरै
5. पांडिचेरी
6. रामनाथपुरम
7. सलेम
8. तंजावूर
9. तिरुचिरापल्ली
10. तिरुनेलवेल्लि
11. वेल्लूर

### उत्तर प्रदेश (मध्य-पूर्वी)

1. लखनऊ
2. आज़मगढ़
3. बांदा
4. गोंडा
5. गोरखपुर
6. झांसी
7. कानपुर
8. लखीमपुर खीरी
9. इलाहाबाद
10. मैनपुरी
11. रायबरेली
12. सुल्तानपुर
13. वाराणसी

### उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश (उत्तर-पश्चिमी)

1. देहरादून
2. अलीगढ़
3. बरेली
4. आगरा
5. गोपेश्वर
6. मेरठ
7. मुरादाबाद
8. मुजफ्फनगर
9. नैनीताल
10. पौड़ी
11. पिथौरागढ़
12. रानीखेत
13. उत्तरकाशी

### पश्चिम बंगाल (उत्तरी)

1. सिलीगुड़ी
2. गंगतोक
3. जलपाईगुड़ी
4. जोरथांग
5. कलिमपोंग
6. मालदा
7. रायगंज
8. कूच बिहार

### पश्चिम बंगाल (दक्षिणी)

1. कलकत्ता
2. बैरकपुर
3. बेरहामपुर
4. बर्दवान
5. बांकुड़ा
6. कार निकोबार
7. चिनसुरा
8. मिदनापुर
9. पोर्ट ब्लेयर
10. राणाघाट
11. कलकत्ता (प.क.)

# 5

# मीडिया इकाइयां/स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक उपक्रम—फिल्म क्षेत्र

## फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग फिल्म्स डिवीजन के उद्देश्य और लक्ष्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित हैं। यह राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने में लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने और उन्हें इसमें भागीदार बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षित तथा प्रेरित करता है। इसके अलावा यह देश-विदेश के लोगों के समक्ष भारत के लोगों और यहां की विरासत की एक छवि प्रस्तुत करता है। प्रभाग का एक अन्य उद्देश्य देश में वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा देना है जो सूचना, संचार और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रभाग राज्य सरकारों द्वारा निर्मित वृत्तचित्रों और न्यूज रील फिल्मों को सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए रिलीज करता है। यह वृत्तचित्रों के प्रिंट, स्टॉक शॉट्स, वीडियो कैसेट तथा वितरण अधिकार भारत तथा विदेशों में बेचता है।

प्रभाग के चार स्कंध हैं : निर्माण; वितरण; अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु तथा एनीमेशन फिल्म और प्रशासन।

### निर्माण

निर्माण स्कंध पर वृत्तचित्रों, समाचार पत्रिकाओं और ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई लघु फीचर फिल्मों, एनीमेशन फिल्मों और वीडियो फिल्मों के निर्माण की

*राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन हृषिकेश मुखर्जी को वर्ष 1999 का दादा साहब फालके पुरस्कार अर्पित करते हुए, 18 दिसंबर, 2000*

जिम्मेदारी है। फिल्म प्रभाग का मुख्यालय मुंबई में है और बंगलौर, कोलकाता तथा नई दिल्ली में इसके तीन निर्माण केंद्र हैं, प्रभाग कृषि, कला और वास्तुशिल्प, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य की देखभाल, विज्ञान और टेक्नोलाजी, व्यापार व वाणिज्य, जनजातीय कल्याण और सामुदायिक विकास जैसे विविध विषयों पर फिल्में बनाता है। वृत्तचित्र फिल्में बनाने में व्यक्तिगत प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रभाग बनाई जाने वाली फिल्मों में से 40 प्रतिशत स्वतंत्र निर्माताओं के लिए सुरक्षित रखता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत सभी मंत्रालयों और विभागों को भी प्रभाग मदद करता है।

प्रभाग का न्यूजरील (समाचार दर्शन) स्कंध देशभर में समाचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करता है और एक पाक्षिक समाचार पत्रिका तैयार करने के साथ-साथ अभिलेख के लिए समाचार सामग्री का संकलन भी करता है।

प्रभाग की कार्टून फिल्म इकाई 1954 में शुरू हुई। इसमें कठपुतली/कम्प्यूटर एनीमेशन फिल्मों के निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रभाग द्वारा बनाई गई कुछ एनीमेशन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

फिल्म प्रभाग का कमेंट्री अनुभाग हिंदी और अंग्रेजी में मूल रूप से बनी फिल्मों और समाचार पत्रिकाओं का 14 भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद करता है।

प्रभाग का दिल्ली एकांश कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग के लिए शिक्षाप्रद तथा प्रेरक फिल्में बनाता है। प्रभाग के कोलकाता और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय निर्माण केंद्र ग्रामीण दर्शकों के लिए सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक विषयों पर लघु कथा चित्र बनाते हैं। 16 मि.मी. फार्मेट में बनी ये फिल्में किसी कथाक्रम पर आधारित होती हैं और इनमें शिक्षा तथा मनोरंजन का पुट भी मौजूद रहता है।

तमिल, तेलुगू, मलयालम, बांग्ला, असमिया, उड़िया और पूर्वोत्तर व दक्षिण की कई अन्य बोलियों तथा उत्तरी व पश्चिमी भारत की क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों में बनने वाली लघु तथा फिल्मों में संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय प्रतिभाओं का उपयोग किया जाता है।

इन फिल्मों को उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा तैयार परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार करना है। गांवों के लोगों पर इनका जबर्दस्त असर पड़ता है।

### वितरण

फिल्म प्रभाग के वितरण स्कंध के दस शाखा कार्यालय हैं जो बंगलौर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, मदुरै, नागपुर, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा में हैं। इनमें से प्रत्येक शाखा कार्यालय करीब 1500 सिनेमाघरों को अपनी फिल्में उपलब्ध कराता है। सन् 2000-2001 में (30 नवंबर, 2000 तक) प्रभाग ने देशभर में 12,312 सिनेमाघरों को फिल्में दीं जिन्हें हर सप्ताह करीब 9-10 करोड़ दर्शकों ने देखा। सिनेमाघरों से बाहर फिल्मों के प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों की मदद ली जाती है और सचल इकाइयों को 16 मि.मी. फिल्मों के प्रिंट प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, ये इकाइयां हर सप्ताह करीब 4-5 करोड़ लोगों को फिल्में दिखाती हैं। इसके अलावा प्रभाग की डाक्यूमेंटरी फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनलों पर भी प्रसारित की जाती हैं। शिक्षण संस्थाएं, फिल्म समितियां और देशभर के अन्य सामाजिक संगठन प्रभाग के वितरण कार्यालयों की लाइब्रेरी से फिल्में लेकर दिखाते हैं। प्रभाग फिल्मों के वीडियो कैसेट रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, शिक्षा संस्थाओं और निजी संगठनों को गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए भी बेचता है।

कुछ चुनी हुई फिल्मों के प्रिंट विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और कुछ निजी एजेंसियां फिल्म प्रभाग की फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय वितरण की व्यवस्था करती हैं। प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों का उपयोग विदेशी वीडियो और टेलीविजन संगठन भी करते हैं जिसके लिए वे प्रभाग को रायल्टी देते हैं।

### अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्म समारोह

फिल्म प्रभाग वृत्तचित्रों, लघु और एनीमेशन फिल्मों के प्रदर्शन के लिए 'मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह' आयोजित करता है। यह द्विवार्षिक समारोह है। पहला समारोह 1-7 मार्च, 1990 के दौरान आयोजित किया गया था। सातवां समारोह 3-9 फरवरी, 2002 को होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल प्रतिस्पर्धा वर्ग में उत्कृष्ट फिल्मों का चयन करती है और दो सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को स्वर्ण तथा रजत शंख तथा नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। 1996 में वृत्तचित्रों फिल्मों के लिए डा. वी. शांताराम पुरस्कार शुरू किया गया है। यह पुरस्कार वृत्तचित्र

बनाने के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए किसी वरिष्ठ वृत्तचित्र निर्माता को दिया जाता है।

### प्रशासन

प्रशासन स्कंध प्रभाग को अपने अन्य स्कंधों के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे—पैसा और अन्य सामग्री उपलब्ध कराता है। यह स्थापना, भंडार की देखभाल, कार्यशाला और सामान्य प्रशासन से संबंधित तमाम मुद्दों के लिए उत्तरदायी है।

फिल्म प्रभाग की फिल्मों की लाइब्रेरी कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली से सुसज्जित है। इसमें भारत की समसामयिक फिल्मों और उसकी विरासत से संबंधित ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध है। इसके अभिलेखागार में विभिन्न प्रकार की फिल्मों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण फुटेज हैं। फिल्म लाइब्रेरी में करीब 1.9 लाख फिल्में हैं जिनमें फिल्मों के मूल नेगेटिव, डुप्लिकेट/इंटर नेगेटिव, ध्वनि नेगेटिव, मास्टर/इंटर पाजीटिव, सेचुरेटेड प्रिंट्स, इंटरनेशनल ट्रैक्स, प्री-डब साउंड नेगेटिव, 16 मि.मी. प्रिंट, लाइब्रेरी प्रिंट और आंसर प्रिंट आदि शामिल हैं। अभिलेखागार की दृष्टि से महत्वपूर्ण फिल्मों को डीवीडी फार्मेट में डब किया जा रहा है। अब तक 950 फिल्मों के डीवीडी प्रिंट बनाए जा चुके हैं। फिल्म लाइब्रेरी का ब्यौरा फिल्म प्रभाग के वेब साइट पर भी उपलब्ध है।

### कार्य निष्पादन

पहली अप्रैल से 30 नवम्बर, 2000 तक प्रभाग ने 21 समाचार चित्र और 57 वृत्तचित्र/लघु कथाचित्र और वीडियो फिल्में बनाईं। इनमें से 62 फिल्में खुद बनाई गई हैं और 16 फिल्में स्वतंत्र निर्माताओं ने बनाईं। अप्रैल से नवंबर, 2000 तक प्रभाग ने सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए 27 वृत्तचित्रों और 17 समाचार पत्रिकाओं के 12,386 प्रिंट जारी किए। इसके अलावा प्रभाग भारत और विदेशों में गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए अपनी फिल्मों के 2,465 वीडियो/बीटाकैम कैसेट और 34 प्रिंट भी बेचे। 30 नवंबर, 2000 तक प्रभाग ने कुल 727.65 लाख रुपये का लाभ कमाया जिसमें 22.72 लाख रुपये स्टॉक शॉट्स प्रिंट्स और वीडियो/बीटाकैम कैसेट की बिक्री से प्राप्त हुए।

प्रभाग ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उत्थान, निरक्षरता, छुआछूत व बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन जैसे अभियानों में लगातार प्रचार और संचार सहयोग प्रदान किया।

**फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित कुछ फिल्में**

ए ग्लिमर ऑफ होप

सेक्रेड ग्रोव्ज

सारंगी

धौलावीरा

हिंदी की विकास यात्रा

ज्योति

**जीवनियों पर आधारित निर्माणाधीन फिल्में**

श्रीमती रमादेवी

सोनल मानसिंह

डॉ. शिवराम कारंत

कस्तूरबा गांधी

सिस्टर निवेदिता

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित

तीजन बाई

श्री बीजू पटनायक

पहली अप्रैल से 30 नवंबर, 2000 तक फिल्म प्रभाग ने 6 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 50 और 39 अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में 203 फिल्में प्रदर्शित कीं।

**फिल्म प्रभाग की पुरस्कृत फिल्में**

**राष्ट्रीय पुरस्कार**

एंड द बैम्बू ब्लूम्स

डार्कनेस ऑव टेरर

मल्लिका साराभाई

कलामंडलम गोपी

**महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार**

समाचार चित्र सं. 380-धारावी

## फिल्म समारोह निदेशालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय का गठन 1973 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 'अच्छे सिनेमा' को बढ़ावा देना है। गठन के समय से ही निदेशालय ने हर साल राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन कर बेहतरीन भारतीय सिनेमा के लिए एक मंच प्रदान

किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह सांस्कृतिक समझ और मित्रता को बढ़ावा देने का माध्यम सिद्ध हुआ है। निदेशालय ने विश्व सिनेमा की नवीनतम प्रवृत्तियों को आम आदमी तक पहुंचाया है। निदेशालय की गतिविधियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करना, विदेशों के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना, भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन करना, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत विदेशों में भारतीय फिल्म सप्ताह आयोजित करना, भारत सरकार की ओर से समय-समय पर फिल्मों के प्रदर्शन के लिए विशेष समारोह आयोजित करना तथा संकलन व प्रलेखन सामग्री प्रकाशित करना शामिल हैं।

**राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार**

47वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के निर्णायक मंडल के लिए फिल्मों का प्रदर्शन जून-जुलाई 2000 में शुरू हुआ। इसमें विभिन्न वर्गों के अंतर्गत 95 फीचर फिल्में, 81 गैर-फीचर फिल्में और 14 पुस्तकें पुरस्कार के लिए आईं, 15 फिल्म समीक्षक भी वर्ष के उत्कृष्ट फिल्म समीक्षक के पुरस्कार-वर्ग में शामिल हुए।

**भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह**

31वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जनवरी 2000 में आयोजित किया गया। सन् 2001 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन के समय में बदलाव किया गया है और अब यह जनवरी की बजाय अक्तूबर में होगा। इसी के तहत अब 32वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 से 20 अक्तूबर 2001 तक बंगलौर में आयोजित किया जाएगा।

भारतीय पैनोरमा वर्ष की बेहतरीन फिल्मों का एक झरोखा है। इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के एक अलग खंड के रूप में किया जाता है। सन् 2000 का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 से 20 जनवरी, 2000 तक आयोजित किया गया और इसके अंतर्गत भारतीय पैनोरमा 2000 का सफल आयोजन किया गया। अगला भारतीय पैनोरमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अलग खंड के रूप में अक्तूबर 2001 में आयोजित किया जाएगा।

**विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी**

भारतीय पैनोरमा के लिए चुनी गई विभिन्न फिल्मों ने अप्रैल से नवंबर 2000 तक 50 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया।

**राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार**

| | | |
|---|---|---|
| **सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म** | : | **वानप्रस्थम्** (मलयालम)- शाजी एन. करुण द्वारा निर्देशित |
| **सर्वोत्कृष्ट गैर-फीचर फिल्म** | : | **दुई पाटन के बीच में** - श्री अरविन्द सिन्हा द्वारा निर्देशित |
| **सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट पुस्तक** | : | सुश्री अरुणा दामले की मराठी **चित्रपट संगीताची वाटचाल** और श्री मधु इर्वान्कुरा की मलयाला सिनेमायम **साहित्यवुम** |
| **सर्वोत्कृट फिल्म समीक्षक (1999)** | : | श्री आई. षणमुगा दास |
| **दादा साहब फालके पुरस्कार (1999)** | : | श्री हृषिकेश मुखर्जी |

**पुरस्कृत फिल्में**

| फिल्म का नाम | | पुरस्कार का नाम |
|---|---|---|
| फीचर फिल्म **वानप्रस्थम्** | : | इस्ताम्बूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार |
| गैर-फीचर फिल्म **इन द फारेस्ट हैंग्स ए ब्रिज** | : | पूसन एशियाई शॉर्ट फिल्म समारोह में रचनात्मक एशियाई लघु फिल्म के लिए एशियन गेज पुरस्कार |
| **शाम्स वीजन** | : | बेल्जियम में कला और शिल्प के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रिक्स डी ला मील्यूर रिअलाइजेशन सिनेमेटोग्राफिक पुरस्कार |
| **ब्लाइंड फोल्डेड** | : | रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में डाक्यूमेंटरी, शॉर्ट और एनीमेशन फिल्मों के अंतर्राट्रीय समारोह में मनुष्य को संदेश वर्ग में डायरेक्टर की पहली फिल्म का पुरस्कार |
| लघु फीचर **जीबोन** | : | प्योंग्यांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार |

फिल्म समारोह निदेशालय ने फिल्म 'उत्तरा' (द रेसलर्स) के निर्देशक श्री बुद्धदेव दासगुप्ता को हाल में संपन्न वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए सहायता दी। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, हालांकि यह पैनोरमा खंड की फिल्म नहीं थी।

### सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशालय ने विदेशी दूतावासों और एजेंसियों के सहयोग से चुने हुए देशों के फिल्म समारोह आयोजित किए। अप्रैल से दिसंबर 2000 तक छह फिल्म समारोह आयोजित किए गए जिनमें यूरोपीय संघ के देशों, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पोलैंड, आइसलैंड, जापान और ग्रीस की फिल्में दिखाई गईं। यूरोपीय संघ के फिल्म समारोह का आयोजन दिल्ली और कोलकाता में किया गया जबकि जापान की फिल्में मुंबई, बंगलौर और कोलकाता में दिखाई गईं। इसी तरह ग्रीस की फिल्मों का समारोह नई दिल्ली और इंफाल में आयोजित किया गया। दिल्ली और मुंबई में आइसलैंड की फिल्मों के समारोह भी आयोजित किए गए। आइसलैंड के राष्ट्रपति इस समारोह में उपस्थित थे। डीपीआर कोरिया, पोलैंड और ग्रीस के शिष्टमंडलों ने भी भारत में आयोजित अपने-अपने देश के फिल्म समारोह में भाग लिया।

चीन, फ्रांस, उत्तर कोरिया, ब्राजील, श्रीलंका और अमरीका (शिकागो) में भारतीय फिल्म सप्ताह का आयोजन किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) के सहयोग से दिसंबर 2000 और मार्च 2001 के बीच बर्लिन, मास्को, लंदन और साओ पाओलो (ब्राजील) में स्मिता पाटिल की फिल्मों का पुनरावलोकन-प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरीन और हालैंड में भी वहां स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों के सहयोग से फिल्म सप्ताह आयोजित किए जा रहे हैं।

चीन के साथ फिल्मों के क्षेत्र में सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिए तीन अधिकारियों के एक दल ने वहां की यात्रा की। जर्मन सिनेमा के एक दशक शीर्षक के अंतर्गत कोलकाता और बंगलौर में फिल्म समारोह आयोजित किए गए।

## भारतीय बाल फिल्म समिति

भारतीय बाल फिल्म समिति, (जिसे पहले राष्ट्रीय बाल और युवा चलचित्र केंद्र के नाम से जाना जाता था) का मुख्यालय मुंबई में है। दिल्ली और चेन्नई में इसकी शाखाएं हैं। इसकी स्थापना मई 1955 में हुई थी। समिति बच्चों और किशोरों के लिए फिल्में, टेलीविजन धारावाहिक, छोटी फिल्में और एनीमेशन फिल्में बनाती है। यह सिनेमाघरों और टेलीविजन पर फिल्मों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन कर नई पीढ़ी को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने का प्रयास करती है। समिति विदेशी फिल्मों की भारतीय भाषाओं में डबिंग करके उनका प्रदर्शन भी करती है। इसके लिए वह इन फिल्मों के अधिकार खरीद लेती है।

बाल फिल्म समिति द्वारा निर्मित फिल्में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भेजी जाती हैं। समिति स्वयं भी एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करती है। यह एक साल छोड़कर आयोजित किया जाता है। हैदराबाद इस द्विवार्षिक समारोह का स्थायी आयोजन स्थल है। प्रोत्साहन गतिविधियों के रूप में समिति विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करती है, जैसे एनीमेशन कार्यशाला, वीडियो कार्यशाला और पटकथा लेखन कार्यशाला। समिति के मुख्य उद्देश्य ये हैं: दुनियाभर की अच्छी फिल्में मंगाकर उनको बढ़ावा देना ताकि बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन के साथ उनमें फिल्म-कला की पहचान की आलोचनात्मक समझ विकसित हो, फिल्म बनाने वालों और बच्चों के बीच विचारों/दृष्टिकोण का आदान-प्रदान करना और दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ाना, कलात्मक सुंदरता और विविधतापूर्ण संस्कृतियों को प्रदर्शित करने वाली बेहतरीन बाल फिल्में दिखाना।

### विपणन

भारतीय बाल फिल्म समिति देश के दूर-दराज के अधिक-से-अधिक बच्चों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित उपाय करती है:

- 35 मि.मी./16 मि.मी. फिल्मों का प्रदर्शन,
- वीडियो कैसेट्स की बिक्री,
- मिनी फिल्म समारोहों का आयोजन/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी,
- दूरदर्शन के मुख्य चैनल तथा क्षेत्रीय केंद्रों से बाल फिल्मों का प्रसारण,
- फिल्म बोनांजा/वर्कशाप का आयोजन,
- बाल फिल्म समिति के अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन।

### पुरस्कार

बाल फिल्म समिति की फिल्म **द गोल** को सन् 2000 में हुए 47वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का

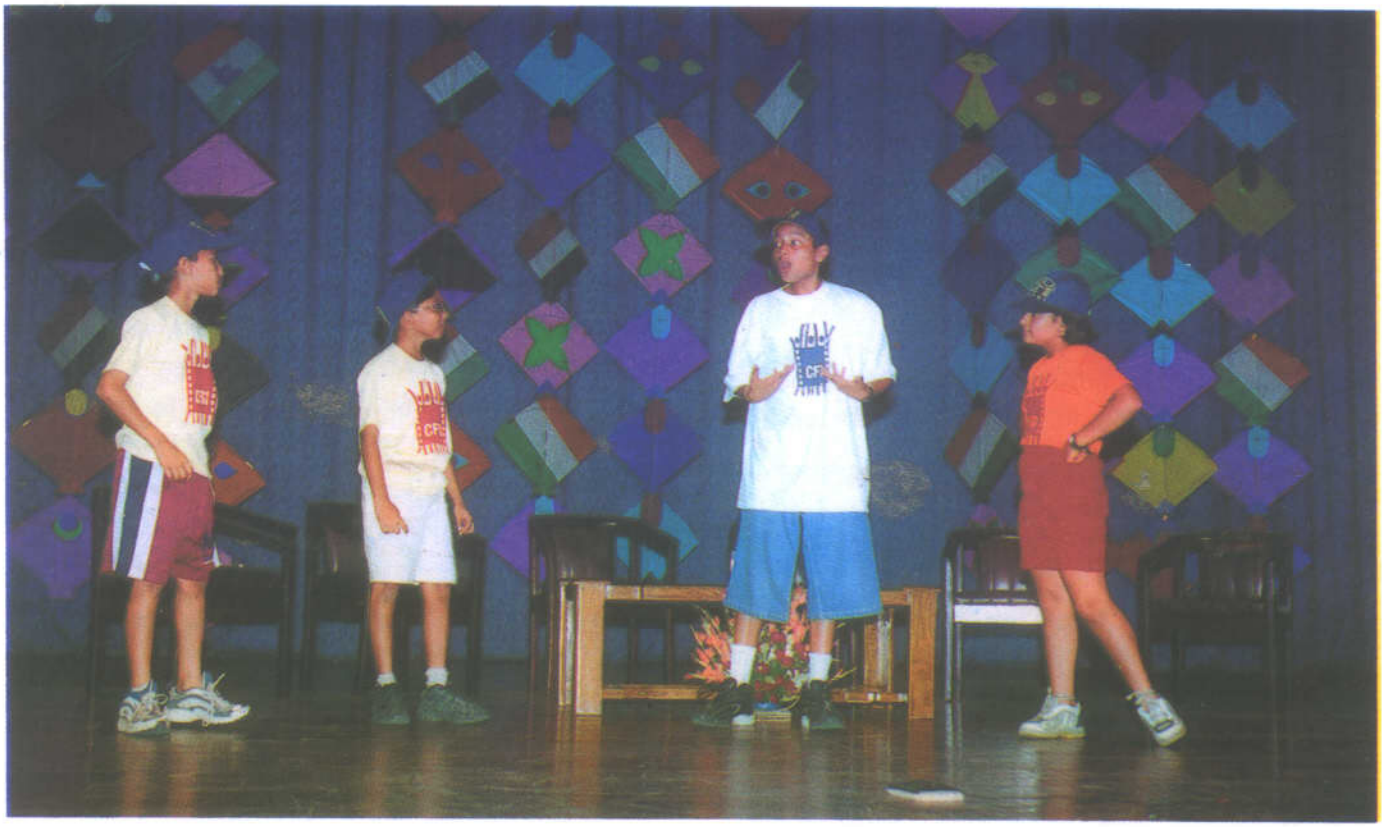

*बाल फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते बच्चे, 18 अगस्त, 2000*

पुरस्कार मिला। वर्ष के दौरान समिति की तीन फिल्मों— मल्ली, नंदन और कभी पास कभी फेल ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते।

### बाल फिल्म बोनांजा

पिछले वर्षों की तरह इस साल भी बाल फिल्म समिति ने चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में क्रमश: 10-15 मई 2000, 17-31 मई 2000 और 18-27 अगस्त 2000 तक बाल फिल्म बोनांजा का आयोजन किया। इन समारोहों में कुल 38 फिल्में प्रदर्शित की गईं।

### राष्ट्रीय नेटवर्क पर बाल फिल्म समिति की फिल्मों का प्रदर्शन

समिति की पुरस्कृत फिल्म 'कभी पास कभी फेल' दूरदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित की गई। 'हालो' नामक एक अन्य पुरस्कृत फिल्म दूरदर्शन के मुंबई और चेन्नई केंद्रों से प्रदर्शित की गई।

सहारा टेलीविजन ने अपने नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए 48 फिल्मों के उपग्रह प्रसारण अधिकार खरीदे। पूर्वी खाड़ी देशों में समिति की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए दस फीचर फिल्मों के टेलीविजन प्रसारण अधिकार लुबीना प्रोडक्शन्स, अम्मान जार्डन को बेचे गए।

### वीडियो कैसेट की बिक्री

जनवरी 2000 से विभिन्न स्कूलों, संस्थाओं और व्यक्तियों को कुल 1,456 वी एच एस कैसेट बेचे गए जिससे 4,04,005 रुपये की आय हुई।

### अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

बाल फिल्म समिति दुनियाभर में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों में नियमित रूप से भाग लेती है।

| | |
|---|---|
| 15-20 मई, 2000 | पोलैंड में पोज्नान में सम्पन्न 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह |
| 15-19 अक्तूबर, 2000 | ब्राजील में रिओ डी जेनेरो में सम्पन्न बाल फिल्म समारोह |
| 14-20 अक्तूबर, 2000 | ईरान में तेहरान में सम्पन्न 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह |

## भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एकांश के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय पुणे में है तथा बंगलौर, कोलकाता और तिरुअनंतपुरम में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

### अभिलेखागार के मुख्य उद्देश्य

1. भारतीय सिनेमा की विरासत का पता लगाना, इसे हासिल करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना।
2. फिल्मों के बारे में अनुसंधान करना और सूचनाओं का वर्गीकरण व प्रलेखन करना और
3. फिल्म संस्कृति के प्रसार के केन्द्र के रूप में कार्य करना।

सन् 2000 में अप्रैल से दिसंबर तक अभिलेखागार ने 60 नई फिल्में, 161 डुप्लीकेट प्रिंट, 30 मुफ्त जमा कराई गई फिल्में, 45 वीडियो कैसेट, 225 पुस्तकें, 83 डिस्क रिकार्ड, 600 स्लाइड्स, 109 प्री-रिकार्डेड आडियो कैसेट, 120 अखबारी कतरनें, 1,988 छायाचित्र, 418 गीत पुस्तिकाएं, 436 पोस्टर, 2 आडियो कॉम्पैक्ट डिस्क और 4 डीवीडी हासिल किए।

देशभर में अभिलेखागार की वितरण लाइब्रेरी के 26 सक्रिय सदस्य हैं और यह साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक आधार पर छह महत्वपूर्ण केंद्रों में संयुक्त रूप से फिल्मों के प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित करती है। अभिलेखागार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम फिल्मों के बारे में शिक्षा से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान तथा अन्य सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से दीर्घावधि और अल्पावधि फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

अभिलेखागार मई 1969 से फिल्म अभिलेखागारों के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ का सदस्य है। इससे अभिलेखागार को संरक्षण तकनीक, प्रलेखन, ग्रंथसूची आदि से संबंधित सामग्री और विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे अभिलेख विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्लभ फिल्में प्राप्त करना भी बड़ा आसान हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखागार ने आस्ट्रेलियाई उच्चायोग, फ्रांसीसी दूतावास और चेक वाणिज्य दूतावास के सहयोग से इन देशों की फिल्मों के पुनरावलोकन समारोह का आयोजन किया। अलायंस फ्रांसीसे के सहयोग से जर्मन, बेल्जियम और स्वीडिश फिल्मों के प्रदर्शन के संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रीलंका में कोलम्बो और कैंडी में आयोजित तमिल फिल्म समारोह के लिए पुराने जमाने की सात तमिल फिल्में श्रीलंका के नेशनल फिल्म कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई गईं, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने एफएफएसआई और ऐशे फिल्म क्लब के सहयोग से श्रीलंका की फिल्मों के समारोह का संयुक्त रूप से आयोजन किया। अदिस अबाबा में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित लोकप्रिय हिंदी फिल्मों के पुनरावलोकन प्रदर्शन के लिए 'पंचाग्नि' और 'आंखें' फिल्में उपलब्ध कराई गईं। स्विटजरलैंड में आयोजित 14वें फ्रीबोर्ग इंटरनेशनल फिल्म समारोह में **पलंका** और **छिन्नामूल** फिल्में भेजी गईं। अमरीका में लॉस एंजिल्स में 'म्यूजिकल्स ऑफ द मिलेनियम' कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए तीन हिंदी फिल्में 'प्यासा', 'आवारा' और 'स्ट्रीट सिंगर' यूसीएलए को भेजी गईं।

वर्ष के दौरान दूसरी कापी एवं उसमें किए गए सुधारों की विस्तृत जांच की गई। नाईट्रेट से बनीं 132 रीलों को (37,082.75 मीटर) सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। तीन फिल्में 'दुर्गा' (1939), 'प्रेम नगर' (1940) और 'जीवाचा साखा' (1948) को मूल नाइट्रेट नेगेटिव से मास्टर पाजीटिव में स्थानांतरित किया गया। पहली सवाक तमिल फिल्म 'पवल्लाक्कोडि' (1949) का ड्यूप नेगेटिव तैयार किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने प्रकाशन और अनुसंधान योजना के अंतर्गत 'हिमांशु राय' पर मोनोग्राफ (संक्षिप्त जीवनी) परियोजना पूरी की।

## राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. का गठन इसके पूर्ववर्ती फिल्म वित्त निगम लि. और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि. के विलय से हुआ। निगम देश में अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने वाली केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित लक्ष्यों तथा आर्थिक नीतियों के अनुसार फिल्म उद्योग के समन्वित और कुशल विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाना तथा उस पर अमल करना है।

### वित्तपोषण और निर्माण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम गुणवत्ता और विषय वस्तु की दृष्टि से कम बजट की श्रेष्ठ फिल्मों को प्रोत्साहन देता है।

2000-2001 में (नवंबर 2000 तक) विभिन्न भाषाओं में तीन फिल्में पूरी की गई और 6 का निर्माण जारी है। दो फिल्में

हिन्दी में कल्पना लाजमी की बनी **दमन** और हिन्दी में ही अशोक चक्रधर की **बिटिया** का निर्माण जारी है। इनके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से धन मिला है।

**राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की पुरस्कृत फिल्में**

**राष्ट्रीय पुरस्कार**

| | | |
|---|---|---|
| **विश्वप्रकाश** | : | उड़िया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म |
| **लाडो (हरियाणवी)** | : | निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार |
| **हरी भरी (हिंदी)** | : | परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म |
| **कैरी (हिंदी)** | : | अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म |

**महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार**

| | | |
|---|---|---|
| **गाभरा (मराठी)** | : | सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार, और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन |

वर्ष के दौरान निगम ने सिर्फ टेलीविजन और उपग्रह प्रसारण अधिकार के लिए ही विदेशी फिल्में प्राप्त कीं, नवम्बर 2000 तक ऐसी 28 फिल्में हासिल की गईं।

2000-2001 के दौरान (नवंबर 2000 तक) 46 फिल्मों का निर्यात किया गया जिससे 40.27 लाख रुपये की आमदनी हुई। अनुमान है कि निगम वर्ष के दौरान करीब 100 फिल्मों का निर्यात करेगा जिससे 150 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होगी।

निगम के कोलकाता स्थित 16 मि.मी. केंद्र द्वारा पूर्वी क्षेत्र के फिल्म उद्योग को निर्माण और निर्माण के बाद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

निगम की लेज़र सब-टाइटलिंग इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सब-टाइटलिंग सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस इकाई में लैटिन और अरबी लिपि वाली सभी स्वदेशी भाषाओं की फिल्मों की सब-टाइटलिंग की जाती है। इस इकाई में दो लेज़र सब-टाइटलिंग मशीनें लगी हैं जो आधुनिकतम मिलेनिया-वी सालिड स्टेट तकनीक से और डिजीटल बीटा कैम उपकरण से सुसज्जित हैं।

मुंबई में निगम की वीडियो संपादन इकाई में प्रोमो कैप्सूल और प्रचार सामग्री तैयार करने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता की जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ यह इकाई दूरदर्शन को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।

निगम सिनेमाघरों को धन उपलब्ध कराने की अपनी योजना के तहत दर्शकों के बैठने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास करता है और अच्छे सिनेमा के प्रदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत अब तक 129 सिनेमाघर लाभान्वित हो चुके हैं।

निगम ने वर्ष के दौरान फिल्म समितियों और राज्य सरकारों को विभिन्न केंद्रों में फिल्म सप्ताहों के आयोजन में सहायता दी। निगम के इन प्रयासों से बहुत से फिल्म प्रेमियों को उत्कृष्ट सिनेमा देखने का अवसर मिलता है, इस कारण इसकी बड़ी सराहना हुई है। वर्ष के दौरान नेहरू सेंटर और नेशनल सेंटर फार परफार्मिंग आर्ट में नेशनल फिल्म सर्किल ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं।

1992 में निगम ने भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष का गठन किया था। यह गुजरे जमाने के जरूरतमंद कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस न्यास की सुरक्षित निधि अब तक बढ़कर 4.16 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक 760 फिल्म कलाकारों को कोष से पेंशन और अन्य लाभ दिये जा चुके हैं। इस समय करीब 580 सिने कलाकार ट्रस्ट से आर्थिक सहायता पा रहे हैं। वर्ष के दौरान (नवंबर 2000 तक) सिने कलाकारों को पेंशन के रूप में 35 लाख रुपये दिये गये।

## केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान करता है। बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा गैर-सरकारी सदस्य भी होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली तथा तिरुअनंतपुरम में इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में फिल्मों की जांच के लिए एक सलाहकार समिति होती है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल किए जाते हैं।

सन् 2000 में बोर्ड ने कुल 3,186 प्रमाणपत्र (2,361 सेल्यूलाइड फिल्मों के लिए और 825 वीडियो फिल्मों के लिए) जारी किए। वर्ष के दौरान जिन 855 भारतीय फीचर फिल्मों को प्रमाणपत्र दिए गए उनमें से 447 यू-प्रमाणपत्र

(यानी बिना किसी प्रतिबंध के प्रदर्शित की जाने वाली); 111 यूए प्रमाणपत्र (यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता के साथ बैठकर देखने योग्य) और 297 ए-सर्टिफिकेट (केवल वयस्कों के लिए) वाली थीं। सन् 2000 में जिन् 252 विदेशी फीचर फिल्मों को प्रमाणपत्र दिए गए उनमें से 26 को यू-सर्टिफिकेट, 45 को यू-ए प्रमाणपत्र और 181 को ए-सर्टिफिकेट दिया गया। दो फिल्मों को 'अन्य' श्रेणी का प्रमाणपत्र मिला। फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी दिशा-निर्देशों की कोई शर्त पूरा न कर पाने की वजह से 67 भारतीय फीचर फिल्मों और 30 विदेशी फीचर फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया गया। इनमें से कुछ को बाद में संशोधित रूप में प्रमाणपत्र दे दिया गया।

वर्ष 2000 में बोर्ड ने 1,058 भारतीय लघु फिल्मों (967 को यू, 28 को यू-ए और 63 को ए प्रमाणपत्र) को प्रमाणपत्र दिए। इसी प्रकार 194 विदेशी लघु फिल्मों को (26 को यू, 43 को यूए और 125 को ए-प्रमाणपत्र) प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

वर्ष 2000 में बोर्ड ने 825 वीडियो फिल्मों को प्रमाणपत्र दिए। इनमें से 111 भारतीय फीचर फिल्म, 107 यू सर्टिफिकेट वाली, 3 यूए सर्टिफिकेट वाली और 1 ए सर्टिफिकेट वाली थीं 38 विदेशी फीचर फिल्मों में, से 21 यू सर्टिफिकेट, 6 यूए सर्टिफिकेट, और 11 ए सर्टिफिकेट वाली थीं 503 भारतीय लघु फिल्मों में से 500 को यू और 3 को ए-सर्टिफिकेट दिए गए। 167 विदेशी लघु फिल्मों में से 130 को यू, 10 को यू-ए और 1 को ए प्रमाणपत्र एवं 26 को एस- प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। अन्य श्रेणी के अंतर्गत 6 फिल्मों को यू प्रमाणपत्र एवं 26 को एस-प्रमाणपत्र दिया गया।

सलाहकार समितियों के सदस्यों और जांच-अधिकारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में फिल्मों की जांच से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया और चुनी हुई फिल्मों के जांच किए गए हिस्से प्रदर्शित किए गए ताकि फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित विभिन्न दिशा-निर्देश प्रदर्शित किए जा सकें।

## सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान के रूप में की गई थी। बाद में इस संस्थान को पश्चिम बंगाल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

फिल्म जगत की जानी-मानी हस्ती सत्यजीत राय के नाम पर स्थापित यह संस्थान कोलकाता में स्थित है। यह देश में अपनी तरह का दूसरा संस्थान है, जो **फिल्म एवं टेलीविजन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला राष्ट्रीय केंद्र है।** नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, संस्थान में समाजशास्त्र तथा संस्कृति और फिल्म एवं टेलीविजन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और खोजपरक अध्ययन का भी प्रावधान है।

### संस्थान के उद्देश्य

(क) सम्बद्ध क्षेत्रों के परिचय सहित फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम अवधारणा और निर्माण के सभी पहलुओं में व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण देना;

(ख) अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, मानद डिप्लोमा या अन्य ऐसे प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा प्रदान करना जो प्रबंध परिषद द्वारा शुरू किए गए हों; और

(ग) फिल्म एवं टेलीविजन कार्यक्रम अवधारणा और निर्माण के क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।

### प्रबंध एवं संगठनात्मक ढांचा

एसआरएफटीआई सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पूरी तरह वित्तपोषित स्वायत्त संस्थान है, जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा गठित समिति (सोसायटी) द्वारा किया जाता है। सोसायटी एक अध्यक्ष और प्रबंध परिषद के माध्यम से संस्थान का संचालन करती है। प्रबंध परिषद का गठन सोसायटी के प्रवर सदस्यों से किया जाता है। प्रबंध परिषद संस्थान के सभी प्रशासनिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। उपविधि के अनुसार सोसायटी का अध्यक्ष प्रबंध परिषद का चेयरमैन भी होता है। प्रबंध परिषद की सहायता के लिए निम्नांकित समितियां हैं:

(क) स्थायी वित्त समिति

(ख) शैक्षिक परिषद और

(ग) तकनीकी समिति

इसके अतिरिक्त प्रबंध परिषद समय-समय पर ऐसे निकायों का गठन करती है जो उसकी सहायता कर सकें। सोसायटी, प्रबंध परिषद और स्थायी वित्त समिति में पदेन सदस्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मंत्रालय के अधिकारी होते हैं।

सोसायटी की आम बैठक सामान्यत: वर्ष में एक बार होती है जबकि प्रबंध परिषद और अन्य निकायों की बैठक समय-समय पर, कम से कम तीन या चार बार होती है। वर्ष के दौरान प्रबंध परिषद और स्थायी वित्त समिति की बैठक एक बार हुई। पाठ्यक्रम से सम्बद्ध कोर-कमेटी की बैठक वर्ष में कई बार हुई ताकि पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। यह काम अब अंतिम चरण में है और इसे पुष्टि के लिए शैक्षिक परिषद के समक्ष रखा जाना है। बाद में प्रबन्ध-परिषद इसे मंजूरी प्रदान करेगी।

**संस्थान में सुविधाएं**

संस्थान के प्राध्यापक कक्ष में वी एच एस/वी सी डी/ एल डी जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं और एक डी वी डी संपादन कक्ष (एडिटिंग रूम) है। इसमें एक डी वी डी कैमरा भी है, जो विभागीय अभ्यास के लिए है।

दो बड़े स्टूडियो हैं, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं और एक अलग डिजीटल आडियो वर्कस्टेशन है जिसमें ध्वन्यांकन, ध्वनि संपादन और निर्माण के बाद उपयोग के लिए ट्रैक-लेइंग सुविधाएं हैं।

फिल्म अनुभाग में 10 स्टीनबोक संपादन कक्ष और एक बड़ा हाल है जिसमें 10 एडिटिंग टेबल, सिंक्रोनाइजर्स, स्प्लिर्स आदि हैं। उसमें एक अति आधुनिक नेगेटिव कटिंग कक्ष भी है, जिसमें चार कटिंग-टेबल हैं। वीडियो अनुभाग में छह ऐनालॉग वीडियो संपादन कक्ष हैं, जिनसे एस वी एच एस, यू-मैटिक और बीटा-फारमेट में संपादन की सुविधा है। इसके अतिरिक्त एक ऐविड मीडिया कम्पोजर भी है जिसमें फिल्म कट और डबिंग सुविधा छह पिक-सिंक्स और फिल्म संपादन के लिए एक मूवीऐला है। विभाग में एक स्टिल फोटोग्राफ अनुभाग के अलावा मल्टी-मीडिया और ऐनीमेशन कार्य के लिए कम्प्यूटर मौजूद हैं।

संस्थान की सुव्यवस्थित लाइब्रेरी में सिनेमा, टेलीविजन, मीडिया, प्रौद्योगिकी, अभिनय कला और अन्य सम्बद्ध विषय पर अनेक पुस्तकें एवं पत्रिकाएं विद्यमान हैं। पुस्तकालय विभिन्न प्रारूपों में प्रि-रिकार्डिड वीडियो फिल्में भी संग्रह करता है। ऑडियो-कैसेटों और सीडी का भी एक बड़ा संकलन है। लाइब्रेरी में एक बड़ा वाचनालय है, एक सुसज्जित वीडियो कक्ष जिसमें अनेक बूथ हैं तथा कई बूथों वाला एक संगीत कक्ष है, जहां संगीत सुनने के आनंद के अलावा संगीत के अध्ययन का भी मौका मिलता है। फिलहाल पुस्तकालय में 3570 किताबों, करीब 800 वी एच एस कैसेट, एलडी, डीवीडी और वीसडी का संग्रह है। ऑडियो अनुभाग में 450 ऑडियो सीडी और कैसेट हैं। सी डी एस/आई एस आई एस पैकेज का इस्तेमाल करके कॅटलॉगिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का काम जारी है। लाइब्रेरी में इन्टरनेट सुविधा भी है।

संस्थान की फिल्म-लाइब्रेरी विद्यार्थियों और शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। वर्तमान में, लाइब्रेरी में 1382 फिल्मों (फीचर : 496 और डॉक्यूमेंट्री : 886) का संग्रह है। कोलकाता की फिल्म सोसायटी 'द सिने सैन्ट्रल' ने संस्थान के पास बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में जमा कराई हैं, जो उसे विभिन्न विदेशी दूतावासों द्वारा भेंट की गई थीं। संस्थान ने एनएफडीसी और अन्य संगठनों से इस्तेमाल की गई भारतीय और विदेशी दोनों ही तरह की फिल्में खरीदी भी हैं। सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन आदि जैसे जाने माने भारतीय फिल्मकारों की उत्कृष्ट फिल्में भी पुस्तकालय में हैं।

संस्थान में सेलूलॉइड और वीडियो फार्मेट दोनों में ही पूर्वावलोकन (प्रीव्यू) और स्क्रीनिंग तथा सम्बद्ध गतिविधियों के लिए व्यापक सुविधाएं हैं। 370 की क्षमता के बहु-उद्देश्यीय मुख्य थियेटर में 35 मि.मी. ज़ेनॉन प्रोजेक्टर लगे हैं। प्रीव्यू थियेटर में 72 सीटें हैं और 35 मि.मी. तथा 16 मि.मी. के दो ज़ेनॉन प्रोजेक्टर तथा एक वीडियो प्रोजेक्टर लगा है। इसके अतिरिक्त 35 मि.मी. फिल्म प्रक्षेपण सुविधाओं से युक्त एक मुक्ताकाश थियेटर भी है, जिसमें 500 से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है।

**संस्थान के शैक्षिक कार्य**

**उपलब्ध पाठ्यक्रम**

संस्थान निम्नांकित विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है:

1. फिल्म निर्देशन में डिप्लोमा
2. मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में डिप्लोमा
3. संपादन में डिप्लोमा।
4. ध्वन्यांकन में डिप्लोमा।

32 विद्यार्थियों के पहले बैच को 1996 में उस समय दाखिला दिया गया था जब संस्थान अस्तित्व में आ रहा था। अनेक दबावों के बावजूद पहले बैच ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

डिप्लोमा के दौरान निर्मित आठ फिल्मों का मूल्यांकन किया गया और सभी 32 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। वर्तमान बैच (द्वितीय बैच) में 1997 में 32 विद्यार्थी (3 ड्रॉप आउट्स) दाखिल किए गए।

प्रबंध परिषद ने नए विद्यार्थियों के दाखिले के लिए 1998-1999 और 1999-2000 को 'शून्य वर्ष' घोषित किया। यह घोषणा बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण करनी पड़ी थी।

दूसरे बैच के विद्यार्थी अब अपने पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। पाठ्यक्रम के दौरान विभिन्न अभ्यासों के सिलसिले में विद्यार्थियों ने प्रसाद फिल्म प्रयोगशाला, चेन्नई, कलिंग प्रयोगशाला, भुवनेश्वर और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे की यात्रा की ताकि फिल्म और टेलीविजन निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया जा सके। संपादन अनुभाग के विद्यार्थियों ने एफटीटीआई और मुम्बई फिल्म उद्योग का व्यापक दौरा किया, जिसका लक्ष्य बाजार में नए संपादन-उपकरणों का अध्ययन करना था।

### विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम

भारत में जर्मनी फिल्मोत्सव (30 सितंबर 2000 से 31 मार्च 2001 तक) को देखते हुए जर्मनी के पोट्सडैम फिल्म स्कूल के साथ एक विनिमय कार्यक्रम पर अमल किया गया। यह कार्यक्रम गोएथे इंस्टिट्यूट, बर्लिन के सहयोग से अमल में लाया गया।

### फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम

वर्ष के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए करीब 128 फीचर फिल्में प्रदर्शित की गईं। जिसमे इन प्रसिद्ध निर्देशकों की फिल्में दिखाई गईं: सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, बुद्धदेव दास गुप्त, जॉन अब्राहम, इस्तवान ज़ैडो, मृणाल सेन, मिगुएल लिट्टन, जीरी मेंज़ेल, कारेल काचिना, रेनॉहर, आदि। संस्थान ने ज़ीन लुक गोदार, एल. बुनुएल, मार्सेल कार्ने, अग्रेस वार्ड और जी. अरबिन्द की चुनी हुई पुरानी फिल्मों का भी प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने नवंबर 1999 में कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव और जनवरी 2000 में भारत-अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव (नई दिल्ली) में भी हिस्सा लिया।

## राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

पुरानी कालजयी फिल्में आसानी से उपलब्ध कराने में छात्रों की सहायता के लिए संस्थान ने भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की कोलकाता शाखा को अपने परिसर में जगह दी है।

### यूरोपीय यूनियन-इंडिया परियोजना

संस्थान ने यूरोपीय आयोग के तत्वावधान में 'यूरोपियन यूनियन इंडिया (ई यू-इंडिया) मीडिया मीटिंग प्वॉइन्ट' नाम की एक नई तरह की परियोजना शुरू की गई। यह रोम के एमएजीआई सीए और एसआरएफटीआई के बीच एक भागीदारी है, जिसके अंतर्गत यूरोप और भारत के बीच फिल्म सहयोग और संयुक्त रूप से फिल्म-निर्माण की संभावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पटकथाओं के बारे में परामर्श देने और उन पर निगरानी रखने के अलावा परियोजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण 'विचार-विमर्श के दस्तावेज' भी तैयार किए गए हैं ताकि यूरोप और भारत में वित्तीय स्रोतों के बारे में डेटाबेस तैयार किया जा सके। अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर 15.12.2000 को यह परियोजना समाप्त कर दी गई।

## भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत् की गई थी 1970 में टेलीविजन विंग को भी इसमें शामिल करके संस्थान को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफ टी आई आई) का नाम दिया गया। अक्तूबर 1974 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किए जाने से संस्थान ने सोसायटी का रूप ले लिया।

संस्थान 'इंटरनेशनल लायजन सेंटर ऑफ सिनेमा एंड टीवी स्कूल' (सिलेक्ट) का सदस्य है, जिससे दुनिया भर के प्रमुख फिल्म एवं टेलीविजन स्कूल जुड़े हुए हैं। आमतौर पर एक शिक्षक और एक विद्यार्थी 'सिलेक्ट' की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। इससे संस्थान को फिल्म-निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रमों तथा फिल्म और टेलीविजन शिक्षण के क्षेत्र में दुनिया भर में सामने आने वाली नई प्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है।

संस्थान का संचालन एक प्रबंध परिषद द्वारा किया जाता है, जिसका एक अध्यक्ष है। संस्थान की शैक्षिक नीतियों और योजनाओं को शैक्षिक परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। वित्त संबंधी मामलों पर स्थायी वित्त समिति नियंत्रण रखती है।

भारत का फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) फिल्म-निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माता की कला एवं तकनीक में आधुनिकतम शिक्षा और प्रौद्योगिकी संबंध विशेषज्ञता

उपलब्ध कराता है। दूरदर्शन और अन्य संगठनों के सभी ग्रेड के अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एफटीआईआई ने 7 फरवरी, 2000 से शुरू हुए शैक्षिक वर्ष से एक संशोधित पाठ्यक्रम अपनाया और 64 विद्यार्थियों को बेसिक कोर्स (बुनियादी पाठ्यक्रम) में दाखिला दिया गया। नए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग स्तर के तीन स्वत:पूर्ण स्वतंत्र पाठ्यक्रम अपनाए गए हैं। इनमें प्रत्येक की अवधि एक शैक्षिक सत्र (40 सप्ताह) है।

संस्थान के दो विंग हैं : फिल्म और टेलीविजन। फिल्म विंग फिल्म-निर्देशन, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, ऑडियोग्राफी और फिल्म संपादन में डिप्लोमा संबंधी पाठ्यक्रम संचालित करता है।

टेलीविजन विंग दूरदर्शन के कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण टीवी प्रोडॅक्शन, टेक्निकल आप्रेशन्स, ग्रैफिक्स और सेट डिजाइन आदि सभी श्रेणियों से सम्बद्ध स्टॉफ को दिया जाता है। किंतु मुख्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का सिलेबस मौजूदा शैक्षिक सत्र से संशोधित किया गया है ताकि आज बदलती प्रौद्योगिकी की जरूरतें पूरी की जा सकें। नए सिलेबस से संस्थान के विद्यार्थियों में अब दोनों व्यवसायों के लिए वैचारिक और तकनीकी कौशल विकसित हो सकेगा।

**फिल्म समालोचना पाठ्यक्रम**

फिल्म समालोचना के बारे में चार सप्ताह का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम 22 मई से 17 जून, 2000 के बीच आयोजित किया गया। भारत के फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। इसमें 61 लोगों ने भाग लिया, जिनमें पत्रकार, फिल्म निर्माता, महिला कार्यकर्त्ता, शिक्षक और मीडिया से जुड़े लोग शामिल थे।

**फिल्मोत्सवों में भागीदारी**

डिप्लोमा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित्त फिल्में नियमित रूप से

*भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों की कैपंस गतिविधियां*

विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में शामिल की जाती रही हैं, जिससे विद्यार्थियों की रचनाओं को भारत और विदेश में प्रदर्शन के अवसर मिले हैं। वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नांकित फिल्मोत्सवों/कार्यक्रमों में हिस्सा लिया:

i) 31 मार्च- 7 अप्रैल, 2000 के बीच आयोजित केरल का 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव।

ii) 27 मई-3 जून, 2000, इस्रायल में तेल अवीव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सिनेमा महोत्सव।

iii) 47वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दीप प्रकाश द्वारा निर्देशित 'ऑफ कृनफ्युशस एस-स्पॉट्स एंड टॉयगन्स' ने जूरी का विशेष पुरस्कार और उत्कृष्ट संपादन के लिए गैर फीचर फिल्म को दिया जाने वाला पुरस्कार जीता। विनोद सुब्रमण्यम् द्वारा निर्देशित 'फायर' को 'स्पेशल मेंशन' (विशेष उल्लेख) से सम्मानित किया गया।

iv) फ्रांस के केन्स फिल्मोत्सव का 'सिने फोन्डेशन' 10-21 मई, 2000 के बीच।

v) चेक गणराज्य का कारलोवी वेरी फिल्मोत्सव 5-15 जुलाई, 2000 के बीच।

vi) 17-27 जून, 2000 के बीच वैलेंसिआ, स्पेन का 15वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, सिनेमा जोवे।

vii) 15-22 जुलाई 2000 के बीच सलेरेनो, इटली का 30वां जीफोनी फिल्मोत्सव।

viii) 30 अक्टूबर - 5 नवंबर 2000 के बीच जिनेवा स्विटजरलैंड के फिल्म और टेलीविजन विभाग का 'सिनेमा टोट ऐक्रैन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव'।

ix) सितंबर 2000 में 'सिलेक्ट' का मिनी फिल्मोत्सव, ऐबेल्टॉफ्ट।

x) परागुए, चेक गणराज्य, का 'फामू 2000' 27 से 30 अप्रैल, 2000 के बीच।

xi) कोडक द्वारा प्रायोजित एशिया प्रशांत फिल्म स्कूल प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई। 'शॉर्ट फिल्म अबाउट वार' को सिनेमाटोग्राफी में सर्वोत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय विजेता चुना गया। छात्र सिनेमाटोग्राफर अनिकेट खांडगले ने यह पुरस्कार जीता।

xii) एम्सटर्डम, नीदरलैंड का 10वां अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्मोत्सव 'सिनेस्टॅड' 10-18 नवंबर, 2000 के बीच।

xiii) वीडियो फिल्मोंत्सव 'क्षणिक 2000' 21 से 23 दिसंबर, 2000 के बीच सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता में आयोजित।

संस्थान वर्ष के दौरान निम्नांकित फिल्मोत्सवों में भी हिस्सा ले रहा है :

i) 3-9 फरवरी, 2001 के बीच नई दिल्ली में फिल्म प्रभाग का फिल्मोत्सव।

ii) 26 जनवरी - 3 फरवरी, 2001 के बीच क्लेर्मोंट फेर्रैंड, फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव।

iii) ओबेर्होसेन, जर्मनी में 3-8 मई, 2001 के बीच होने वाला अंतर्राष्ट्रीय लघु-फिल्म महोत्सव।

iv) 48 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नई दिल्ली।

**कार्यशाला / सेमिनार**

विद्यार्थियों के शैक्षिक ज्ञान को सुदृढ बनाने के लिए भारत और विदेश के प्रसिद्ध फिल्म-निर्माताओं द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन किया जाता है

# 6

# अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

## भारत और यूनेस्को

भारत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन-यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलाजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की प्रचार संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए 1981 में यूनेस्को के 21वें महाधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। भारत ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह अंतरशासकीय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम ब्यूरो का सदस्य रहा है। विगत वर्षों में भारत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित बैठकों और सेमीनारों में भाग लेता रहा है। हाल ही में 26-29 नवंबर, 2000 तक सिडनी में आयोजित यूनेस्को युवा एवं मीडिया सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य युवकों के बीच मूल्यों, नैतिकता, प्रतीकों और जीवन, पद्धतियों को समझने में आई कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। साथ ही, इसका ध्येय युवकों की समुचित संभावनाओं और क्षमता विकसित करने के अवसर भी उपलब्ध कराना है। इस पहलू की प्राय: उपेक्षा कर दी जाती है।

## भारत समाचार पूल डेस्क और गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल

गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसियों के पूल का विधिवत गठन 1976 में किया गया था। इसका उद्देश्य सूचनाओं के विश्व-व्यापी प्रवाह में असंतुलन दूर करना था। यह गुट निरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के बीच समाचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रणाली है और इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा लातीनी अमरीका के देश शामिल हैं। इसके कामकाज की देखरेख एक समन्वय समिति करती है जिसका चयन हर तीन साल बाद किया जाता है। भारत इस समय इसका सदस्य है। पूल को चलाने में जो खर्च आता है, उसे सदस्य देश वहन करते हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारत समाचार पूल डेस्क को संचालित करना जारी रखा। वर्ष की उपलब्धि बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में समन्वय समिति के कुछ सदस्यों की एक विशेष बैठक रही। 14-15 सितंबर, 2000 के बीच संपन्न इस बैठक की मेजबानी तानजुग ने की। इसमें भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की अंतारा, ईरान की इरना, मिस्र की मेना, क्यूबा की पीएल, पीटीआई, तानजुग और जांबिया की जाना समाचार एजेंसियों को आमंत्रित किया गया था। पीटीआई का प्रतिनिधित्व इसके वरिष्ठ पत्रकार श्री सुधाकर नायर ने किया। उन्होंने सुझाव दिया कि एनएएनएपी के तहत समाचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ई-मेल और इंटरनेट का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बैठक में समाचार एजेंसी तानजुग के अप्रैल 2001 में बेलग्रेड में समन्वय ब्यूरो की नियमित बैठक की मेजबानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

वर्ष की अन्य उपलब्धियों में सीरिया अरब न्यूज एजेंसी (साना), सूडान न्यूज एजेंसी (सूना) और संयुक्त अरब अमीरात की डब्ल्यू ए एम न्यूज एजेंसी के साथ समाचारों के आदान-प्रदान तथा मघरेब अरब प्रेस (मैप), मोरक्को और न्यूज एजेंसी ऑफ नाइजीरिया (नान) के प्रमुखों की भारत यात्रा शामिल है। गोरखापत्र समाचारपत्र समूह, नेपाल के दो अभियंताओं को पीटीआई ने कंप्यूटरीकृत विधि से समाचार प्रेषण और उन्हें प्राप्त करने के बारे में और एक पखवाड़े तक प्रशिक्षण दिया। इस महीने के उत्तरार्ध में कुवैत न्यूज एजेंसी (कूना) के साथ समाचार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

वर्ष के दौरान भारत ने पूल नेटवर्क की दैनिक समाचार फाइल में बड़ी संख्या में समाचार देना जारी रखा। पीटीआई प्रतिदिन औसतन 7,000 से 8,000 शब्दों के समाचार इस नेटवर्क को देता रहा। अन्य सहभागी एजेंसियों से भारत समाचार पूल डेस्क को प्रतिदिन लगभग 15,000 से 20,000 शब्दों के समाचार प्राप्त होते रहे। वर्ष के दौरान इन देशों से प्राप्त समाचारों के दसवें हिस्से का उपयोग किया गया।

# 7

# योजना और गैर-योजना कार्यक्रम

**योजना परिव्यय**

योजना आयोग ने नौंवी योजना (1997-2002) के परिव्यय को 2970.34 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2843.05 करोड़ रुपये कर दिया। वर्ष 2000-01 की स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्रालय का परिव्यय 709.35 करोड़ रुपये है। (डीबीएस - 270.00 करोड़ रुपये और आईईबीआर 439.35 करोड़ रुपये)। नौंवी योजना (1997-2002) और वार्षिक योजना 2000-01 का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | स्वीकृत नौंवी योजना परिव्यय (1997-2002) | स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय (2000-2001) |
|---|---|---|---|
| 1. | *प्रसारण क्षेत्र* | 2567.05 | 640.44 |
| | *प्रसार भारती* | | |
| | *क) आकाशवाणी* | 805.40 | 140.00 |
| | *ख) दूरदर्शन* | 1761.65 | 500.44 |
| 2. | *सूचना क्षेत्र* | 93.30 | 19.72 |
| 3. | *फिल्म क्षेत्र* | 182.70 | 49.19 |
| | *कुल* | 2843.05 | 709.35 |

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के योजना और गैर-योजना कार्यक्रमों के बजट का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

2000-2001 के दौरान योजना कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया इकाइयों की वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियां निम्नांकित हैं:

## सूचना क्षेत्र

**पत्र सूचना कार्यालय**

2000-01 की वार्षिक योजना में स्वीकृत बजट अनुदान की राशि 210.00 लाख रुपये है। इसे संशोधित अनुमान की अवस्था पर घटाकर 136.30 लाख रुपये कर दिया गया।

नौंवी योजना के दौरान पत्र सूचना कार्यालय का मुख्य जोर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सूचना देने संबंधी नेटवर्क को और बेहतर बनाने पर है। ऐसा समाचार मूल्य रखने वाली सूचनाओं के प्रेषण से किया जाता है और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिये कम्प्यूटर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। कार्यालय ने इंटरनेट पर पीआईबी की वेबसाइट तैयार की है। ताकि इसकी सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हो सके।

2. नौंवी योजना के दौरान कार्यालय का नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसकी एक अपनी इमारत होगी। इमारत के निर्माण के लिये भूमि 1994-95 में ही मिल गई थी। शुरू में इमारत के निर्माण के खर्चे के अनुमान और उसके वास्तविक निर्माण को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि इस अभिप्राय के लिये आबंटित

(लाख रुपये में)

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
## वार्षिक योजना 2000-2001

| क्र. सं. | मीडिया इकाई | प्रस्तावित परिव्यय 2000-2001 | अनुमोदित परिव्यय 2000-2001 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | **सूचना क्षेत्र** | | |
| 1 | पत्र सूचना कार्यालय | 210.00 | 210.00 |
| 2 | प्रकाशन विभाग | 200.00 | 98.00 |
| 3 | विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय | 135.00 | 135.00 |
| 4 | भारतीय जनसंचार संस्थान | 462.00 | 462.00 |
| 5 | फोटो प्रभाग | 120.00 | 120.00 |
| 6 | क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय | 165.00 | 165.00 |
| 7 | गीत और नाटक प्रभाग | 225.00 | 225.00 |
| 8 | गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग | 14.00 | 14.00 |
| 9 | **मुख्य सचिवालय** | | |
| 10 | i) सूचना भवन | 200.00 | 200.00 |
| | ii) कंप्यूटरीकरण | 25.00 | 25.00 |
| | iii) मुख्य सचिवालय (लैन) | 67.00 | 67.00 |
| 10 | **बेसिल ( आई ई बी आर )** | 151.00 | 151.00 |
| | डी बी एस | 100.00 | 100.00 |
| | कुल (क) | 2074.00 | 1972.00 |
| | डी बी एस | 1923.00 | 1821.00 |
| | आई ई बी आर | 151.00 | 151.00 |
| II. | **फिल्म क्षेत्र** | | |
| 1 | फिल्म प्रभाग | 700.00 | 700.00 |
| 2 | भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार | 135.00 | 135.00 |
| 3 | भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पुणे | 550.00 | 550.00 |
| 4 | सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता | 800.00 | 800.00 |
| 5 | फिल्म समारोह निदेशालय | 1030.00 | 920.00 |
| 6 | बाल चित्र समिति | 700.00 | 650.00 |
| 7 | राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (आई ई बी आर) | 1070.00 | 1070.00 |
| 8 | केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड | 81.00 | 90.00 |
| 9 | एफ एफ एस आई को अनुदान | 4.00 | 4.00 |
| | कुल (ख) | 5070.00 | 4919.00 |
| | डी बी एस | 4000.00 | 3849.00 |
| | आई ई बी आर | 1070.00 | 1070.00 |
| III. | **प्रसारण क्षेत्र** | | |
| 1 | आकाशवाणी | 28115.00 | 14000.00 |
| | डी बी एस | | 6500.00 |
| | आई ई बी आर | | 7500.00 |
| 2 | दूरदर्शन | 82800.00 | 50044.00 |
| | डी बी एस | | 14830.00 |
| | आई ई बी आर | | 35214.00 |
| | कुल (ग) | 110915.00 | 64044.00 |
| | डी बी एस | 68201.00 | 21330.00 |
| | आई ई बी आर | 42714.00 | 42714.00 |
| **सूचना व प्रसारण मंत्रालय** | | | |
| | कुल | 118059.00 | 70935.00 |
| | डी बी एस | 74124.00 | 27000.00 |
| | आई ई बी आर | 43935.00 | 43935.00 |

भूमि पर लागू एफ ए आर स्पष्ट नहीं थे तथा इस प्रकार के अनेक मुद्दे दूसरे थे। इस क्षेत्र के एफ ए आर का मामला तो सुलझा लिया गया है और रायसीना रोड के संस्थागत क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वैकल्पिक प्लाट का पुन: आबंटन करना पड़ा क्योंकि पहले के खाली प्लाट पर अनधिकृत कब्जा हो गया था। पत्र सूचना कार्यालय के नव-आबंटित प्लाट में दो सांसदों के बंगलों के कुछ हिस्से आते हैं। अत: सांसदों को वैकल्पिक मकान देने के लिये उच्चतम स्तर पर मामला ले जाया गया है ताकि कार्यालय को मिलने वाली भूमि पर कोई दावेबाजी न हो।

3. 'पीआईबी की गतिविधियों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण' योजना के अंतर्गत संचार नेटवर्क की नवीनतम तकनीक और उपकरणों को अपनाकर कार्यालय को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। इस वर्ष ब्यूरो के तीन कार्यालयों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है।

4. नौंवी योजना के पहले तीन वर्षों में कार्यालय की कंप्यूटरीकरण गतिविधियों में काफी प्रगति दर्ज की गई है। यही रफ्तार 2000-2001 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। 2000-2001 के दौरान कंप्यूटर सर्वर डिजीटल वीडियो/स्टिल कैमरों आदि के नवीनतम मॉडल खरीदने का प्रस्ताव है।

5. 'पत्र सूचना कार्यालय में गतिशीलता बढ़ाने के लिए प्रावधान' योजना वैसे तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत हुई थी, वाहनों की खरीद और पदों के सृजन को लेकर प्रक्रियात्मक समस्याओं के कारण इस पर अमल नहीं किया जा सका। इस योजना के तहत नौंवी योजना के दौरान 1 क्षेत्रीय कार्यालय तथा, 13 शाखा कार्यालयों में एक-एक और मुख्यालय में एक ड्यूटी वाहन खरीदने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने उन शाखा कार्यालयों के लिये नवंबर 2000 से शुरू कर महीने में 7 दिन वाहनों को किराये पर लेने की अनुमति दी है जहां अभी वाहन उपलब्ध नहीं है। योजना को इसी प्रकार से लागू किया जा रहा है।

6. 'पत्र सूचना कार्यालय के शाखा कार्यालयों को जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के अंतर्गत खोलने' की योजना का उद्देश्य ब्यूरो के सूचना नेटवर्क का विस्तार करना है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में वहां की भाषा/बोली के समाचारपत्रों तथा अन्य मीडिया तक पहुंचा जा सका। इसके लिये ब्यूरो ने पहले नौंवी योजना के दौरान अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में शाखा खोलने का प्रस्ताव रखा था क्योंकि राज्य की यही एक राजधानी बची है जहां पत्र सूचना कार्यालय की कोई शाखा नहीं है। 2000-2001 के दौरान छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड तीन— नये राज्य बन जाने के कारण इन राज्यों की राजधानियों में भी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। चाल वित्त वर्ष के दौरान रायपुर में एक कार्यालय खोल भी दिया है जिसके लिये दूसरे कार्यालयों से कर्मचारियों को दौरे पर बुलाया गया है।

7. 'जनजातीय इलाकों में पत्रकार दलों के दौरे का आयोजन और समन्वय कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर में तथा वहां से दूसरे इलाकों में पत्रकारों/समीक्षकों के छोटे दलों के दौरे आयौजित करने का प्रस्ताव है ताकि प्रेस मीडिया के जरिये राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिल सके। वर्ष 2000-2001 के दौरान यह योजना पूरी तरह अमल में लाई जा रही है।

**जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) विशेष घटक योजना (एससीपी) कार्यक्रम**

नौंवी योजना के दौरान टीएसपी के अंतर्गत कार्यालय द्वारा निम्न दो योजनायें लागू की जा रही हैं। एससीपी के अंतर्गत कोई योजना नहीं है।

1. पीआईबी के शाखा कार्यालय खोलना : ईटानगर में पीआईबी का शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने योजना को स्वीकृति और शाखा कार्यालय के लिये उपकरणों की खरीद को 1997-98 में मंजूरी दे दी थी बशर्ते कि पदों के सृजन की अनुमति मिल जाये। लेकिन इस कार्यालय के लिये किसी पद की मंजूरी नहीं मिल पाई जिसके बिना कार्यालय स्थापित कर पाना संभव नहीं है। इस बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा एसआईयू अध्ययन के बाद ही ईटानगर में शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर काम शुरू किया जाए। मगर पत्र सूचना कार्यालय ने ईटानगर में शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को एसआईयू अध्ययन से अलग रखने का आग्रह किया है। पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया था कि वित्त मंत्रालय ने ईटानगर में दूसरे कार्यालयों से पदों को स्थानांतरित करके कार्यालय खोलने को कहा है। लेकिन यह सूचित कर दिया गया कि पीआईबी के मौजूदा कार्यालयों से ईटानगर कार्यालय में पदों को स्थानांतरित करना संभव नहीं हो पायेगा। अब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईटानगर में पदों के सृजन पर होने वाले खर्चे के अनुकूल बचत अन्य स्थानों पर पदों को समाप्त करके दिखाई जाये। इस मुद्दे पर विचार चल रहा है। तीन नये राज्यों- छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के इस वित्त वर्ष में गठन के बाद इस योजना के अंतर्गत इन राज्यों की राजधानियों में तीन अन्य कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। जनजातीय क्षेत्र में आ रहे रायपुर में थोड़े से कर्मचारियों के साथ कार्यालय खोल दिया गया है। इसके लिये अन्य कार्यालयों से लोगों को दौरे पर भेजा गया है।

2. 'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत पत्रकार दलों का आयोजन और समन्वय' योजना पर पूरी तरह अमल हो रहा है। पांच साल की अवधि के लिये कुल 50.00 लाख रुपये की राशि दी गई है। 2000-2001

के दौरान इस योजना पर 10.00 लाख रुपये खर्च होने की आशा है।

**2000-2001 वार्षिक योजना में पूर्वोत्तर घटक के लिए प्रावधान**

इस कार्यालय द्वारा 2000-2001 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है:

1. पीआईबी का शाखा कार्यालय खोलना : पीआईबी का एक शाखा कार्यालय ईटानगर में खोलने का प्रस्ताव है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1997-98 में योजना की स्वीकृति दी थी और शाखा कार्यालय के लिये उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी थी बशर्ते कि पदों के सृजन की अनुमति मिल जाये। लेकिन इस कार्यालय के लिये किसी पद की मंजूरी नहीं मिल पाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ईटानगर में कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले एस आई यू अध्ययन के बाद ही विचार किया जाये. परंतु ब्यूरो ने ईटानगर कार्यालय स्थापित करने को एस आई यू अध्ययन से न जोड़ने का अनुरोध किया था। पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया था कि वित्त मंत्रालय ईटा नगर में कार्यालय के लिए अन्य कार्यालयों से पदों को स्थानांतरित करने को कह रहा है। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बता दिया गया कि मौजूदा पीआईबी कार्यालयों से पदों को स्थानांतरित कर पाना संभव नहीं है और मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि नये पदों के सृजन के बारे में वह वित्त मंत्रालय से बात करे।

2. जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत जनजातीय इलाकों में पत्रकार दलों का आयोजन और समन्वय : इस योजना पर पूरी तरह अमल हो रहा है। 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये योजना पर 5.00 लाख रुपये खर्च होने की आशा है।

3. लघु मीडिया केंद्रों की स्थापना : इस वर्ष तीन लघु मीडिया केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। उनमें से एक पीआईबी, अगरतला में स्थापित किया जाना है और इसके लिये 7.14 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

4. पीआईबी की गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण : इस योजना के अंतर्गत ब्यूरो के पूर्वोत्तर के कार्यालयों के लिये कंप्यूटर खरीदने/ बेहतर बनाने का प्रस्ताव है और इस पर वित्त वर्ष के दौरान 5.00 लाख रुपये खर्च होने की आशा है।

**प्रकाशन विभाग**

वार्षिक योजना 2000-01 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान की राशि को संशोधित अनुमान की अवस्था में 98.00 लाख रुपये से घटाकर 92.94 लाख रुपये कर दिया गया है।

विभाग के कंप्यूटरीकरण के लिये कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर खरीदा गया है। विभाग के विभिन्न विक्रय केंद्रों के लिये भी आधुनिक उपकरण जैसे फोटोकॉपियर, फैक्स, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदे गये हैं। प्रकाशन और संपादन में निपुणता के लिये अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भेजा गया। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान इन गतिविधियों के लिये 96.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

अगले कुछ महीनों में प्रकाश्य महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं: *भारतीय पंचांग प्रणाली, अंतरिक्ष में भारत, मैरीन आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, भारतीय शास्त्र मंजूषा, कामन इंडियन फ्लावर्स, वुड कार्विंग्स ऑफ गुजरात* तथा *ए सेंचुरी ऑफ इंडियन टेनिस*।

विभाग की निम्न पुस्तकें कालजयी कृतियों में गिनी जाती हैं: डा. ताराचंद की *भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (4 खंडों में)*, आर सी दत्त की *इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया*, पं. सुंदरलाल की *भारत में अंग्रेजी राज, गजेटियर ऑफ इंडिया*, पॉल कारूस की द *गोसपल ऑफ बुद्धा*, शीला धर की *दिस इंडिया*, कपिला वात्स्यायन की *इंडियन कलासिकल डांस*, एम एस रंधावा की *बसोली पेंटिंग्स*, मुल्क राज आनंद की *मधुबनी पेंटिंग* और भारतीय चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हैं।

भारतीय मुद्रक महासंघ एक निजी संस्थान द्वारा पुस्तक मुद्रण में उत्कृष्टता के लिये दिये जाने वाले पुरस्कारों को विभाग ने कई बार जीता है।

जन संचार के विभिन्न विषयों में हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार देता है। बच्चों के साहित्य, राष्ट्रीय एकता तथा महिलाओं के मुद्दों की पुस्तकों पर भी पुरस्कार दिये जाते हैं।

पुस्तकों के अलावा विभाग 21 नियमित पत्र/पत्रिकायें भी प्रकाशित करता है जिनमें अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में *रोजगार समाचार* 13 भाषाओं में *योजना*, हिंदी और अंग्रेजी में *कुरुक्षेत्र*, हिंदी और उर्दू में *आजकल* तथा हिंदी में *बाल भारती* शामिल हैं। विभाग की पत्रिकाओं से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक पहलुओं की जानकारी तो मिलती है। साथ ही सिविल सेवा और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिये तैयारी कर रहे विद्यार्थियों में भी यह बहुत लोकप्रिय हैं।

*योजना* 13 भाषाओं में निकाली जाती है- असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू। रिपोर्ट की अवधि के दौरान *योजना* में कमजोर वर्गों के विकास के लिये उठाये कदमों, 11वीं वित्त आयोग की रिपोर्टों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के बारे में सोचने के लिये मजबूर कर देने वाले लेख प्रकाशित किये। इसके स्वतंत्रता दिवस विशेषांक जनसंख्या तथा

विकास व गणतंत्र दिवस विशेषांक (जनवरी 2001) नई कृषि नीति को समर्पित थे।

ग्रामीण विकास को समर्पित *कुरुक्षेत्र* ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिये निकाली जाती है। अप्रैल 2000 के *कुरुक्षेत्र* के विशेषांक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाले कार्यक्रमों और नीतियों का विस्तृत उल्लेख किया गया। अक्तूबर 2000 के वार्षिक अंक में देश में ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई प्रगति, सामने आ रही दिक्कतों और ग्रामीण विकास की पहलों पर भावी संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया।

हिंदी में बच्चों की मासिक पत्रिका *बाल भारती* में बाल एवं किशोर पाठकों के लिये लघु कहानियां, कवितायें, चित्र कथायें और ज्ञानवर्धक सामग्री होती है। सहस्राब्दि वर्ष के पहले अंक से ही *बाल भारती* ने पिछले 1000 वर्षों के भारतीय और विश्व इतिहास की लेख-शृंखला शुरू की। सितंबर 2000 में सिडनी ओलंपिक के मौके पर ओलंपिक खेलों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

हिंदी और उर्दू में साहित्यिक पत्रिका *आजकल* में भारत की संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और अनेक विशेषांक निकाले गये। *एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार* हर सप्ताह अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यह अधिकतम लोगों को रोजगार का मार्गदर्शन प्रदान करता है और हर सप्ताह इसकी लगभग 5.40 लाख प्रतियां बिकती हैं। इस साप्ताहिक ने देश के शिक्षित बेरोजगारों के बीच एक अनूठा स्थान बना लिया है। यह केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, शैक्षिक संस्थानों और प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानों में पदों की रिक्तियों की सूचना देता है। *रोजगार समाचार* के सम्पादकीय पृष्ठों के नियमित कालमों में एक मुख्य लेख, घटनाओं का विवरण, संपादक को पत्र, उक्तियां, रोजगार चुनने के लिये मार्गदर्शन तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें होती हैं। जिन ग्रामीण/सुदूर तथा अंदरूनी इलाकों में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां उनकी नियुक्ति के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि यह वहां पर भी उपलब्ध हो सके।

विभिन्न पत्रिकाओं के उपभोक्ताओं की सूची का विभाग ने कंप्यूटरीकरण कर लिया है जबकि विज्ञापन, लेखा, निकासी तथा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के भंडारण के नियंत्रण के लिये कंप्यूटरीकरण हो रहा है।

## विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

2000-01 वार्षिक योजना में बजट अनुदान की स्वीकृत राशि 135.00 लाख रुपये थी जिसे डीएवीपी की गतिविधियों के लिये संशोधित अनुमानों में भी बरकरार रखा गया।

### 1. विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम (65.00 लाख रुपये)

**लक्ष्य**

**क) बाह्य प्रचार (25.00 लाख रुपये)**

**उपलब्धियां**

लोगों में राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा गुजरात में 400 कियोस्क लगाये गये। 'एकता ही भारत की असली शक्ति है'- इस संदेश का प्रचार किया गया। इसी संदेश को मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, नगालैंड तथा उत्तर प्रदेश में बस पैनलों के जरिये भी दर्शाया गया। देश के ग्रामीण भागों में इस संदेश को फैलाने के लिये गुजरात और बिहार में 100-100 दीवारों पर पेंटिंग की गयी। इस संदेश को प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिये उत्तर प्रदेश में दो एनीमेशन डिसप्ले लगाये गये।

देश के दक्षिणी भागों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 250 बस के पीछे पैनल और 250 दीवार पेंटिंग बनाई गई जिनमें संदेश था "मिले हाथ हमारा तुम्हारा - बढ़े देश आगे हमारा"। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में यह अभियान चलाया गया।

मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के संदेश का पूर्वोत्तर राज्यों में बस के पीछे और भीतर पैनलों के जरिये प्रचार किया गया।

**ख) इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सूचना का प्रसार**

भारत के गणतंत्र के 50 वर्ष के उपलक्ष्य पर तथा लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिये आडियो वीडियो स्पाटों का निर्माण किया गया और प्रचार के लिये दूरदर्शन/आकाशवाणी में इनका प्रसारण किया गया। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र के 50 वर्ष पर 60 सैकेण्ड अवधि के दो आडियो स्पाट बनाये गये और पूर्वोत्तर के 15 केंद्रों सहित आकाशवाणी पर प्रसारित किये गये। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी जिंगल्स बनाये गये।

देश के विभिन्न भागों में मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिये जिगंल्स बनाये गये ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके।

### 2) डीएवीपी को सुदृढ़ बनाना और गतिशीलता बढ़ाना (70.00 लाख रुपये)

इस योजना के अंतर्गत पी टी आई भवन में स्थित मुख्यालय में डिजाइनिंग स्टूडियो का नवीनीकरण किया गया और बाजार में उपलब्ध नवीनतम कंप्यूटरों और सॉफ्टवेयर को लगाया गया।

कलाकारों को कंप्यूटरों पर काम करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से ईटी एंड टी के साथ मिलकर कर्मचारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। डीएवीपी के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत लैन के जरिये ज्यादातर कंप्यूटरों में इंटरनेट सुविधायें दी गई हैं।

डीएवीपी के लेखा स्कंध को भी पूर्णतया कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। लेखा स्कंध के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही दिया गया। आधुनिकीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये जरूरी उपकरण, जैसे फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन आदि खरीदे तथा उपलब्ध कराये गये।

चूंकि नौंवी पंचवर्षीय योजना को गैर-कार्योन्मुखी योजना (मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार) के रूप में बनाया गया था, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिये उप-शीर्ष 'गतिशीलता' के अंतर्गत 2.75 लाख रुपये रखे गये हैं। इसके लिये टैक्सियों और अन्य वाहनों को किराये पर लिया जाता है ताकि योजना कार्यक्रमों पर प्रभावी अमल हो सके।

### भारतीय जनसंचार संस्थान

योजना कार्यक्रमों के लिए संस्थान का स्वीकृत परिव्यय 4.62 करोड़ रुपये है, जिसे संशोधित अनुमानों में घटाकर 2.62 करोड़ रुपये कर दिया गया। कटौती का मुख्य कारण है कि संस्थान ने अपनी शाखाओं में मूलभूत सुविधाएं बनाने के लिए पूंजीगत बड़ा खर्चा नहीं किया, जबकि वर्तमान में इन शाखाओं में विशिष्ट तथा अल्पावधि पाठ्यक्रम चल रहे हैं। 2000-01 के दौरान संस्थान के छह अनुसंधान और आकलन परियोजनाएं हाथ में लीं, जिनमें से चार का काम पूरा हो गया और बाकी दो परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है।

संचार की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण के लिए संस्थान ने मुद्रण, कम्प्यूटर और आडियो-वीडियो प्रौद्योगिकी के नवीनतम उपकरण हासिल किए हैं। इसके पास उपकरणों से सज्जित ध्वनि और टेलीविजन स्टूडियो हैं, जहां हर प्रकार की इंडोर अथवा आउटडोर शूटिंग, संपादन तथा कार्यशाला की सुविधाएं हैं। विद्यार्थियों को संस्थान की कम्प्यूटर सुविधाओं से सीखने के समुचित अवसर हासिल होते हैं। एक साथ विद्यार्थियों के अनेक समूह तीन कार्यशालाओं, कम्प्यूटर स्कूल, मल्टीमीडिया तथा डीटीपी का लाभ उठा सकते हैं। संस्थान के सभी कमरे, विभाग तथा कार्यशालाएं लैन सर्वर पर हैं और इनमें इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान ने शॉर्ट-कट डिजीटल आडियो एडीटर 360 प्रणाली, सी-डैक मल्टी-प्रोमोटर प्रणाली (संबंधित उपकरणों के साथ) हासिल किए हैं। इन पर काम हो रहा है और डिप्लोमा और विशिष्ट लघु पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

संस्थान के नई दिल्ली परिसर में 400 सीटों वाले बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। सभागार में विद्युत कार्य और सुधार चल रहा है और अगले वित्त वर्ष के मध्य तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। आईआईएमसी, ढेंकनाल का भी निर्माण लगभग पूरा हो गया है। अन्य शाखाओं के लिए यह फैसला किया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम इमारतों आदि मूलभूत सुविधाओं पर भारी खर्च किए बिना ही चलाए जाएं।

### 2000-2001 वार्षिक योजना में पूर्वोत्तर घटक के लिए प्रावधान

### भारतीय जनसंचार संस्थान

दीमापुर की संस्थान शाखा में सिविल कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये तय किए गए हैं, लेकिन इस तय राशि को घटाकर 5 लाख रुपये की नाममात्र राशि कर दिया गया है क्योंकि संस्थान ने इन शाखाओं के लिए भारी खर्चा न करने का फैसला किया है जबकि दीमापुर में किराये की इमारत से विशिष्ट और लघु पाठ्यक्रम चलते रहेंगे।

### फोटो प्रभाग

2000-01 की वार्षिक योजना में स्वीकृत बजट अनुदान में 120 लाख रुपये की राशि दी गई। संशोधित अनुमानों में भी फोटो प्रभाग को इतनी ही राशि दी गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई 'फोटो प्रभाग के आधुनिकीकरण' योजना का उद्देश्य फोटोग्राफिक उद्योग में आ रहे परिवर्तनों के अनुसार नवीनतम आधुनिक उपकरण हासिल करना है। वर्ष 2000-2001 के दौरान योजना में फोटो प्रभाग के चेन्नई, मुम्बई, कलकत्ता और गुवाहाटी कार्यालयों में निम्न उपकरण हासिल करने का प्रावधान है जिनकी खरीददारी चल रही है:

| क्र.सं. | उपकरण का विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | कोडेक लार्ज फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर माडल 3062 (मुख्यालय के लिए) | 1 |
| 2. | कोडेक डिजीटल कैमरा, माडल डीसीएस 620 | 4 |
| 3. | कोडेक थर्मल प्रिंटर माडल 8660 | 4 |
| 4. | कोडेक आरएफएस स्कैनर माडल 3570 | 4 |
| 5. | डेटा ट्रांसमिशन किट जिसमें सीडीएमए फर्मवेयर वी सीडीएमए डिजीटल कैरियर, डेटा केबल, डीसीएस किट, सॉफ्टवेयर और आधुनिक कंफीगुरेशन फाइल शामिल है | 3.2, |

**लक्ष्य 2001-2002**

अधिकतर उपकरणों को लगा दिया गया है और बाकी को लगाया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रभाग वार्षिक योजना में दी गई 26.00 लाख रुपये राशि का उपयोग इनके रखरखाव, सर्विसिंग और कलपुर्जो आदि पर करेगा।

**क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय**

2000-2001 की वार्षिक योजना में स्वीकृत बजट अनुदान की राशि 165.00 लाख रुपये थी जिसे संशोधित अनुमानों घटाकर 151.70 लाख रुपये कर दिया गया।

2000-2001 में निदेशालय की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार रहीं:

**संचालित दौरे**

स्वीकृत 10.00 लाख रुपये के परिव्यय से जनमत तैयार करने वाले स्थानीय प्रतिनिधियों के सात दौरों की इस वर्ष में योजना है। सात में से चार दौरे पहले ही हो चुके हैं। बाकी बचे तीन दौरे इस वित्त वर्ष के आखिरी दो महीनों में कराए जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से आए ये प्रतिनिधि पूर्वोतर भारत में जाएं और वहां के प्रतिनिधि शेष भारत में जाएं ताकि उन्हें देश, यहां की भूमि, संस्कृति तथा धरोहर की निकट से पहचान हो सके।

**कम्प्यूटरीकरण**

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की कम्प्यूटीकरण के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि ई-मेल के उपयोग की शुरुआत है। ईटानगर को छोड़कर 22 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के बीच सामान्य पत्राचार अब ई-मेल के जरिए किया जाता है। इस नई तकनीक को अपनाने से पहले क्षेत्रीय कार्यालयों को नवीनतम कम्प्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्शन दिए गए और मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कुल मिलाकर विंडोज, एमएस आफिस और ई-मेल के 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। निदेशालय के मुख्यालय में सभी कम्प्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क के अन्तर्गत लाया गया।

**फिल्मों और कैसेटों की खरीद**

निदेशालय ने अब तक 147 वृत्तचित्रों की खरीद की है जिन पर 44 लाख रुपये खर्च हुए। इसके लिए 75.00 लाख रुपये का कुल परिव्यय था। 44 लाख रुपये में से 10 लाख रुपये का खर्चा एसएसबी के लिए फिल्में खरीदने पर किया गया। बाकी राशि के आर्डर बुक कर दिए गए हैं जिनमें दूरदर्शन धारावाहिक की 2 कड़ियां शामिल हैं।

**नई इकाइयां खोलना**

अब तक 8 क्षेत्रीय इकाइयों (जिन्हें 1997-98 में खोला गया था) के रखरखाव पर 22.98 लाख रुपये खर्च किए गए हैं जबकि स्वीकृत परिव्यय 70.00 लाख रुपये है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष घटक योजना के लिए कोई विशेष परिव्यय का प्रावधान नहीं है।

**पूर्वोत्तर**

पूर्वोत्तर राज्यों में योजना कार्यक्रमों के अमल पर निम्न खर्चे किए गए :

**फिल्में** : 14 लाख रुपये

**कम्प्यूटरीकरण** : 1 लाख रुपये

**संचालित दौरे** : 10.2 लाख रुपये

पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों में वितरण के लिए फिल्मों की खरीद, डबिंग और डुप्लीकेशन पर इस वर्ष 14 लाख रुपये खर्च किए गए। ग्रामीण जनमत वाले प्रतिनिधियों के तीन संचालित दौरे किए गए। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड तथा मणिपुर व उत्तरी बंगाल (जिसमें सिक्किम शामिल है) क्षेत्रों से एक-एक दल उत्तरी और दक्षिणी भारत के दौरों पर ले जाए गए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से एक-एक दल को पूर्वोत्तर में ले जाया गया। पूर्वोत्तर से लाने और ले जाने के संचालित दौरों पर कुल 10.2 लाख रुपये खर्च हुए। पूर्वोत्तर राज्य में 1997-98 में खोली गई चार क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों का रखरखाव किया जा रहा है और दो अन्य इकाइयों को खोलने का प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

**गीत और नाटक प्रभाग**

2000-2001 की वार्षिक योजना में स्वीकृत बजट अनुदान 225.00 लाख रुपये को संशोधित अनुमानों में घटाकर 193.60 लाख रुपये कर दिया गया।

प्रभाग के योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जागृति उत्पन्न करने वाली गतिविधियां होती हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों और अंदरूनी सीमा प्रचार योजनाओं के अंतर्गत प्रभाग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष प्रचार किया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बाकी देश से जोड़ना और सीमा पार से हो रहे दुष्प्रचार का सामना करना है। प्रभाग की ध्वनि और प्रकाश इकाइयों ने आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में 'जातिकी ओपरी स्वर्थान्श्रयम', कर्नाटक में हम्पी

में 'कर्नाटक वैभव', राजस्थान में श्रीगंगानगर में 'जग चानन होया' और दिल्ली व उत्तर प्रदेश में नैनीताल में 'धरोहर' कार्यक्रम पेश किए।

यह प्रभाग निम्न योजनाएं चला रहा है:

**रांची में जनजातीय केंद्र**

प्रभाग का रांची में एक केंद्र है जहां मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के जनजातीय कलाकारों की लोक कलाओं का जनजातीय परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। योजना की मूल अवधारणा है कि जनजातियों के लोग अपनी भाषा में कार्यक्रम पेश करने के लिए प्रोत्साहित हों। इस योजना की विशेषता यह है कि परंपरागत कला तरीकों के इस्तेमाल से जनजातीय समूहों के द्वारा कार्यक्रम तैयार किए गए।

**संवेदनशील क्षेत्र तथा अंदरूनी सीमा प्रचार योजना**

जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्यों और संवेदनशील क्षेत्रों में सीमापार से हो रहे दुष्प्रचार का सामना करने और वहां के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों और अंदरूनी सीमा क्षेत्रों में विशेष प्रचार किया जाता है। सभी सीमा केंद्र अपने-अपने क्षेत्र में विभागीय समूहों, निजी पंजीकृत दलों और पैनल पर कैजुअल कलाकारों के साथ विशेष प्रचार अभियान चलाते है। विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और अन्य रक्षा एजेंसियों के साथ नजदीकी तालमेल रखा जाता है।

**ध्वनि और प्रकाश इकाइयां**

तीन ध्वनि और प्रकाश इकाइयां हैं- एक इलाहाबाद में, एक बंगलौर में और एक दिल्ली में। इस माध्यम से लोगों और खासकर युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, महान हस्तियों की शिक्षाओं और विचारधाराओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में शिक्षित किया जाता है।

**कार्यक्रम अभिकल्पन एकांश**

विभिन्न विकासात्मक विषयों के लिए कार्यक्रम पैकेज तैयार करने के लिए सभी आठ क्षेत्रीय केंद्रों में कार्यक्रम अभिकल्पन एकांश स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी और चेन्नई में ही हैं। इन इकाइयों में नए कार्यक्रम पैकेजों को तैयार करने के साथ-साथ विभागीय कलाकारों, पैनल पर कैजुअल कलाकारों और अनेक निजी पंजीकृत दलों को प्रशिक्षित भी किया जाता है।

**जनजातीय/पहाड़ी/मरुस्थली क्षेत्रों में प्रचार योजना**

अलग-थलग पड़े जनजाति के लोगों तथा पहाड़ों व मरुभूमि में रह रहे लोगों को देश की मुख्यधारा में शामिल करने तथा उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विकासात्मक कार्यों की सूचना देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है। इस योजना का अभिप्राय इन लोगों की देश से जुड़े होने की भावना को प्रोत्साहित करना और विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाना है जो उनकी समझ में ठीक से आ जाएं।

नवंबर 2000 तक विभाग ने सभी योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 4670 कार्यक्रम पेश किए थे।

**गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग**

वार्षिक योजना 2000-01 में स्वीकृत बजट अनुदान की राशि 14.00 लाख रुपये को संशोधित अनुमानों में भी उतना ही रखा गया है। पुस्तकालय के लिए 1.76 लाख रुपये की कीमत से सॉफ्टवेयर खरीदा गया है। कम्प्यूटर के उपयोग हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। 12 लाख रुपये की लागत वाले कम्पेक्टर और कम्प्यूटर की आपूर्ति चल रही है।

**सूचना भवन**

वार्षिक योजना 2000-01 स्वीकृत बजट अनुदान की राशि 200.00 लाख रुपये को संशोधित अनुमानों में घटाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया है।

मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों को एक ही परिसर में रखने के लिए सूचना भवन के चरण iv का निर्माण कार्य चल रहा है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 200 लाख रुपये का प्रावधान है। लेकिन प्रसार भारती के लेखों के केंद्रीय लेखा प्रणाली से अलग हो जाने के कारण ठीक समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को नवंबर 2000 में ही अंतिम रूप दिया जा सका। अत: 2000-2001 के संशोधित अनुमानों में 35 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। अब तक 14 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

**मुख्य सचिवालय (लैन)**

मुख्य सचिवालय में लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) के लिए 2000-2001 की वार्षिक योजना के बजट अनुदान में 67.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे जो कि संशोधित अनुमानों में भी ज्यों के त्यों रहे।

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में लोकल एरिया नेटवर्क (एक कम्प्यूटीकरण योजना) स्थापित करने का प्रस्ताव 'वेतन तथा लेखा

संस्थानों के आधुनिकीकरण' योजना कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। सरकारी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी को अमल में लाने और योजना परिव्यय/बजट का 1.3 प्रतिशत हिस्सा इस काम के लिए निर्धारित करने की सरकार की नीति के तहत यह योजना चलाई जा रही है। योजना एनआईसी की सलाह से बनाई गई है। इसमें मुख्य सचिवालय के विभिन्न अनुभागों के लिए 111 कम्प्यूटरों और संबंधित उपकरणों का प्रावधान है। इस योजना का लक्ष्य अंतत: ऐसा कागज रहित कार्यालय स्थापित करना है जहां सभी अंतर कार्यालय कार्रवाई इलेक्ट्रानिक तरीके से की जाए। साथ ही नेटवर्क के सभी कम्प्यूटरों को इंटरनेट सुविधा प्राप्त रहेगी। इस योजना को लागू करने पर 241.19 लाख रुपये का खर्च आएगा। योजना आयोग ने इस योजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना के विषयों में शामिल करने को मंजूरी दे दी है बशर्ते इसे मंत्रालय के लिए नौवीं योजना के दायरे में रखा जाए और कोई अतिरिक्त बजट सहायता नहीं दी जाए।

1998-99 में एक कमरे के आधुनिकीकरण पर 7.00 लाख रुपये खर्च किए गए। 1999-2000 में इस योजना के अंतर्गत 131.62 लाख रुपये खर्च करके मुख्य सचिवालय के विभिन्न अनुभागों/कार्यालयों में लगाने के लिए 53 कम्प्यूटर खरीदे गए और लैन को चालू किया गया। मुख्य सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की कम्प्यूटर जानकारी के लिए एनआईसी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शृंखला चलाई गई।

2000-2001 के दौरान 67 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जबकि 41.50 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। अनेक कमरों का सुधार, कम्प्यूटर, उनके संबंधित उपकरण, साथ के माड्यूलर फर्नीचर और लैन की स्थापना पर यह खर्च हुआ। इस साल भी मुख्य सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए एनआईसी को सीजीओ काम्पलैक्स में भेजा गया।

### वेतन तथा लेखा कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

वेतन तथा लेखा कार्यालय (मुख्यालय), नई दिल्ली की कम्प्यूटरीकरण गतिविधियों के लिए 2000-2001 वार्षिक योजना के स्वीकृत बजट अनुदान में 25.00 लाख रुपये की राशि रखी गई थी, जिसे संशोधित अनुमानों में भी नहीं बदला गया है।

### ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल)

बेसिल ने 2000-2001 वार्षिक योजना के दौरान अंदरूनी तथा गैर-बजटीय स्रोतों से 1.51 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपये कर दिया गया। निगम की गतिविधियों का मुख्य केंद्र प्रसारण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चल रही परामर्श और टर्न-की परियोजनाओं को पूरा करना था।

अप्रैल 2000 से दिसंबर 2000 के बीच बेसिल ने 8 परियोजनाएं पूरी की— (1) सन टीवी, चेन्नई के लिए बखौल कंट्रीब्यूशन लिंक स्थापित करना, (2) सन टीवी, चेन्नई के लिए वाहन आधारित सी-बैंड डी एस एन जी प्रणाली का अंतक्षेप, (3) गुजरात समुद्री जहाज बोर्ड, गांधीनगर के लिए गुजरात में मछुआरों के लिए आपदा चेंतावनी प्रणाली लगाना, (4) दूरदर्शन के कशीर चैनल के लिए डयूल बैंड डी एस एन जी प्रणाली की अंतक्षेप आपूर्ति और प्रशिक्षण, (5) दूरदर्शन आदि के लिए 13.50 करोड़ रुपये की कीमत वाली सी-बैंड रिडेंडसी प्रणाली की आपूर्ति। 6.87 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है, ये हैं: (क) राजस्थान के लोक निर्माण विभाग के लिए राजस्थान की जयपुर स्थित विधानसभा का वास्तुकला ध्वनि विज्ञान के बारे में परामर्श, (ख) नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए संसदीय पुस्तकालय परिसर में आडियो/वीडियो सुविधाओं और ध्वनि विज्ञान का परामर्श, (ग) राजस्थान के लोक निर्माण विभाग के लिए राजस्थान विधानसभा के अंदरूनी डिजाइन का परामर्श।

## फिल्म क्षेत्र

### फिल्म प्रभाग

2000-01 की वार्षिक योजना में तय बजट अनुदान की 700.00 लाख रुपये की राशि को संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 723.00 लाख रुपये कर दिया गया।

फिल्म प्रभाग खासतौर पर देश के दक्षिणी और पूर्वी भाग के ग्रामीण दर्शकों के लिए साहित्य पर आधारित लघु फिल्मों का निर्माण करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा बंगलौर व कोलकाता में क्षेत्रीय निर्माण केंद्र हैं। क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के संगीत और मुहावरों वाली स्थानीय माहौल की इन कहानियों पर आधारित लघु

फिल्मों को ग्रामीण दर्शकों द्वारा खूब सराहा जाता है।

हर फिल्म की अवधि एक घंटा होती है और फीचर फिल्मों में पाए जाने वाले मनोरंजन के सभी तत्वों को इनमें भी शामिल किया जाता है ताकि ग्रामीण दर्शक इनसे अपने आपको जोड़ सकें। उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के पिछड़े इलाकों के दूरदराज इलाकों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। नवंबर 2000 तक 6 लघु साहित्यिक फिल्में तैयार हो चुकी हैं जबकि 9 फिल्में लगभग पूरी/रफ कट अवस्था में हैं। छुआछूत, बंधुआ मजदूरी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उद्धार, अशिक्षा आदि जैसे विषयों को निर्माण कार्यक्रम के लिए लिया जाता है।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर फिल्म प्रभाग की फिल्मों के व्यापक प्रचार के लिए फिल्म प्रभाग ने 'विपणन और विक्रय प्रोत्साहन एकांश' योजना का प्रस्ताव बनाया है। इसके जरिए आम आदमी प्रभाग की फिल्मों की ओर आकृष्ट होगा और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावनाओं का पता चलेगा। संभावित खरीदारों को फिल्में दिखाने के लिए प्रभाग द्वारा अपनी फिल्मों को बीटा/डीवीडी/वीसीडी पर परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

छठा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 3-9 फरवरी, 2000 तक आयोजित किया गया। 2002 में होने वाले सातवें समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जरूरी प्रवेश फार्म छापे जा चुके हैं और संयोजक समिति की बैठक हो चुकी है।

मोशन पिक्चर तकनीक और फिल्म निर्माण की प्रौद्योगिकी सभी विकसित देशों में आगे बढ़ गई है। इस वर्ष अक्तूबर 2000 तक प्रभाग के 95 अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया, जिस पर 1.91 लाख रुपये खर्च हुए।

फिल्म्स डिवीजन द्वारा सेल्युलाइड फारमेट पर फिल्मों/लघु चित्रों के निर्माण के अलावा विभिन्न मंत्रालयों आदि से वीडियो फारमेट में कार्यक्रमों की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ऐसा देखते हुए यह प्रस्ताव है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए वीडियो फारमेट पर कार्यक्रम बनाने के लिए फिल्म डिवीजन में उचित उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। अभी लघु चित्रों के लिए एनीमेशन फिल्में बनाने और एनीमेशन सिक्वेंस तैयार करने का काम सीएफयू में होता है। कम्प्यूटराइज्ड एनीमेशन फिल्मों की मौजूदा मांग को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि सीएफयू के अलावा कम्प्यूटरग्राफी शुरू की जाए। फिल्म प्रभाग के पुराने उपकरणों के आधुनिकीकरण और बदलाव तथा कार्टून फिल्म यूनिट के लिए कम्प्यूटरग्राफी सहित वीडियो फारमेट में कार्यक्रम बनाने के लिए फिल्म प्रभाग को विकसित और सुसज्जित करना नामक दो योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत पुराने उपकरणों को हटा दिया जाएगा और अति आधुनिक सिने उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके लिए 458 लाख रुपये की राशि तय की गई है।

गुलशन महल इमारत का सुधार कार्य अब पूरा होने वाला है। इसमें सूचना काउंटर/परिसर बनाने का प्रस्ताव है। अभी इस इमारत में वीडियो लाइब्रेरी बनाई गई है।

### भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की सात चालू योजनाओं और दो नई योजनाओं के लिए 2000-2001 की वार्षिक योजना के स्वीकृत बजट अनुदान में 135.00 लाख रुपये की राशि रखी गई थी जिसे संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 143.00 लाख रुपये कर दिया गया। अप्रैल-दिसंबर 2000 के दौरान अभिलेखागार में 60 नई फिल्मों, 161 डुप्लीकेट फिल्मों, 30 फ्री डिपोजिट, 45 वीडियो कैसेटों, 225 पुस्तकों, 83 डिस्क रिकार्ड्स, 600 स्लाइडों, 109 प्री-रिकार्डिड आडियो कैसेट, 120 प्रेस क्लीपिंग, 1,988 फोटोग्राफ, 418 गानों की उप-पुस्तिकाएं, 436 दीवार पोस्टर, 2 आडियो काम्पेक्ट डिस्क और 4 डीवीडी को हासिल किया गया। नाइट्रेट फिल्मों के लिए विशेष भंडारण का सिविल निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अभिलेखागार ने चार सप्ताह वाला फिल्म समालोचना का वार्षिक पाठ्यक्रम पुणे में आयोजित किया और अन्य केंद्रों में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम चलाए। प्रकाशन और अनुसंधान योजना के अंतर्गत हिमांशु राय पर मोनोग्राफ परियोजना इस वर्ष पूरी की गई।

### फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

2000-2001 की वार्षिक योजना का परिव्यय 550 लाख रुपये था जिसे संशोधित अनुमानों में घटा कर 365 लाख रुपये कर दिया गया। यह राशि उपकरण तथा मशीनरी की खरीद, सिविल तथा विद्युत कार्यों, कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए दी गई है। फरवरी 2001 तक इन मदों पर 211.33 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी

संस्थान द्वारा खरीदे गए मुख्य उपकरण व मशीनरी सीडी राइटर, फिल्म कोडर कैमरा, नान-लीनियर एडिटिंग प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर आदि हैं।

**सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान**

वर्ष 2000-2001 में एसआरएफटी 600 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था (जिसे बाद में भूमि मुआवजा भुगतान की अतिरिक्त जरूरत के कारण संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 950 लाख रुपये कर दिया गया)। निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं :

**शैक्षणिक पाठ्यक्रम**

1. फिल्म निर्देशन
2. मोशन पिक्चर फोटोग्राफी
3. संपादन
4. ध्वनि

इस अनुदान से वर्ष 2000-01 के दौरान संस्थान द्वारा उपरोक्त चारों डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए गए। दिसंबर 2000 में विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। इसके अलावा अनुदान की राशि से संस्थान इमारत और भारी विद्युत उपकरणों का रखरखाव करता है। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्न उपकरण खरीदे:

1. 3 कैमरा सेट अप जोकि विश्व में अति उन्नत फिल्म उपकरणों में से एक है
2. फेयर लाईट आडियो स्टेशन

600 लाख रुपये के अनुदान में से संस्थान में भवन निर्माण के लिए मंत्रालय की मंजूरी से 50 लाख रुपये सीसीडब्ल्यू को दिए गए।

वर्ष 2000-01 के लिए पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 350 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 200 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए और 150 लाख रुपये सीसीडब्ल्यू आकाशवाणी को निर्माण के लिए देने के वास्ते हैं। निर्माण-कार्य समाप्ति के नजदीक है।

**फिल्म समारोह निदेशालय**

निदेशालय की वार्षिक योजना 2000-2001 का परिव्यय 9.2 करोड़ रुपये था जिसे घटाकर 6.82 करोड़ रुपये कर दिया गया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की अवधि जनवरी 2001 से बढ़ाकर अक्तूबर 2001 कर दी गई और इस समारोह का बजट इस्तेमाल नहीं हो सका। निदेशालय ने सितंबर 2000 में 47वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिए 95 फीचर फिल्में, 81 गैर-फीचर फिल्में और 14 पुस्तकों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के पुरस्कार के लिए 15 फिल्म समीक्षकों ने अपने कार्य को भेजा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार 'वानप्रस्थम' (मलयालम) को मिला, जिसके निर्देशक शाजी एन. कुरियन हैं। श्री अरविन्द सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म 'दुई पाटन के बीच में' को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म चुना गया। सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दो पुस्तकों- सुश्री अरुणा दामले की मराठी चित्रपट 'संगीताची वातचल' और श्री मधु एरवकरा की 'मलयाला सिनेमायुम साहित्यवम' को मिला। श्री आई. षणमुघा दास को वर्ष 1999 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार मिला। 1999 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्री ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अब हर वर्ष जनवरी की बजाय अक्तूबर में हुआ करेगा। इस प्रकार 32वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बंगलौर में 10 से 20 अक्तूबर, 2001 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

इस अवधि के दौरान 6 फिल्म समारोह आयोजित किए गए जिनमें यूरोपीय संघ, कोरिया डीपीआर, पौलेंड, आइसलैंड, जापान और यूनान की फिल्मों को दिखाया गया। यूरोपीय फिल्म समारोह नई दिल्ली और कोलकाता में आयोजित किया गया जबकि जापान की फिल्मों का समारोह मुंबई, बंगलौर तथा कोलकाता में हुआ। इसी प्रकार यूनान की फिल्मों का समारोह नई दिल्ली और इम्फाल में हुआ। आइसलैंड की फिल्मों का समारोह दिल्ली और मुम्बई में हुआ। आइसलैंड के राष्ट्रपति ने इस समारोह में हिस्सा लिया। भारत में कोरिया, पौलेंड और यूनान से आए फिल्म प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने समारोह में हिस्सा लिया।

भारतीय फिल्म सप्ताह चीन, फ्रांस, उत्तरी कोरिया, ब्राजील, श्रीलंका और शिकागो (अमरीका) में आयोजित किया गया। इसके अलावा दिसंबर 2000 और मार्च 2001 के बीच स्मिता पाटिल की चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन आईसीसीआर के साथ मिलकर बर्लिन, मास्को, लंदन और साओ पाओलो (ब्राजील) में किया गया। भारतीय वाणिज्य दूतावासों के सहयोग से दो फिल्म सप्ताह बहरीन और नीदरलैंड में

आयोजित किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1982 में एशियाई खेलों के दौरान निर्मित सिरी फोर्ट सभागार परिसर को 1986-87 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से हासिल कर लिया गया था। तब से इसमें कोई बड़ा सुधार/नवीनीकरण नहीं किया गया था। अत: परिसर में सुधार और सुविधाओं का अद्यतन किया जाना बहुत जरूरी हो गया था। दो चरणों में किये जा रहे इस कार्य में ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था के आधुनिकीकरण/परिवर्तन सहित सभागार का नवीनीकरण एवं उसमें आवश्यक मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं। योजना का पहला चरण अक्तूबर-नवम्बर 1999 में शुरू हुआ और 4.97 करोड़ रुपये की लागत के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इस पर 3.77 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। 31 मार्च 2001 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।

**भारतीय बाल चित्र समिति**

चालू वर्ष के दौरान 6.50 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय को संशोधित अनुमानों में घटाकर 3.78 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 12 फीचर, अल्पावधि एक्शन और एनीमेशन फिल्मों के पूरा होने की आशा है। समिति ने पहले से ही 2 फारसी फिल्मों ('नन्हेलाला व उसके बच्चे' तथा 'द फिश') की हिंदी में डबिंग पूरी कर ली है और एक अन्य फारसी फिल्म (लिटिल मैन) का हिन्दी डबिंग का काम चल रहा है। समिति ने 7 भारतीय फिल्मों को भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में डब किया।

राज्य तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम जारी हैं। अनुमान है कि इस वर्ष के विभिन्न प्रदर्शनों में 15 लाख दर्शक शामिल होंगे। इसके अलावा जिला स्तरीय समारोह विभिन्न राज्यों में मुम्बई, दिल्ली तथा चेन्नई कार्यालयों द्वारा आयोजित किए गए। इनमें से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम उल्लेखनीय थे। पूर्वोत्तर राज्यों तथा पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में शो आयोजित किए गए जिन्हें लगभग 10 लाख दर्शकों ने देखा।

समिति विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों में अपनी फिल्में भेजती है जहां इसने अनेक पुरस्कार जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर संवाद के अलावा इन समारोहों में समिति की फिल्मों को प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त होता है। समिति हर दूसरे वर्ष अपना प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय बाल तथा युवा फिल्म समारोह आयोजित करती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह नवम्बर 2001 में हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा।

प्रोत्साहनात्मक गतिविधि के रूप में समिति देश के विभिन्न भागों में एनीमेशन कार्यशाला, वीडियो कार्यशाला तथा पटकथा लेखन कार्यशाला जैसी अनेक प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करती है। समिति ने निम्नलिखित केंद्रों पर बाल फिल्म उत्सव आयोजित किए:

1) 17-23 मई, 2000 के दौरान कोलकाता के नंदन थियेटर में 75 फिल्में दिखाई गईं।

2) 10-15 जुलाई, 2000 के दौरान चेन्नई के 10 थियेटरों में 10 फिल्में दिखाई गईं।

3) 18-27 अगस्त, 2000 के दौरान सिरी फोर्ट परिसर में 5 फिल्मों का पैकेज दिखाया गया।

सोसायटी की पुरस्कार विजेता फिल्म 'कभी पास कभी फेल' राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई गई। इसकी पुरस्कार विजेता फिल्म 'हालो' को भी मुंबई तथा चेन्नई के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा दिखाया गया। 48 फिल्मों के उपग्रह अधिकार सहारा टीवी ने अपने नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाने के लिए खरीद लिए हैं। जीटीवी ने भी अपने नेटवर्क पर दिखाने के लिए कुछ फिल्मों के उपग्रह अधिकार खरीदे हैं। 10 फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट के टीवी अधिकार जार्डन में अमान की लुबिना प्रोडक्शन को भी बेचे गए।

समिति की फिल्म 'द गोल' को 47वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2000 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। इस वर्ष तीन फिल्मों- 'मल्ली', 'नंदन' तथा 'कभी पास कभी फेल' को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार मिले हैं।

बाल फिल्मों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए समिति ने लगभग 1,550 वीएचएस कैसेट विभिन्न विद्यालयों, संस्थानों तथा विभिन्न व्यक्तियों

को बेचे जिससे 4.00 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

**राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम**

2000-01 की वार्षिक योजना में निगम ने आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट प्रावधानों से आय का लक्ष्य 10.70 करोड़ रुपये रखा था जिसे संशोधित अनुमानों में भी बरकरार रखा गया है।

2000-2001 के लिए स्वीकृत कार्यक्रमवार योजना परिव्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है जिसमें वास्तविक लक्ष्यों तथा अनुमानित उपलब्धियों के साथ-साथ वार्षिक योजना 2001-2002 के वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों (प्रस्तावित) का विवरण भी है।

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | योजना | 2000-2001 का स्वीकृत परिव्यय (मूल) | | अनुमानित उपलब्धियां 2000-2001 | | 2001-02 के अनुमान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्तीय | वास्तविक | वित्तीय | वास्तविक | वित्तीय | वास्तविक |
| 1. | फिल्मों के लिए सहायता और निर्माण, उपकरणों के लिए वित्त सहायता | 540 | 28 | 267 | 8 | 412 | 15 |
| 2. | थियेटर निर्माण (ऋण तथा संयुक्त उद्यम) | 60 | 4 | 10 | 1 | 50 | 2 |
| 3. | आयात (थियेटर वीडियो तथा टीवी अधिकार) | 250 | 150 | 185 | 55 | 250 | 68 |
| 4. | परियोजनाएं | 220 | - | 150 | - | 150 | - |
| | **कुल** | **1070** | | **612** | | **862** | |

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निगम के लिए किसी योजनागत समर्थन का प्रावधान नहीं है और सभी योजना कार्यक्रमों के लिए आवश्यक धनराशि निगम के आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध कराई जाएगी

**केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड**

बोर्ड का वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय 90 लाख रुपये है, जिसे संशोधित अनुमानों में भी पांच चालू कार्यक्रमों के लिए उसी स्तर पर रखा गया है। एक कार्यक्रम 'कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना' के तहत बोर्ड के मुम्बई स्थित मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का प्रावधान है। अब तक कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर तथा चेन्नई में कम्प्यूटर लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष तिरुअनंतपुरम, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी के बाकी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कम्प्यूटर लगाए जाने का प्रस्ताव है। बंगलौर, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम तथा मुम्बई के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्टीनबैक संपादन मशीनें खरीद कर लगा दी गई हैं। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में 'मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना' कार्यक्रम के अंतर्गत कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए स्टीनबैक संपादन मशीन खरीदने की कार्रवाई चल रही है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अध्ययन के आयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 'फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा' पर अध्ययन का काम भारतीय जनसंचार संस्थान को सौंपा गया है।

**भारतीय फिल्म समितियों के महासंघ को सहायता अनुदान**

2000-01 की वार्षिक योजना में महासंघ को 4.00 लाख रुपये स्वीकृत बजट अनुदान में सहायता के रूप में दिए जाने थे और संशोधित अनुमानों में यही राशि बरकरार रखी गई है।

## प्रसार भारती

### आकाशवाणी

वर्ष 2000-2001 के लिए आकाशवाणी का स्वीकृत योजना परिव्यय 140 करोड़ रुपये है (119 करोड़ रुपये पूंजी खंड में और 21 करोड़ रुपये राजस्व योजना में)। इसमें विशेष जम्मू-कश्मीर पैकेज के लिए 20 करोड़ रुपये भी शामिल है। (हार्डवेयर 19 करोड़ रुपये तथा साफ्टवेयर 1 करोड़ रुपये) संशोधित अनुमानों में आकाशवाणी का परिव्यय 145.62 करोड़ रुपये कर दिया गया है। (118.00 करोड़ रुपये पूंजी खंड में और 27.62 करोड़ रुपये राजस्व खंड में)। संशोधित अनुमानों में जम्मू-कश्मीर को विशेष पैकेज 19.00 करोड़ रुपये है (हार्डवेयर 18.00 करोड़ रुपये तथा साफ्टवेयर 1.00 करोड़ रुपये)। संशोधित अनुमानों में 26.00 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है जो कि पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में आकाशवाणी सेवाओं के विकास के लिए समाप्त न होने वाले केंद्रीय पूल के संसाधनों में से उपलब्ध कराई जाती है।

### क) मौजूदा नेटवर्क

1) केंद्र 207

2) ट्रांसमीटर

| | |
|---|---|
| मी.वे. | 148 |
| शा.वे. | 55 |
| एफएम | 121 |
| कुल | 324 |

3) कवरेज

क्षेत्रफल के अनुसार कवरेज 89.49 प्रतिशत

जनसंख्या के अनुसार कवरेज 98.81 प्रतिशत

### गतिविधियां

इस वर्ष प्रसारण सुविधाओं को और सशक्त किया गया। मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाया गया और अनेक केन्द्रों में स्टूडियो सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया।

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज को सुदृढ़ बनाने के लिए जीरो (अरुणाचल प्रदेश), तेजपुर (असम), नगालैंड में मोन और त्वेनसांग, मेघालय में नॉगस्टोइन और विलियम नगर और मिजोरम में सैहा में नए रेडियो स्टेशन चालू किए गए हैं। कोडईकनाल (तमिलनाडु) में 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर, स्टूडियो और कर्मचारी आवासयुक्त नया रेडियो स्टेशन चालू किया गया है।

2) जम्मू, गुवाहाटी, कोयंबटूर, जबलपुर में 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों और जमशेदपुर में 6 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर वाले नए विविध भारती चैनल शुरू किए गए हैं।

3) बंगलौर में 1 कि.वा. मी. वे. विविध भारती के मौजूदा ट्रांसमीटर को बढ़ाकर 10 कि.वा. एफएम का कर दिया गया है।

4) कर्मचारी प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए नये कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) ने काम करना शुरू कर दिया है।

5) लखनऊ में स्टीरियो चैनल के साथ 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर चालू हो गया है।

6) दिल्ली में खामपुर में 250 कि.वा. के दो उच्च शक्ति वाले शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर लगाए हैं ताकि विदेशी सेवा को और सशक्त बनाया जा सके।

7) जम्मू-कश्मीर विशेष योजना के तहत कठुआ के मौजूदा 6 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर को बढ़ाकर 10 कि.वा. कर दिया गया है।

8) श्रीनगर के आकाशवाणी के मौजूदा कि.वा. मी. वे. विविध भारती के ट्रांसमीटर को 10 कि. वा. एफएम कर दिया गया है और स्टीरियो स्टूडियो सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

### पूर्वोत्तर और सिक्किम

वार्षिक योजना 2000-01 में आकाशवाणी के लिए पूर्वोत्तर घटक के रूप में 14.70 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसके अलावा संशोधित अनुमानों में 26 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी गई है जो कि पूर्वोत्तर और सिक्किम में आकाशवाणी सेवाओं के विकास के लिए समाप्त न होने केन्द्रीय पूल के संसाधनों से उपलब्ध कराई गई है।

### जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज

2000-01 की वार्षिक योजना में जम्मू और कश्मीर में रेडियो सेवाओं के विकास के लिए विशेष जम्मू-कश्मीर पैकेज के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये की राशि (हार्डवेयर 19 करोड़ रुपये तथा साफ्टवेयर 1 करोड़ रुपये) उपलब्ध कराई गई है। संशोधित अनुमानों में इसे 19.00 करोड़ रुपये (हार्डवेयर 18 करोड़ रुपये तथा साफ्टवेयर 1.00 करोड़ रुपये) कर दिया गया।

### सीमा क्षेत्रों के कवरेज में सुधार

### क) पूर्वोत्तर क्षेत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेडियो कवरेज का विस्तार किया जा रहा है। चालू योजना के दौरान अरुणाचल प्रदेश में जीरो, असम में कोकराझार,

तेजपुर तथा धुबरी, नगालैंड में मोन तथा त्वेनसांग, मेघालय में विलियम नगर और नोंगस्टोइन और मिजोरम में सैहा में कुल मिलाकर 9 आकाशवाणी केंद्र चालू किए गए। गुवाहाटी में 50 कि.वा. के स्थान पर 100 कि.वा. मी.वे. का नया ट्रांसमीटर लगाया गया। गुवाहाटी में 10 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर के साथ विविध भारती सेवा शुरू की गई।

चूड़ाचंद्रपुर, धर्मनगर, लोंगथरई, चंगलांग, खोंसा, नूतन बाजार और फेक में नए रेडियो केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सिलचर में 10 कि.वा. की जगह 20 कि.वा. मी. वे. ट्रांसमीटर, इम्फाल में 50 कि.वा. के स्थान पर 300 कि.वा. मी.वे ट्रांसमीटर और कोहिमा में 50 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 100 कि.वा. मी.वे ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। शिलांग, इम्फाल, अगरतला और आइजोल में स्टीरियो-प्लेबैक सुविधा के साथ नए एफएम चैनल लगाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज को बढ़ाने के लिए विशेष योजना पर सरकार विचार कर रही है।

### ख ) जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में रेडियो कवरेज को सशक्त बनाया जा रहा है। श्रीनगर में मौजूदा 1 कि.वा. मी. वे ट्रांसमीटर को सुधारकर 10 कि.वा. एफ एम का कर दिया गया और स्टूडियो में स्टीरियो सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। जम्मू में 10 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर और स्टीरियो स्टूडियो सुविधाओं के साथ विविध भारती चैनल शुरू किया गया। जम्मू में 50 कि.वा. शा. वे. ट्रांसमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है और लेह के मौजूदा 10 कि.वा. मी.वे. को बढ़ाकर 20 कि.वा. मी. वे. ट्रांसमीटर किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कवरेज को और बढ़ाने के लिए विशेष योजना को सरकार ने मंजूर कर दिया है। यह योजना निर्धारित समयाविधि में अमल में लाई जा रही है।

### योजना निष्पादन

### दूरदर्शन :

दूरदर्शन का वर्ष 2000-01 के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय 500.44 करोड़ रुपये (340.44 करोड़ रुपये पूंजी खंड में और 160 करोड़ रुपये राजस्व योजनाओं के लिए) है। इसमें जम्मू कश्मीर के विशेष पैकेज के लिए 80 करोड़ रुपये (हार्डवेयर 60 करोड़ रुपये तथा साफ्टवेयर 20 करोड़ रुपये) शामिल हैं। संशोधित अनुमानों में दूरदर्शन का योजना परिव्यय 483.18 करोड़ रुपये (310.44 करोड़ रुपये पूंजी खंड में और 172.74 करोड़ रुपये राजस्व के लिए) रखा गया है। संशोधित अनुमानों में जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज का अंश 73.50 करोड़ रुपये (हार्डवेयर रु. 30.00 करोड़ तथा साफ्टवेयर 43.50 करोड़ रुपये) था। संशोधित अनुमानों में 4.20 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जोकि पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में दूरदर्शन सेवाओं के विकास के लिए समाप्त न होने वाले केन्द्रीय पूल के स्रोतों से आती है।

### 2000-2001 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

वर्ष 2000-2001 के दौरान (दिसम्बर 2000 तक) मेट्रो चैनल (डीडी-2) की कवरेज को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस वर्ष की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

1) मेट्रो चैनल के लिए 41 ट्रांसमीटर लगाए गए जिनमें से 22 उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर थे।

2) वर्ष के दौरान पांच स्टूडियो (ग्वालियर, जगदलपुर, इंदौर, भवानीपटना और बढ़ी हुई क्षमता का रांची स्टूडियो) चालू किए गए।

3) वर्ष के दौरान (दिसम्बर 2000 तक) तीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 46 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 23 अति अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर चालू किए गए ताकि प्राइमरी चैनल (डीडी-1) के कवरेज का विस्तार हो सके।

4) क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल कशीर, बांग्ला और पोढ़िगई में रिले के लिए श्रीनगर, कोलकाता और और चेन्नई में क्रमशः एक-एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए गए।

5) दिल्ली और जम्मू में उपग्रह अपलिंक चालू किए गए। दिल्ली में अपलिंक एवीएन समाचार फीड के लिए हैं।

6) दूरदर्शन का शिक्षा चैनल ज्ञान दर्शन भी वर्ष के दौरान शुरू किया गया।

7) दिसंबर 2000 में पूर्वोत्तर उपग्रह चैनल ने 24 घंटे का ट्रांसमीशन शुरू किया।

### पूर्वोत्तर तथा सिक्किम

दूरदर्शन की 2000-01 की वार्षिक योजना में पूर्वोत्तर घटक के लिए 31.3 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसके अलावा 4.2 करोड़ रुपये की राशि संशोधित अनुमानों में पूर्वोत्तर और सिक्किम में दूरदर्शन सेवाओं के विकास के लिए समाप्त न होने वाले केंद्रीय पूल संसाधनों में रखी गई है।

पूर्वोत्तर और सिक्किम में दूरदर्शन की निम्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

1) प्राइमरी चैनल (डीडी-1) की कवरेज के विस्तार के लिए 15 ट्रांसमीटर

2) मेट्रो चैनल (डीडी-2) की कवरेज के विस्तार के लिए 5

ट्रांसमीटर लगाए गए।

3) गुवाहाटी, सिलचर और अगरतला में डीडी-1 के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाए गए।

4) गंगतोक में स्टूडियो

5) गुवाहाटी, कोहिमा, डिब्रूगढ़ और तुरा में दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए आवास।

**जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज**

2000-01 की वार्षिक योजना में जम्मू और कश्मीर में रेडियो सेवा के विकास के लिए विशेष जम्मू-कश्मीर पैकेज के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये हार्डवेयर और 20 करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर के लिए) की राशि दी गई है। संशोधित अनुमानों में इसे 73.50 करोड़ रुपये (30.00 करोड़ रुपये हार्डवेयर और 43.50 करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर के लिए) कर दिया गया।

# 8

# प्रशासन

कार्य-नियमों के आबंटन के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा फिल्मों से संबंधित कार्यों को लागू करने के अधिकार हैं।

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य

- विदेशों में बसे भारतीयों सहित, आम जनता के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के जरिए समाचार सेवाएं प्रदान करना।
- रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण का विकास।
- फिल्मों का आयात एवं निर्यात।
- फिल्म उद्योग की उन्नति और विकास।
- फिल्म समारोहों का आयोजन और इस उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार।
- भारत सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करने और इनके बारे में जनप्रतिक्रिया हासिल करने के लिए प्रेस संबंध बनाना।
- समाचारपत्रों के संदर्भ में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रकाशनों के जरिए भारत के बारे में देश-विदेश में जानकारी का प्रसार।
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की मदद के लिए शोध, संदर्भ तथा प्रशिक्षण।
- मंत्रालय के संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विशिष्ट कलाकारों, संगीतकारों, वादकों, कलाकारों, नर्तकों और नाट्य कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता।
- प्रसारण और समाचार सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

### मुख्य सचिवालय

सचिव इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय का प्रमुख होता है जिसके सहयोग के लिए एक अतिरिक्त सचिव, एक वित्तीय सलाहकार-सह-अतिरिक्त सचिव, तीन संयुक्त सचिव और एक मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं। मंत्रालय के विभिन्न विभागों में निदेशक/उपसचिव स्तर के 11 अधिकारी, अवर सचिव स्तर के 15 अधिकारी, 41 अन्य राजपत्रित अधिकारी और 285 अराजपत्रित कर्मचारी हैं।

### सूचना सुविधा केन्द्र

प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 4 मई, 1997 को मंत्रालय में सूचना सुविधा केंद्र ने कामकाज शुरू कर दिया।

### मदर चार्टर

कुशल और उत्तरदायी प्रशासन देने के विषय पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुरूप मंत्रालय ने अपना मदर चार्टर तैयार किया जो मंत्रालय के बेबसाइट (http:/ www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

### जन शिकायतें

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में एक जन शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। मंत्रालय और इसकी सभी अंगीभूत इकाइयों की शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।

### अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान

1. सरकार की घोषित नीति के तहत इस संबंध में जारी आदेशों के अनुरूप, मंत्रालय अपनी नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास करता है। मंत्रालय लगातार प्रयास करता रहा है कि आरक्षण के लक्षित प्रतिशत और मंत्रालय तथा इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की विभिन्न सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तविक प्रतिनिधित्व में अंतर कम से कम हो। मंत्रालय, इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत पहली जनवरी, 2000 को इस प्रकार था:

| | वर्ग 'क' | वर्ग 'ख' | वर्ग 'ग' | वर्ग 'घ' |
|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 13.2% | 12% | 16% | 34.6% |
| अनुसूचित जनजाति | 6.3 | 4% | 9.2% | 13% |

2. आरक्षण नीति लागू करने से संबंधित समन्वय और निगरानी के लिए निदेशक स्तर के संपर्क अधिकारी की देखरेख में मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोस्टर रखे जाते हैं।

3. भारत और विदेशों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की भागीदारी पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।

### राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

मंत्रालय का प्रयास रहा है कि मंत्रालय और उसकी सभी मीडिया इकाइयों आदि के कार्यालयीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) का दायित्व होता है कि वह तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियमावली, 1976 के मुताबिक राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा तय किए गए विभिन्न प्रावधानों और नीतियों को लागू कराए और उन पर नजर रखे। मंत्रालय का हिंदी प्रकोष्ठ मीडिया इकाइयों आदि द्वारा प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से राजभाषा नीति के पालन को भी सुनिश्चित करता है। संयुक्त सचिव (नीति) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा क्रियान्वयन समिति अपनी बैठकों में इन रिपोर्टों की समीक्षा

और मूल्यांकन करती है। राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से हर तीन महीने बाद होती है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी 2000-2001 का वार्षिक कार्यक्रम मंत्रालय से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों समेत सभी अधिकारियों और विभागों में वितरित किया गया ताकि राजभाषा नीति पर अमल किया जा सके।

वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधीन पांच कार्यालयों का निदेशक (राजभाषा) द्वारा निरीक्षण किया गया, उसी समय स्थिति की समीक्षा की गई और सुधारात्मक उपाय सुझाए गए। मंत्रालय के कार्यालयीय कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बल देने के लिए समीक्षा वर्ष में 21 कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा पाठ्यक्रमों में हिंदी के प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया। इसके अलावा वर्ष के दौरान 17 टाइपिस्टों और 18 आशुलिपिकों को भी हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया। इस ठोस प्रयास के परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी कागजात/दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी किया गया। साथ ही हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया गया।

राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में 13 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 14-28 सितंबर, 2000 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके दौरान हिंदी में निबंध लेखन, टंकण, वाद-विवाद, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, आशुलेखन, कविता, अंताक्षरी, अनुवाद और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में 127 कर्मचारियों ने भाग लिया। उनमें से 34 कर्मचारियों ने नकद पुरस्कार जीते। राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना के तहत आठ विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

मंत्रालय तथा इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के काम में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए एक हिंदी सलाहकार समिति है जिसकी अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। समीक्ष्य वर्ष के दौरान माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस समिति की दो बैठकें आहूत की। मंत्रालय तथा उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालयीय कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्यों ने कई उपाय सुझाए। इन सुझावों के प्रणामस्वरूप सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है।

समीक्ष्य वर्ष के दौरान राजभाषा संसदीय समिति की दूसरी उप-समिति ने 8 फरवरी, 2001 तक मंत्रालय के अधीन काम करने वाले दस कार्यालयों का निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया।

**आंतरिक कार्य अध्ययन एकांश**

1. आंतरिक कार्य अध्ययन एकांश विभिन्न उपाय सुझाकर संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है जिससे खर्च में कमी आ सके और इकाइयों को प्रशासनिक रूप से ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके। एकांश ने निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है: (1) भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के : (क) कोलकाता, (ख) तिरुअनंतपुरम तथा (ग) बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय। इन रिपोर्टों को लागू करने से प्रतिवर्ष 4,33,679 रुपये की परोक्ष बचत होगी। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के अंत तक आंतरिक कार्य अध्ययन एकांश की योजना गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के सूचना और प्रचार विभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित अध्ययन शुरू कर लेने अथवा उन्हें अंतिम रूप दे देने की है।

व्यवस्थापन और विधि के क्षेत्र में विलंब पर नियंत्रण के विभिन्न पक्षों के अनुपालन पर नजर रखने के साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अवधि के दौरान मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड प्रबंधन पर दो विशेष अभियान

चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 7,118 फाइलों का रिकॉर्ड रखा गया, 14,213 फाइलों की समीक्षा की गई और 4,733 फाइलों की छंटनी की गई। अनुभागों/डेस्कों की व्यवस्थापन और विधि संबंधी जांच की गई ताकि रोजाना के कार्यकलापों में कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

3. आंतरिक कार्य अध्ययन एकांश केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा आम जनता के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा प्रायोजित सुझाव योजना को लागू कराने वाली केंद्रीय एजेंसी के तौर पर काम करता रहा है।

**लेखा संगठन**

1. 1976 में सरकारी लेखे के विभागीकरण के फलस्वरूप नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक को केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालयों से संबंधित लेन-देन के संकलन एवं लेखा रखने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को मुख्य लेखा अधिकारी घोषित कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ-साथ मुख्य लेखा अधिकारी भी हैं। इस काम में अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक सचिव की सहायता करते हैं।

2. 1976 में सरकारी लेखे के विभागीकरण की आरंभिक अवस्था में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक ने कार्य आरंभ किया। उनके नियंत्रण में 475 विभागीय कर्मचारियों के साथ 13 वेतन और लेखा इकाइयां थीं। 1976 में वे 204 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जरूरतें पूरी कर रहे थे। 31 अक्तूबर, 2000 को 489 विभागीय कर्मचारियों के साथ 14 वेतन एवं लेखा अधिकारी कार्य कर रहे थे, जिनके अधीन कुल 604 आहरण और संवितरण अधिकारी थे। (इनमें से 525 अधिकारी प्रसार भारती के लिए और 79 आहरण और संवितरण अधिकारी अन्य इकाइयों के लिए हैं।) वेतन एवं लेखा कार्यालयों ने पहली अप्रैल, 2000 से प्रसार भारती के सरकारी तंत्र से अलग हो जाने के बाद भी आवश्यक प्रशासनिक आदेशों के अभाव में इसके भुगतान और लेखा कार्यों को जारी रखना।

3. मंत्रालय के भुगतान संबंधी कार्य जैसे, भुगतान की रसीदों का लेखा, आंतरिक लेखा परीक्षण और लेखा प्रबंधन पूर्ण रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यक्षेत्र में हैं। संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत संसद में प्रमाणित वार्षिक विनियोजन लेखा और संघ का सम्मिलित वित्तीय लेखा संसद को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। संसद के प्रति सरकार की यह जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के महा लेखा नियंत्रक द्वारा पूरी की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित लेन-देन में महा लेखा नियंत्रक के इस उत्तरदायित्व को मुख्य लेखा नियंत्रक पूरा करता है।

4. मुख्य लेखा नियंत्रक उपरोक्त कार्य नई दिल्ली स्थित मुख्य लेखा कार्यालय के जरिए संपन्न करता है। उसके कार्य में एक लेखा नियंत्रक, दो उप लेखा नियंत्रक और 14 वेतन एवं लेखा अधिकारी सहयोग करते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर और गुवाहाटी में स्थित हैं। लेखा संगठन मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं: (क) विनियोजन पर व्यय नियंत्रण (ख) रसीदों का समय से लेखा (ग) वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लेखे को एकत्र और एकीकृत करना (घ) राजस्व प्राप्तियों, सार्वजनिक खातों, ब्याज तथा ऋणों के भुगतान की रसीदों, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ, मंत्रालय की ओर से बजट अनुमान (अनुदान संख्या 55) को व्यवस्थित करना (च) तुरंत भुगतान की व्यवस्था (छ) पेंशन, भविष्यनिधि तथा अन्य दावों का त्वरित निबटान (ज) मंत्रालय तथा मीडिया इकाइयों का आंतरिक लेखा परीक्षण (झ) संबद्ध अधिकारियों को लेखा संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराना।

इनके अलावा फिल्म समारोह निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग और गवेषणा, संदर्भ तथा प्रशिक्षण प्रभाग को आंतरिक वित्तीय सलाह देने जैसे कार्यों का निर्वहन भी लेखा नियंत्रक तथा लेखा उप-नियंत्रक द्वारा किया जाता है।

5. अप्रैल से अक्तूबर 2000 के दौरान सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा 45,203 बिल (इसमें वेतन और लेखा कार्यालय,

'इर्ला' द्वारा निपटाए गए राजपत्रित अधिकारियों के 3,737 दावे शामिल हैं) निपटाए गए। इनके अलावा इस अवधि में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन से संबंधित 964 मामले तथा भविष्यनिधि के अंतिम भुगतान के 326 मामले निपटाए गए।

**सतर्कता**

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सचिव की देखरेख में काम करता है। इस कार्य में संयुक्त सचिव के स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी, निदेशक (सतर्कता) तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारी सहयोग करते हैं। मंत्रालय के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता एकक, सतर्कता अधिकारी के अधीन होते हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत समितियों में सतर्कता का काम इन कार्यालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारी देखते हैं। संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, पंजीकृत संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सतर्कता संबंधी गतिविधियां मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा समन्वित की जाती हैं।

भ्रष्टाचार की आशंका कम करने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिशें की गईं। संदेहास्पद निष्ठा वाले कर्मचारियों की पहचान करके उन पर नजर रखी गई। संवेदनशील पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का निश्चित अवधि के बाद फेर-बदल किया गया। नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण किए गए। वर्ष 2000-2001 के दौरान 195 नियमित और 99 अचानक निरीक्षण किए गए, जिनमें 19 ऐसे कर्मचारियों की पहचान की गई जिन पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, ऐसे 41 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन पर मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां नजर रखेंगी। इस अवधि में मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों के चिन्हित और संदेहास्पद निष्ठा वाले राजपत्रित अधिकारियों की सूची की समीक्षा कर उसे अद्यतन किया गया। चिन्हित सूची में 25 और संदेहास्पद निष्ठा वाली सूची में 65 अधिकारी हैं। इन अधिकारियों की गतिविधियों पर निरंतर गहन निगरानी रखी जा रही है। इनके अतिरिक्त, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार निवारक अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त दो शिकायतों में से एक शिकायत निबटा ली गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी मीडिया इकाइयों ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देश पर 31.10.2000 से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान सतर्कता से जुड़े विषयों पर वाद-विवाद, भाषण आदि जैसी अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और लेखों, कार्टूनों आदि की प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं। सतर्कता संबंधी जागरूकता और जनचेतना का निर्माण करने के लिए पहली बार 'सदैव सतर्क' नामक एक समाचार पुस्तिका भी प्रकाशित की गई। इस पुस्तिका पर सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।

अप्रैल 2000 से जनवरी 2001 तक, मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों में विभिन्न स्रोतों से 165 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनकी जांच के बाद 98 मामलों में प्राथमिक जांच के आदेश दिए गए जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए दो मामले भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान 42 मामलों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। 34 मामलों में भारी दंड और 6 मामलों में हल्के दंड के लिए नियमित विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई। 9 मामलों में भारी दंड और 10 मामलों में हल्का दंड दिया गया। इस दौरान दो व्यक्तियों ने समय से पहले अवकाश ले लिया और केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श के बाद तीन मामलों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा एक अपील याचिका पर फैसला किया गया और नौकरी से हटाए जाने की सजा को अनिवार्य अवकाश-ग्रहण में बदल दिया गया। रिपोर्ट की अवधि में 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और 15 मामलों में प्रशासनिक चेतावनी दी गई।

अनुशासन के लंबित मामलों पर मासिक रिपोर्टें और अभियोजन के लिए लंबित अनुमोदन की पाक्षिक रिपोर्टें सभी मीडिया इकाइयों से नियमित रूप से प्राप्त की जाती हैं और उन्हें कार्मिक

व प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित कर दिया जाता है। कार्यों की तकनीकी जांच की प्रगति और सीटीई के संगठनों के स्टोर्स/ खरीद ठेकों की जांच की तिमाही रिपोर्टें भी मीडिया इकाइयों से प्राप्त की जाती हैं और केंद्रीय जांच आयोग (सीटीई के संगठन) को भेज दी जाती है। इसके अलावा मीडिया इकाइयों और मंत्रालय में अनुशासन के लंबित मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा समय-समय पर बैठकें कराई जाती हैं।

# मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट ( 28.2.2001 की स्थिति )

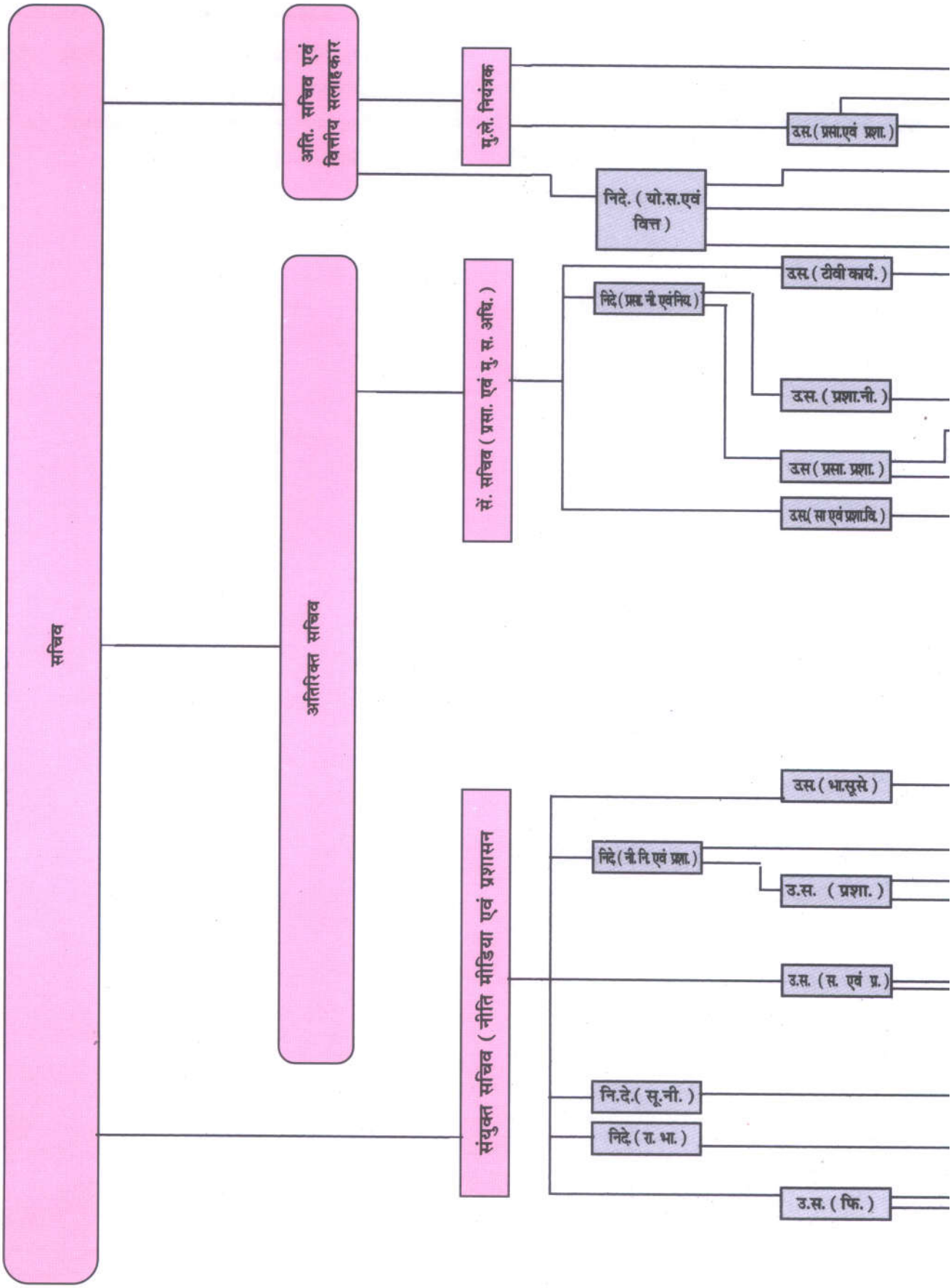

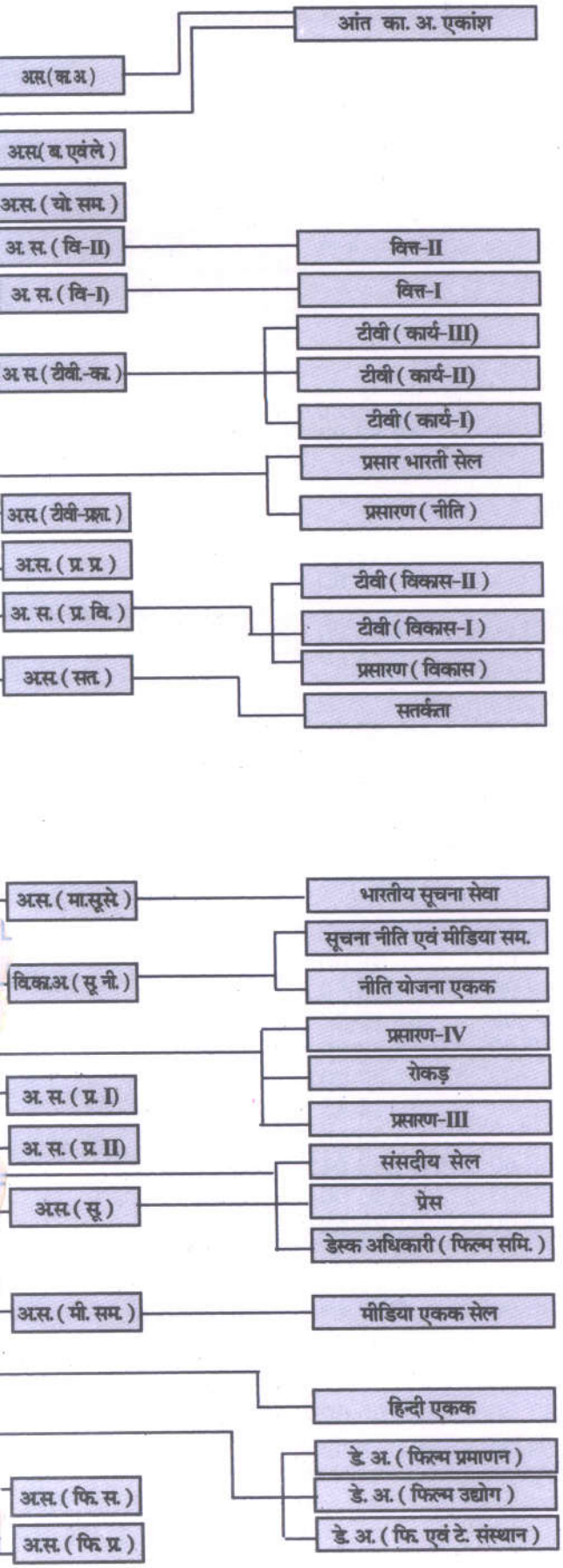


## मंत्रालय में पदनाम

| | |
|---|---|
| ए एस एंड एफ ए | अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार |
| ए एस | अतिरिक्त सचिव |
| जे एस (बी एंड सी वी ओ) | संयुक्त सचिव (प्रसारण तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी |
| जे एस (पी एंड ए) | संयुक्त सचिव (नीति, मीडिया एवं प्रशासन) |
| सी सी ए | मुख्य लेखा नियंत्रक |
| डाये. (पी पी एंड ए) | निदेशक (नीति नियोजन एवं प्रशासन) |
| डाये. (आई पी) | निदेशक (सूचना नीति) |
| डाये. (बी पी एण्ड एल) | निदेशक (प्रसारण नीति एवं विधायन) |
| डाये. (पी सी एण्ड फाइने) | निदेशक (नियोजन समन्वय तथा वित्त) |
| डाये. (ओ एल) | निदेशक (राजभाषा) |
| डी. एस. (वी. एंड बी डी) | उप सचिव सतर्कता, एवं प्रसारण विकास |
| डी एस (फिल्मस) | उप. सचिव (फिल्म) |
| डी एस (टीवी-पी) | उप सचिव (टीवी-कार्यक्रम) |
| डी एस (सी एण्ड टी) | उप सचिव (समन्वय एवं प्रशिक्षण) |
| डी एस (वी एण्ड ए) | उप सचिव (बजट एवं लेखा) |
| डी एस (बी पी) | उप सचिव (प्रसारण प्रशासन) |
| डी एस (बी पी) | उप सचिव (प्रसारण नीति) |
| डी एस (आई आई एस) | उप सचिव (भारतीय सूचना सेवा) |
| डी एस (ए) | उप सचिव (प्रशासन) |
| यू एस (एम सी) | उप सचिव (माध्यम समन्वय) |
| यू एस (बी डी) | अवर सचिव (प्रसारण विकास) |
| यू एस (टी वी पी) | अवर सचिव (दूरदर्शन-कार्यक्रम) |
| यू एस (विज) | अवर सचिव (सतर्कता) |
| यू एस (फाइन-I) | अवर सचिव (वित्त-I) |
| यू एस (फाइन-II) | अवर सचिव (वित्त-II) |
| यू एस (आई) | अवर सचिव (सूचना) |
| ओ एस डी (आई पी) | विशेष कार्य अधिकारी (सूचना नीति) |
| यू.एस एंड मिन-II | अवर सचिव (प्रशासन-II) |
| यू.एस. (डब्ल्यू एम) | अवर सचिव (कार्य आकलन) |
| यू एस (बी ए) | अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन) |
| यू एस (एडमिन-I) | अवर सचिव (प्रशासन) |
| यू एस (बी एंड ए) | अवर सचिव (बजट एवं लेखा) |
| यू एस (आई आई एस) | अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा) |
| यू एस (पी सी) | अवर सचिव (योजना समन्वय) |
| यू एस (टी वी ए) | अवर सचिव (दूरदर्शन-प्रशासन) |
| यू एस (एफ एफ) | अवर सचिव (फिल्म समारोह) |
| यू एस (एफ ए) | अवर सचिव (फिल्म प्रशासन) |
| डी ओ (एफ एस) | डेस्क अधिकारी (फिल्म समितियां) |
| डी ओ (एफ टी आई) | डेस्क अधिकारी (फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट) |
| डी ओ (एफ सी) | डेस्क अधिकारी (फिल्म प्रमाणन) |
| डी ओ (एफ आई) | डेस्क अधिकारी (फिल्म उद्योग) |
| एडमिन-III | प्रशासन-III |
| एडमिन-IV | प्रशासन-IV |
| बी (डी) | प्रसारण (विकास) |
| बी (पी) | प्रसारण (नीति) |
| कैश | रोकड़ |
| आई आई एस | भारतीय सूचना सेवा |
| फाइन-I | वित्त-I |
| फाइन-II | वित्त-II |
| हिन्दी | हिन्दी एकक |
| आई डब्ल्यू एस यू | आंतरिक कार्य अध्ययन एकक |
| आई पी एंड एम सी | सूचना नीति और माध्यम समन्वय |
| एम यू सी | मीडिया यूनिट एकक |
| पी बी सी | प्रसार भारती एकक |
| पार्लियामेंट | संसद एकक |
| पी पी सेल | नीति योजना एकक |
| प्रेस | प्रेस |
| विज | सतर्कता |
| टीवी (डी-I) | टेलीविजन (विकास-I) |
| टीवी (डी-II) | टेलीविजन (विकास-II) |

**परिशिष्ट - II** माध्यमवार वर्गीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

योजना और गैरयोजना बजट का विवरण

**मांग संख्या 51 — सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

| क्र.सं. | मीडिया इकाई का नाम गतिविधि | बजट अनुमान 2000-2001 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **राजस्व खंड** | | | |
| | **मुख्य शीर्ष '2251' सचिवालय** | | | |
| | **सामाजिक सेवाएं** | | | |
| 1. | मुख्य सचिवालय वेतन और लेखा कार्यालय सहित मुख्य शीर्ष '2205' — कला और संस्कृति | 52,00 | 14,93,00 | 14,61,00 |
| | सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकरण | | | |
| 2. | केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड | 90,00 | 1,49,00 | 2,39,00 |
| 3. | फिल्म प्रमाणीकरण अपील न्यायाधिकरण | - | 5,00 | 5,00 |
| | **कुल :** | 90,00 | 1,54,00 | 2,44,00 |
| | **मुख्य शीर्ष '2220' — सूचना और प्रचार** | | | |
| 4. | फिल्म प्रभाग | 3,00,00 | 25,83,20 | 28,83,20 |
| 5. | फिल्म समारोह निदेशालय | 4,20,00 | 3,51,50 | 7,71,50 |
| 6. | भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार | 1,01,00 | 97,93 | 1,98,93 |
| 7. | सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता | 6,50,00 | - | 6,50,00 |
| 8. | राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केंद्र को सहायता अनुदान | 6,50,00 | 15,00 | 6,65,00 |
| 9. | भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान | 5,50,00 | 5,67,37 | 11,17,37 |
| 10. | फिल्म समितियों को सहायता अनुदान | 4,00 | - | 4,00 |
| 11. | गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग | 14,00 | 85,00 | 99,00 |
| 12. | भारतीय जनसंचार संस्थान को सहायता अनुदान | 4,62,00 | 3,63,59 | 8,25,59 |
| 13. | विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय | 1,35,00 | 51,10,58 | 52,45,58 |
| 14. | पत्र सूचना कार्यालय | 1,12,00 | 18,27,29 | 19,39,29 |
| 15. | भारतीय प्रेस परिषद | - | 2,27,00 | 2,27,00 |
| 16. | पी.टी.आई. को ऋण के ब्याज पर सबसिडी | - | 12,25 | 12,25 |
| 17. | व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | - | 35,00 | 35,00 |
| 18. | क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय | 1,65,00 | 19,33,04 | 20,98,04 |
| 19. | गीत और नाटक प्रभाग | 2,20,00 | 13,86,00 | 16,06,00 |
| 20. | प्रकाशन विभाग | 98,00 | 11,26,55 | 12,24,55 |
| 21. | रोजगार समाचार | - | 16,58,50 | 16,58,50 |
| 22. | भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक | - | 2,19,72 | 2,19,72 |
| 23. | फोटो प्रभाग | 30,00 | 2,52,48 | 2,82,48 |
| 24. | संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अंशदान | - | 13,00 | 13,00 |
| | **कुल : मुख्य शीर्ष '2220'** | 39,11,00 | 178,65,00 | 217,76,00 |
| | **कुल : सूचना फिल्म और प्रचार** | 40,53,00 | 194,28,00 | 234,81,00 |

(हजार रुपये में)

| संशोधित अनुमान 2000-2001 | | | बजट अनुमान 2001-2002 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | गैर-योजना | योग | योजना | गैर-योजना | योग |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52,00 | 14,93,00 | 15,45,00 | 10,00 | 13,83,00 | 13,93,00 |
| 90,00 | 1,41,00 | 2,31,00 | 1,03,00 | 1,53,50 | 256,50 |
| - | 7,00 | 7,00 | - | 6,50 | 6,50 |
| 90,00 | 1,48,00 | 2,38,00 | 1,03,00 | 1,60,00 | 2,63,00 |
| 3,00,00 | 25,39,78 | 28,39,78 | 3,20,00 | 26,27,41 | 29,47,41 |
| 1,82,00 | 3,37,80 | 5,19,80 | 4,30,00 | 3,47,00 | 7,77,00 |
| 99,00 | 1,00,93 | 1,99,93 | 1,26,00 | 1,04,98 | 2,30,98 |
| 6,00,00 | - | 6,00,00 | 4,94,00 | - | 4,94,00 |
| 3,78,00 | 15,00 | 3,93,00 | 4,55,00 | 15,00 | 4,70,00 |
| 3,65,00 | 5,33,20 | 8,98,20 | 5,00,00 | 5,72,44 | 10,72,44 |
| 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 |
| 14,00 | 85,75 | 99,75 | 14,00 | 89,08 | 1,03,08 |
| 2,62,00 | 3,30,51 | 5,92,51 | 2,54,00 | 3,61,61 | 6,15,61 |
| 1,35,00 | 50,89,00 | 52,24,00 | 40,00 | 56,05,60 | 56,45,60 |
| 1,01,30 | 16,88,69 | 17,89,99 | 1,82,00 | 17,99,68 | 19,81,68 |
| - | 2,07,13 | 2,07,13 | - | 2,61,12 | 2,61,12 |
| - | 12,25 | 12,25 | - | 9,80 | 9,80 |
| - | 25,27 | 25,27 | - | 38,22 | 38,22 |
| 1,51,70 | 19,46,14 | 20,97,84 | 1,04,00 | 19,65.35 | 20,69,35 |
| 1,93,06 | 13,39,20 | 15,32,26 | 1,85,00 | 14,41,20 | 16,26,20 |
| 92,94 | 11,40,10 | 12,33,04 | 90,00 | 12,29,33 | 13,19,33 |
| - | 16,82,02 | 16,82,02 | - | 17,37,42 | 17,37,42 |
| - | 2,03,08 | 2,03,08 | - | 1,98,63 | 1,98,63 |
| 30,00 | 2,44,15 | 2,74,15 | 26,00 | 2,50,13 | 2,76,13 |
| - | 14,00 | 14,00 | - | 14,00 | 14,00 |
| 29,08,00 | 175,34,00 | 204,42,00 | 32,24,00 | 186,68,00 | 218,92,00 |
| 30,50,00 | 191,75,00 | 222,25,00 | 33,37,00 | 202,11,00 | 235,48,00 |

| क्र.सं. | मीडिया इकाई का नाम<br>गतिविधि | बजट अनुमान 2000-2001<br>योजना | <br>गैर-योजना | <br>योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **पूंजी खंड** | | | |
| | **मुख्य शीर्ष '4220'** | | | |
| | **— सूचना और प्रचार के लिए पूंजी परिव्यय** | | | |
| | **अ) मशीनें और उपकरण** | | | |
| 1. | फिल्म प्रभाग के लिए उपकरणों की खरीद | 3,82,00 | - | 3,82,00 |
| 2. | पत्र सूचना कार्यालय के लिए उपकरणों की खरीद | 40,00 | - | 40,00 |
| 3. | क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों की खरीद | - | - | - |
| 4. | गीत और नाटक प्रभाग के लिए उपकरणों की खरीद | 5,00 | - | 5,00 |
| 5. | फोटो प्रभाग के लिए उपकरणों की खरीद | 90,00 | | 90,00 |
| 6. | मुख्य सचिवालय के लिए उपकरणों की खरीद | 40,00 | - | 40,00 |
| | **आ) भवन** | | | |
| 7. | फिल्म प्रभाग की बहुमंजिला इमारत का मुख्य निर्माण कार्य | 18,00 | - | 18,00 |
| 8. | भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के लिए नाइट्रेट वाल्ट/स्टाफ क्वार्टर का मुख्य निर्माण कार्य | 34,00 | - | 34,00 |
| 9. | फिल्म समारोह परिसर में नए निर्माण तथा पुराने में परिवर्तन संबंधी प्रमुख निर्माण कार्य | 5,00,00 | - | 5,00,00 |
| 10. | कोलकाता में फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना-भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण | 1,50,00 | - | 1,50,00 |
| 11. | सूचना भवन परिसर-प्रमुख निर्माण कार्य | 2,00,00 | - | 2,00,00 |
| 12. | क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अंतर्गत कार्यालय तथा आवासीय भवनों का प्रमुख निर्माण | - | - | - |
| 13. | पत्र सूचना के लिए राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और लघु-मीडिया केंद्र की स्थापना | 58,00 | - | 58,00 |
| | **विनिवेश:** ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड | 1,00,00 | - | 100.00 |
| | **कुल : पूंजी खंड** | 16,17,00 | - | 16,17,00 |
| | **प्रसारण ऋण (मुख्य शीर्ष) सार्वजनिक उद्यम तथा अन्य उपक्रमों को ऋण** | | | |
| | प्रसार भारती : ऋण तथा अग्रिम | 170,30,00 | - | 170,030,00 |
| | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजी परिव्यय/अन्य व्यय | | | |
| | पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजना/कार्यक्रम एकमुश्त प्रावधान | - | - | - |
| | कुल-पूंजी खंड | 186,47,00 | - | 186,47,00 |
| | **कुल-मांग संख्या 51** | 270,00,00 | 1114,28,00 | 1384,28,00 |

(हजार रुपये में)

| संशोधित अनुमान 2000-2001 | | | बजट अनुमान 2001-2002 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | गैर-योजना | योग | योजना | गैर-योजना | योग |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3,82,00 | - | 3,82,00 | 3,18,00 | - | 3,18,00 |
| 30,00 | - | 30,00 | 1,15,00 | - | 1,15,00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 90,00 | - | 90,00 | 5,00 | - | 5,00 |
| 40,00 | - | 40,00 | 41,00 | - | 41,00 |
| 41.00 | - | 41.00 | 1,10,00 | | 1,10,00 |
| 44,00 | - | 44,00 | 28,00 | - | 28,00 |
| 5,00,00 | - | 5,00,00 | 50,00 | - | 50,00 |
| 3,50,00 | - | 3,50,00 | 3,05,00 | - | 3,05,00 |
| 35,00 | - | 35,00 | 1,80,00 | - | 1,80,00 |
| | - | - | - | - | - |
| 5,00 | - | 5,00 | 21,00 | - | 21,00 |
| 1,00,00 | - | 1,00,00 | - | - | - |
| 16,17,00 | - | 16,17,00 | 11,73,00 | - | 11,73,00 |
| 139,30,00 | - | 139,30,00 | 126,43,00 | - | 126,43,00 |
| - | - | - | 43,65,00 | - | 43,65,00 |
| 155,47,00 | - | 155,47,00 | 181,81,00 | - | 181,81,00 |
| 256,93,00 | 1098,19,00 | 1355,12,00 | 340,00,00 | 1132,11,00 | 1472,11,00 |